



प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2017—18



जनजातीय कार्य विभाग
मध्यप्रदेश शासन

जनजातीय कार्य विभाग
मंत्रालय

वर्ष 2017—18

मुख्यमंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान

राज्यमंत्री

श्री लालसिंह आर्य

प्रमुख सचिव

श्री एस.एन.मिश्रा

सचिव

श्री राजेश प्रसाद मिश्रा

उप सचिव

सुषमा शर्मा

उप सचिव

श्रीमती भारती ओगरे

अवर सचिव

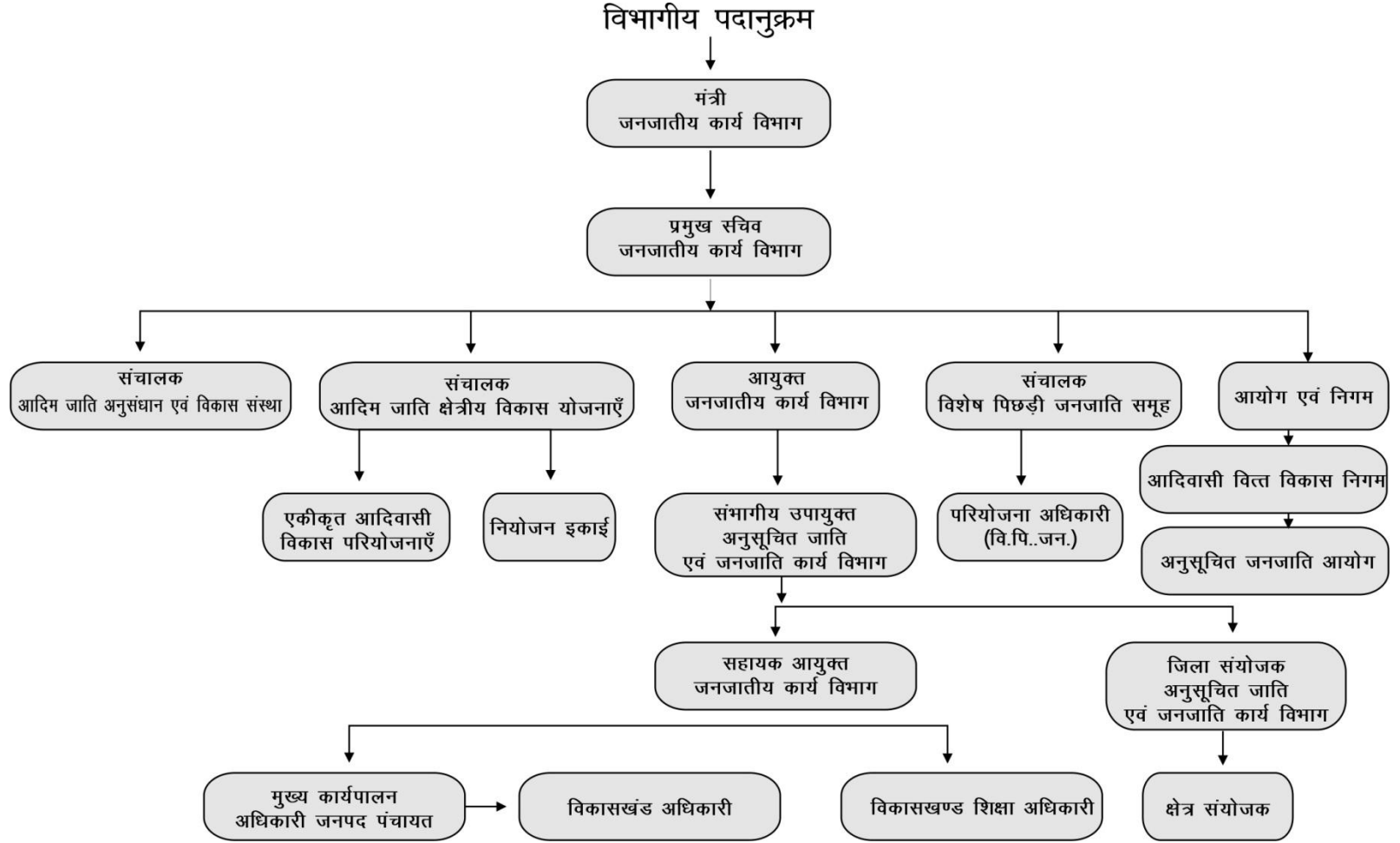
डॉ. के.एस. पाण्डे

विभागाध्यक्ष

संचालक एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था	श्री एस.एन.मिश्रा
आयुक्त, जनजातीय कार्य	श्रीमती दीपाली रस्तोगी
संचालक, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह	श्रीमती दीपाली रस्तोगी
संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ	श्री राकेश सिंह
सचिव, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग	श्री एम.के.मालवीय

विभाग अन्तर्गत निगम मंडल एवं संस्थाएँ

सचिव, मध्यप्रदेश ट्रायबल वेलफेयर रेसीडेन्सियल एण्ड आश्रम एज्यूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स सोसायटी समिति	श्रीमती दीपाली रस्तोगी
सचिव- बैगा, भारिया एवं सहरिया विकास प्राधिकरण	श्रीमती दीपाली रस्तोगी
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद	श्री राजेश प्रसाद मिश्रा
प्रबन्ध संचालक, अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	श्रीमती रेणु तिवारी
प्रबन्ध संचालक, वन्या प्रकाशन	श्री राकेश सिंह
प्रबन्ध संचालक, उद्यमी विकास संस्थान	श्री जी.एस.नेताम
सचिव, मध्यप्रदेश कोल जनजाति विकास अभिकरण	श्री नीतिराज सिंह



प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2017—18

अनु.क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1	विभाग की प्रशासनिक संरचना	1
2	विभागाध्यक्ष एवं विभाग के अधीनस्थ प्रमुख कार्यालय/संस्थाएँ	1
3	राज्य सरकार अंतर्गत विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम	2
4	विभाग तथा विभाग के अधीनस्थ प्रमुख कार्यालय/संस्थाओं के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय	2
5	मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ : एक परिचय	7
6	आयुक्त, जनजातीय कार्य	11
7	आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ	47
8	आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था	55
9	विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया, बैगा, भारिया विकास प्राधिकरण	67
10	आदिवासी वित्त विकास निगम	73
11	मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद्	83
12	वन्या प्रकाशन	89
13	उद्यमी विकास संस्थान	99
14	मध्यप्रदेश ट्रायबल वेलफेयर रेसीडेन्सियल एण्ड आश्रम एज्युकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसायटी	103
15	मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग	115
16	मध्यप्रदेश कोल जनजाति विकास अभिकरण	119
17	सामान्य प्रशासनिक विषय	123
18	अभिनव योजनाएँ	129
19	महिला खण्ड	133

20	जिलों में जनजातीय समाज के विकास हेतु की गयी उल्लेखनीय पहल	140
21	सारांश	142
22	जनजातीय कार्य विभाग का बजट प्रावधान/व्यय	143
23	परिशिष्ट - अ	144
24	परिशिष्ट - ब	152
25	परिशिष्ट - स	164
26	विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति हेतु नवीन पात्रता/ वित्तीय सहायता	177
27	भारत सरकार द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु वर्षवार प्राप्त अनुदान	180
28	आदिवासी विकास खण्डों की सूची	181
29	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ	185
30	व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची	188
31	विभाग द्वारा स्वीकृत उत्कृष्ट उ.मा.वि./आदर्श आवासीय विद्यालय/गुरुकुलम/कन्या शिक्षा परिसर	190
32	राज्य शासन से अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाएँ	196
33	मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ	202
34	वर्ष 2011 जनगणना अनुसार म.प्र. की कुल जनसंख्या एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	204
35	वर्ष 2011 जनगणना अनुसार कुल साक्षरता एवं जनजातीय साक्षरता प्रतिशत	206
36	जनगणना 2011 अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या एवं साक्षरता दर (कुल, ग्रामीण एवं शहरी)	208

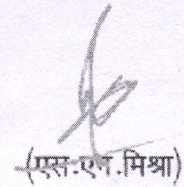
प्रस्तावना

मध्यप्रदेश राज्य में वर्तमान में 43 जनजातीय समूह निवासरत हैं, ये समूह एक या एक से अधिक उपजातियों में पृथक-पृथक सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपों में विभक्त है।

अनुसूचित जनजाति देश की कुल आबादी का 8.14 प्रतिशत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग 15 प्रतिशत भू-भाग पर अनुसूचित जनजातियाँ निवासरत हैं। मध्यप्रदेश भारत की संपूर्ण जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक जनसंख्या (14.65 प्रतिशत) वाला प्रदेश है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 में जनजातीय जनसंख्या 1,53,16,784 है। यह प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.09 प्रतिशत है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 एवं 339 में अनुसूचित जनजातियों के लिए आर्थिक विकास एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था की गई। अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु पांचवी पंचवर्षीय योजनाकाल से आदिवासी उपयोजना की रणनीति अपनायी गयी है। जनजातियों के विकास हेतु विभिन्न विकास विभागों के माध्यम से आर्थिक, शैक्षणिक, मानव संसाधन क्षेत्र विकास एवं अन्य विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके लिए अब तक कुल आबादी के प्रतिशत के मान से बजट का प्रावधान किया जाता रहा है। वर्तमान में विभाग द्वारा जनजातीय जनसंख्या के 21.09 प्रतिशत से अधिक बजट प्रावधान करके आदिवासी उपयोजना अंतर्गत विभिन्न विभागों के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन किया जा रहा है।

जनजातीय कार्य विभाग का वर्ष 2017-18 का प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत है।



(एस.एन.मिश्रा)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग

विभाग की प्रशासनिक संरचना

1. जनजातीय कार्य विभाग की प्रशासकीय संरचना निम्नानुसार है:-

1.1 राज्य मंत्रालय

मंत्रालय स्तर पर प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग के अधीन एक सचिव, दो उपसचिव तथा एक अवर सचिव पदस्थ है ।

2. विभागाध्यक्ष एवं विभाग के अधीनस्थ प्रमुख कार्यालय/ संस्थाएँ

2.1 आयुक्त, जनजातीय कार्य

2.2 संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था

2.3 संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ

2.4 संचालक, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह

2.5 मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

2.6 मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम

2.6 उद्यमी विकास संस्थान

2.7 वन्या प्रकाशन

2.8 मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद्

2.9 राजीव गांधी खाद्यान्न सुरक्षा मिशन

2.10 मध्यप्रदेश ट्रायबल वेलफेयर रेसीडेन्सियल एण्ड आश्रम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसायटी

2.11 मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण

2.12 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह हेतु तीन प्राधिकरण-

1. बैगा, विकास प्राधिकरण

2. भारिया विकास प्राधिकरण

3. सहरिया विकास प्राधिकरण

3. राज्य सरकार अंतर्गत विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम

1. मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995)
2. अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा नियम 2008
3. म.प्र. अनुसूचित जाति एवं जनजाति का (आकस्मिकता योजना) नियम 1995 संशोधित नियम 2014 पुनः संशोधित 2016
4. अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती विकास एवं विद्युतिकरण योजना नियम 2017
5. छात्रावास संचालन नियम 1966-67
6. आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम 1995 एवं संशोधन 2017

4. अधिकार क्षेत्र

- अनुसूचित जनजाति के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान हेतु योजनाओं का संचालन।
- मांग संख्या-33,53 तथा 64 में अनुसूचित जनजाति कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन।
- वन अधिकार अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनजातीय कार्य विभाग को भारत सरकार द्वारा नोडल विभाग घोषित।

5. विभाग तथा विभाग के अधीनस्थ प्रमुख कार्यालय/संस्थाओं के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय

विभाग के अंतर्गत संपादित किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं :-

1. अनुसूचित जनजातियाँ (उन विषयों को अपवर्जित करते हुए जो कि अन्य विभागों के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्दिष्ट आते हैं)।
2. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण तथा जनजातियों के हित संरक्षण हेतु जनजातीय मंत्रणा परिषद
3. जनजातीय अनुसंधान तथा विकास संस्था
4. जनजातीय क्षेत्रों में समाज सेवाओं का समन्वय
5. एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम तथा जनजातीय परियोजनाएँ
6. जनजातीय उप आयोजना की अवधारणा तथा अनुमान
7. जनजातीय क्षेत्र विकास योजना तथा अनुसंधान

8. ऐसी सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ पदस्थापना, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, सेवानिवृत्ति वेतन, पदोन्नतियाँ, भविष्य निधि, प्रतिनियुक्तियों, दण्ड तथा अभ्यावेदन।
 9. जनजातीय कार्य विभाग में पदस्थ विभागीय अमले से संबंधित समस्त प्रशासनिक नियंत्रण।
 10. शैक्षणिक/आवासीय/रोजगारमूलक संस्थाओं का संचालन।
 11. अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक उत्थान तथा समाज की मुख्य धारा में उन्हें लाने हेतु योजनाओं का संचालन ।
- **संचालक, आदिमजाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ :-**
 1. आदिवासी उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना की वार्षिक एवं निर्देशित योजना तैयार करना ।
 2. आदिवासी उपयोजना तथा अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत विभिन्न विकास विभागों की योजनाओं का अनुश्रवण तथा मूल्यांकन।
 3. विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना तैयार करना एवं उनका क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण।
 4. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना तैयार करना एवं उनका क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण।
 5. अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
 - **संचालक, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह -**
 1. विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के विकास के लिए योजना बनाना एवं उनका क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण।
 - **संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं विकास संस्था -**
 1. अनुसूचित जाति तथा जनजाति से संबंधित सर्वेक्षण, अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन अध्ययन ।

2. अनुसूचित जनजाति के रीति रिवाजों एवं रहन-सहन तथा सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आयामों से संबंधित अध्ययन एवं दस्तावेजीकरण ।
3. आदिवासी क्षेत्रों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण ।
4. अनुसूचित जाति, जनजाति के जाति संबंधी मामलों का अध्ययन ।
5. संस्था में स्थित लघु संग्रहालय का संचालन ।
6. छिन्दवाड़ा जिले में स्थापित संस्था से सम्बद्ध बादल भोई आदिवासी संग्रहालय का संचालन ।

• **संभाग स्तर**

संभागीय कार्यालय

जनजातीय कार्य विकास के अंतर्गत आयुक्त के अधीन संभाग स्तर पर उपायुक्त कार्यालय भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम (होशंगाबाद) तथा चम्बल (मुरैना) में गठित है ।

संभागीय उपायुक्तों के दायित्व -

- विभागीय संस्थाओं का प्रशासनिक नियंत्रण एवं निरीक्षण तथा विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन/अनुश्रवण ।
- सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों तथा विशिष्ट शैक्षणिक संस्थाओं, स्कूलों, छात्रावासों एवं आश्रमों का निरीक्षण ।

क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र/नियोजन इकाई :-

- जबलपुर, रीवा एवं इन्दौर संभागीय मुख्यालयों में संचालित

• **जिला स्तर -**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं पदेन अपर आयुक्त

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अंतर्गत आदिवासी जनसंख्या बाहुल्य जिलों में आदिवासी विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को जनजातीय कार्य विभाग का पदेन अपर आयुक्त घोषित किया गया है तथा प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार भी प्रत्यायोजित किये गये हैं।

सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य :-

मध्यप्रदेश के 26 जिलों में सहायक आयुक्त के कार्यालय यथा - जबलपुर, मंडला, डिण्डोरी, छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, रतलाम, झाबुआ, धार, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, होशंगाबाद, बैतूल, अलीराजपुर, सिंगरौली, श्योपुर, उमरिया, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर तथा सागर में स्थापित है।

जिला संयोजक :-

25 जिलों में जिला संयोजक के कार्यालय यथा - नरसिंहपुर, कटनी, रीवा, सतना, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, भिण्ड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर, देवास, नीमच, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर, हरदा एवं आगर-मालवा हैं।

• परियोजना स्तर -

परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ

मध्यप्रदेश में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र अंतर्गत, योजनाओं के निर्माण, बजट प्रबंधन, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा संबंधित विभिन्न विकास विभागों के बीच आवश्यक समन्वय स्थापित करने के लिए 26 वृहद परियोजनाएँ, 05 मध्यम परियोजनाएँ, 30 माडा पाकेट्स (मॉडीफाइड ऐरिया डेव्लपमेंट एजेसी) एवं 06 लघु अंचल अस्तित्व में हैं, जिनमें परियोजना प्रशासक/परियोजना अधिकारी पदस्थ हैं।

• विकास खण्ड स्तर -

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत)

राज्य के 89 आदिवासी विकास खण्डों की जनपद पंचायतों में विभाग के अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के पद स्वीकृत हैं। ये अधिकारी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करते हैं ।

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी

89 आदिवासी विकास खण्डों में से 74 विकास खण्डों में आदिवासी विकास विभाग के विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पदस्थ हैं। विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्रांतर्गत संचालित विभागीय शालाओं के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण का कार्य संपन्न करते हैं ।

- **विशेष पिछड़ी जनजाति समूह प्राधिकरण -**

भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश की 03 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति में अनुसूचित अधिसूचित किया गया है ये हैं :- बैगा, भारिया एवं सहरिया । बैगा, भारिया एवं सहरिया विशेष पिछड़ी जनजाति के लिये राज्य स्तरीय अभिकरणों का गठन किया गया है । प्रत्येक अभिकरण में इन्हीं जातियों के एक अध्यक्ष तथा तीन अशासकीय सदस्य मनोनीत रहेंगे ।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु योजनाएँ बनाने व क्रियान्वयन करने हेतु 11 अभिकरण कार्यरत हैं, जिनका कार्य क्षेत्र 15 जिलों में है।

अभिकरण मुख्यालय एवं उनके कार्यक्षेत्र -

मुख्यालय	कार्यक्षेत्र
अ. सहरिया विकास अभिकरण :	
1. श्योपुरकलां	श्योपुरकलां/मुरैना/भिण्ड जिला
2. शिवपुरी	शिवपुरी जिला
3. गुना	गुना एवं अशोकनगर जिला
4. ग्वालियर	ग्वालियर/दतिया जिला
ब. बैगा विकास अभिकरण:	
1. मंडला	मंडला जिला
2. शहडोल	शहडोल जिला
3. बालाघाट	बालाघाट जिला
4. उमरिया	उमरिया जिला
5. डिण्डोरी	डिण्डोरी जिला
6. अनूपपुर	अनूपपुर जिला
स. भारिया विकास अभिकरण (पातालकोट)	
1. तामिया	जिला छिन्दवाड़ा के विकासखण्ड तामिया के पातालकोट क्षेत्र के 12 ग्राम

म.प्र. की अनुसूचित जनजातियाँ : एक परिचय

“अनुसूचित जनजातियाँ” पद सर्वप्रथम भारत के संविधान में प्रकट हुआ । अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजातियों को ऐसी आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासी समुदाय का भाग या उनके समूह के रूप में, जिन्हें इस संविधान के उद्देश्य के लिये अनुच्छेद (342) में अनुसूचित जनजातियाँ माना गया है, परिभाषित किया गया है।

भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा मध्यप्रदेश के लिये जारी अनुसूचित जनजातियों की सूची संशोधन (1976) में इन्हें 46 समुदाय के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया था। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 8 जनवरी 2003 द्वारा म.प्र. की अनुसूचित जनजातियों की सूची में अंकित क्रमशः कीर, मीना एवं पारधी जनजातियों को सूची से विलोपित किया गया है। इस प्रकार मध्यप्रदेश में कुल 43 अनुसूचित जनजाति समूह अधिसूचित है।

मध्यप्रदेश, भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला राज्य है । वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 तथा जनजाति जनसंख्या 1,53,16,784 है । यह प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.09 प्रतिशत है।

राज्य आयोजना में प्रावधानित जनजातीय मद में प्रावधानित बजट राशि का विभाजन राज्य योजना आयोग एवं संबंधित विकास विभागों के परामर्श से जनजातियों के लिये चिन्हांकित की गई महत्वपूर्ण योजना हेतु किया जाता है ।

भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकार मान्यता प्राप्त) अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनजातीय कार्य विभाग को नोडल विभाग घोषित किया है, तदनुसार राज्य में प्राथमिकता से यह कार्य किया जा रहा है ।

अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु म.प्र.शासन के जनजातीय कार्य विभाग के कार्यक्रमों में शैक्षणिक कार्यक्रम प्रमुख है । प्रदेश के 89 विकास खण्डों में विभाग द्वारा प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक शालाएँ संचालित की जा रही है । शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिये उक्त शालाओं के अतिरिक्त विशिष्ट आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन भी किया जा रहा है । वर्तमान में 2629 छात्रावास/आश्रम एवं 139 अन्य आवासीय संस्थाओं सहित कुल 2768 आवासीय संस्थाओं का संचालन

किया जा रहा है। साथ ही विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों की स्वीकृति एवं वितरण का दायित्व भी है।

इस प्रकार विभाग जनजातियों के विकासार्थ शैक्षणिक, आर्थिक एवं अन्य विकास योजनाएँ जो उनके विकास में सहायक है, संचालित कर जनजातीय विकास की दिशा में सतत् प्रयासरत है।

देश की तुलना में मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति पर एक नजर

भारत सरकार जनगणना 2011 के आधार पर आंकड़ों का विवरण

क्र.	विवरण	भारत	मध्यप्रदेश
1	कुल जनसंख्या	1,21,05,69,573	7,26,26,809
	पुरुष जनसंख्या	62,31,21,843	3,76,12,306
	महिला जनसंख्या	58,74,47,730	3,50,14,503
2	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	104,281,034	1,53,16,784
	अनुसूचित जनजाति पुरुष जनसंख्या	5,24,09,823	77,19,404
	अनुसूचित जनजाति महिला जनसंख्या	5,18,71,211	75,97,380
3	अनुसूचित जनजाति का कुल जनसंख्या से प्रतिशत	8.60	21.09
	म.प्र. में अ.ज.जा. जनसंख्या का देश की अ.ज.जा. की जनसंख्या से प्रतिशत	-	14.70
4	अनुसूचित जनजाति की ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या	93,819,162	1,42,76,874
		90 प्रतिशत	92 प्रतिशत
5	अनुसूचित जनजाति की शहरी क्षेत्र की जनसंख्या	10,461,872	10,39,910
		10 प्रतिशत	8 प्रतिशत
6	कुल जनसंख्या में दशकीय वृद्धि	17.69 %	20.35%
	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि	23.66%	25.20%
7	समस्त परिवारों की संख्या	24,66,92,667	1,49,67,597

	अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या	2,33,29,105	32,13,683
8	लिंगानुपात - समस्त	940	931
	लिंगानुपात - अनुसूचित जनजाति	990	984
9	साक्षरता दर - समस्त	73.00 %	69.30 %
	साक्षरता दर समस्त पुरुष	80.90 %	78.70 %
	साक्षरता दर समस्त महिला	64.60 %	59.20 %
10	साक्षरता दर - अनुसूचितजनजाति	59.00 %	50.55 %
	साक्षरता दर - अनुसूचित जनजाति पुरुष	68.50 %	59.55 %
	साक्षरता दर - अनुसूचित जनजाति महिला	49.40 %	41.47 %
11	कुल क्षेत्रफल (लाख वर्ग किमी में)	32.87	3.08
12	जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.)	368	236
	अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.)	32	50
13	आदिवासी उपयोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या		155.24 लाख
	आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में अनु.जनजाति की जनसंख्या		101.17 लाख
14	आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का क्षेत्रफल (लाख वर्ग किमी में)	6.41	0.98
15	कुल अनुसूचित जनजातियाँ	705	43

मध्यप्रदेश में कुल/अनुसूचित जनजाति - साक्षरता प्रतिशत (जनगणना 2011)

	कुल	पुरुष	महिला
कुल साक्षर संख्या/साक्षरता प्रतिशत			
कुल	42851169 (69.30)	25174328 (78.70)	17676841 (59.20)
ग्रामीण	28281986 (63.90)	17054982 (74.70)	11227004 (52.40)
शहरी	14569183 (82.80)	8119346 (88.70)	6449837 (76.50)

अनुसूचित जनजाति साक्षर संख्या/साक्षरता प्रतिशत			
कुल	6313661 (50.55)	3734771 (59.55)	2578890 (41.47)
ग्रामीण	5723449 (49.32)	3400814 (58.43)	2322635 (40.15)
शहरी	590212 (66.73)	333957 (73.99)	256255 (59.16)

बजट विहंगावलोकन

जनजातीय कार्य विकास के लिये वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये विभागीय बजट में कुल रुपये 589014.68 लाख का प्रावधान किया गया था, उक्त प्रावधान के विरुद्ध दिसम्बर 2017 तक कुल रुपये 348556.65 लाख का व्यय किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रावधानित राशि में से मदवार व्यय की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	मद/मांग संख्या	वर्ष 2015-2016		वर्ष 2016-2017		वर्ष 2017-18 (माह दिसम्बर-17)	
		प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
	मांग संख्या-33	161266.15	130452.12	174894.62	137547.92	382635.17	183977.66
	मांग संख्या-64	—	—	—	—	28024.91	25356.06
	मांग संख्या-53	—	—	—	—	178354.60	139222.93
	मांग संख्या -74	54272.80	49845.51	62413.72	58908.70	—	—
	मांग संख्या -75	19872.54	16511.84	22318.65	22317.75	—	—
	योग	235411.49	196809.47	259626.99	218774.37	—	—
(अ)	मांग संख्या-41	155032.02	112449.12	163127.00	115597.73	—	—
(ब)	मांग संख्या-52	120193.87	84077.73	121708.72	113809.75	—	—
	योग	275225.89	196526.85	284835.72	229407.48	589014.68	348556.65
	महायोग	510637.38	393336.32	544462.71	448181.85	589014.68	348556.65

આયુક્ત, જનજાતીય કાર્ય



विभाग द्वारा संचालित विभिन्न आश्रम, छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय ।



जनजातीय कार्य

जनजातीय कार्य विभाग प्रदेश सरकार के प्रमुख विभागों में से एक हैं। इस विभाग को अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संरक्षण तथा विकास का दायित्व सौंपा गया है। इस दायित्व के निर्वहन हेतु विभाग जहाँ एक ओर अपने स्तर पर सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक योजनाएँ संचालित कर रहा है वहीं दूसरी ओर आदिवासी उपयोजना तथा अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत विभिन्न विभागों को प्राप्त होने वाली धनराशि के अनुश्रवण हेतु नोडल विभाग का दायित्व भी निर्वहन कर रहा है।

जनजातीय विकास योजनाएँ

संविधान में आदिवासी समाज को सुदृढ़ता की श्रृंखला में बाँधने का प्रयास सुरक्षा और संरक्षण प्रदान कर किया है। भारत सरकार द्वारा योजना के प्रारंभ में आदिवासी उपयोजना की रणनीति स्वीकार करने के पश्चात् मध्यप्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र तथा 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले जिले, तहसीलों एवं विकास खंडों को इकाई मानकर आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का निर्धारण किया गया व विभिन्न परियोजना क्षेत्र चिन्हित किये गये। प्रदेश की जनजातियों के विकास हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न विकास विभागों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास संबंधी अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र 3.08 लाख वर्ग किलोमीटर का 3.18 प्रतिशत (0.98 लाख वर्ग किलोमीटर) क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के रूप में चिन्हांकित है। वर्तमान में मध्यप्रदेश में आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत 31 एकीकृत आदिवासी परियोजनाएँ (जिनमें 26 वृहद, 05 मध्यम), 30 माडा पॉकेट (मॉडीफाइड एरिया डव्हलपमेंट एजेंसी) एवं 06 लघु अंचल संचालित है, जिनके द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में अधोसंरचना विकास कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं ताकि जनजातीय क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके। प्रत्येक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के लिये परियोजना सलाहकार मंडल गठित है। जिसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ऐसे माडा पॉकेट एवं लघु अंचल जिनका किसी परियोजना से संबंध नहीं है उनके लिये जिला अनुसूचित कल्याण समिति, परियोजना सलाहकार मण्डल का दायित्व निर्वहण करती है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु विभागीय कार्यक्रमों में शैक्षणिक योजनाएँ प्रमुख हैं। विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में शालाओं के संचालन के साथ-साथ शैक्षणिक प्रोत्साहन देने वाली अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। विभाग द्वारा जनजातीय परिवारों के लिए आर्थिक उत्थान हेतु भी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।

इन वर्गों के उत्थान में स्वैच्छिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसी अशासकीय संस्थाओं को विभाग द्वारा अनुदान दिया जा रहा है, जो इन वर्गों के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन करती हैं। इस प्रकार विभाग द्वारा जनजाति वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं।

वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में संचालित प्रमुख विभागीय योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

शैक्षणिक संस्थाएँ

शिक्षा किसी भी योजना की सफलता के लिये प्रथम आवश्यकता है। जनजातियों के लिये शिक्षा की महत्ता को समझते हुये संविधान के अनुच्छेद 15(4) एवं धारा 46 में अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा के विकास के लिये विशेष उपबन्धों का उल्लेख किया गया है। इसी के परिणाम स्वरूप आदिवासियों के लिये स्कूल तथा कालेज स्तर पर योजनाएँ बनी हैं। विभाग द्वारा प्राथमिक शाला से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के संचालन के साथ-साथ जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ भी दी जाती हैं।

दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय विद्यार्थियों को शिक्षा-सुविधा देने के लिये आश्रम शालाएँ तथा अतिरिक्त विशिष्ट आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। आश्रम शाला, विद्यालयों एवं आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन का उद्देश्य शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, नेतृत्व क्षमता का विकास तथा शाला त्यागी (ड्राप आउट) दर को कम करना है।

वर्ष 2017-18 में विभाग द्वारा निम्नानुसार शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।

क्र.	संस्था का नाम	संख्या
1.	प्राथमिक शालाएँ	12643
2.	माध्यमिक शालाएँ	4369
3.	हाई स्कूल	805

4.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	786
5.	आदर्श आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	08
6.	कन्या शिक्षा परिसर	72
7.	शासकीय गुरुकुलम विद्यालय	04
8.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	29
9.	विशेष पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालय	03
10.	क्रीड़ा परिसर	23
11.	आश्रम	1083
12.	जूनियर छात्रावास	199
13.	सीनियर छात्रावास	979
14.	उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास	216
15.	महाविद्यालयीन छात्रावास	152

1. शालाएँ

विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के 89 आदिवासी विकासखण्डों में प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शालाओं का संचालन किया जा रहा है। जिनकी सूची निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम	स्वीकृत संस्थाएँ	संचालित संस्थाएँ
1.	प्राथमिक शालाएँ	12643	12643
2.	माध्यमिक शालाएँ	4369	4369
3.	हाई स्कूल	805	805
4.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	786	786
5.	आदर्श आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	08	08
6.	कन्या शिक्षा परिसर	82	72
7.	शासकीय गुरुकुलम विद्यालय	04	04

शैक्षणिक संस्थाएं एवं दर्ज संख्या

क्र	संस्था विवरण	संस्था संख्या	अनुसूचित जनजाति		कुल	
			बालक	बालिका	बालक	बालिका
1.	प्राथमिक शालाएँ	12643	495744	476591	627650	613950
2.	माध्यमिक शालाएँ	4369	249806	233348	346123	333269
3.	हाई स्कूल	805	118899	116841	178937	179747
4.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	786	46759	47684	79494	82970
5.	आदर्श उ.मा.वि.	08	997	488	1213	557
6.	कन्या शिक्षा परिसर	72	0	9715	0	10424
7.	शासकीय गुरुकुलम विद्यालय	04	137	136	182	186

विशिष्ट/आवासीय संस्थाएँ तथा प्रवेशित विद्यार्थी

क्र.	संस्था का नाम	बालक		कन्या		योग	
		संस्थाएँ	संख्या	संस्थाएँ	संख्या	संस्थाएँ	संख्या
1.	आदर्श उ.मा.वि. विद्यालय	08	1001	0	0	08	1568
2.	आवासीय कन्या शिक्षा परिसर	0	0	72	9939	72	9939
3.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	28	4317	1	4372	29	8689
4.	क्रीड़ा परिसर	17	1700	6	600	23	2300
5.	आश्रम	570	38938	513	29628	1083	68566
6.	जूनियर छात्रावास	172	8661	27	1370	199	10031
7.	सीनियर छात्रावास	752	39297	227	13041	979	52338
8.	उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास	108	5400	108	5400	216	10800
9.	महाविद्यालयीन छात्रावास	84	5000	68	3635	152	8635

10.	आवासीय आदर्श विद्यालय (विशेष पिछड़ी जनजाति सह शिक्षा)	—	478	—	324	03	802
11	शासकीय गुरुकुलम आवासीय विद्यालय	—	182	—	186	04	378
	योग	1739	104974	1022	68495	2768	174046

सकल नामांकन दर :-

क्र.	विवरण	भारत		मध्यप्रदेश	
		अ.ज.जा.	समस्त	अ.ज.जा.	समस्त
1	कक्षा 1 से 5 (6से 10 वर्ष)	116.7	106.5	128.00	124.30
2	कक्षा 6 से 8 (11 से 13 वर्ष)	75.50	82.00	81.20	95.50
3	कक्षा 1 से 8 (6 से 13 वर्ष)	101.80	97.40	111.70	113.70
4	कक्षा 9 से 10 (14 से 15 वर्ष)	53.8	66.60	44.70	68.60
5	कक्षा 1 से 10 (6 से 15 वर्ष)	92.80	91.30	100.00	105.10
6	कक्षा 11 से 12 (16 से 17 वर्ष)	32.30	45.90	33.10	54.20
7	कक्षा 9 से 12 (14 से 17 वर्ष)	43.90	56.80	39.50	61.80
8	कक्षा 1 से 12 (6 से 17 वर्ष)	84.50	84.50	91.60	97.70

(Source: Statistics Of School Education)

शाला त्यागी दर :-

विवरण	भारत						मध्यप्रदेश					
	बालक		बालिका		योग		बालक		बालिका		योग	
	अ.ज. जा.	समस्त	अ.ज. जा.	समस्त	अ.ज. जा.	समस्त	अ.ज. जा.	समस्त	अ.ज. जा.	समस्त	अ.ज. जा.	समस्त
कक्षा 1 से 5	36.10	23.40	34.40	21.00	35.30	22.30	31.70	31.20	23.50	23.10	27.80	27.40
कक्षा 1 से 8	57.30	41.50	57.10	40.00	57.20	40.80	61.40	46.40	57.30	43.30	59.50	44.90
कक्षा 1 से 10	64.40	48.60	67.60	52.20	65.90	50.30	55.40	32.00	71.70	53.70	63.00	42.30

(Source: Statistics Of School Education)

विभाग द्वारा संस्थाओं का उन्नयन :-

वर्ष 2016-17 में 40 माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूलों में उन्नयन एवं 36 हाईस्कूलों का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन तथा 18 अतिरिक्त संकाय स्वीकृत किये गये । वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में 40 हाईस्कूलों का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन का लक्ष्य रखा गया है ।

2. कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना :-

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संकल्प 37 के अंतर्गत समेकित छात्रवृत्ति योजना के तहत आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है । इस योजनांतर्गत कक्षा 10वीं उत्तीर्ण कक्षा 11वीं में प्रवेशित बालिकाओं को रुपये 3000/- प्रोत्साहन राशि दी जाती है । वर्ष 2017-18 से योजना में लाभ के लिये पालक/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा राशि रुपये 6.00 लाख तक निर्धारित की गई है ।

वर्ष	व्यय (राशि लाखों में)	उपलब्धि
2016-17	1344.57	44819
2017-18	80.84 (दिसम्बर 2017)	2694
2018-19	45000 बालिकाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है।	

3. अनुसूचित जनजाति बालिकाओं हेतु नवीन सायकिल प्रदाय योजना :-

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 से कक्षा 9वीं में जिन अनुसूचित जनजाति छात्राओं को सायकिल प्रदाय नहीं की गई है उन्हें कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर स्कूल शिक्षा विभाग की दर अनुसार राशि प्रदाय की जाती है । ऐसी अनुसूचित जनजाति वर्ग की बालिकायें जो कक्षा 11वीं में अध्यापन के लिये 02 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर करती हैं, उन्हें योजना का लाभ प्राप्त होगा।

वर्ष	व्यय (राशि लाखों में)	उपलब्धि
2016-17	89.92	8992
2017-18	44.12 (दिसम्बर 2017)	1382
2018-19	37000 बालिकाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है।	

4. मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार योजना

अ- शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार-

वर्ष 2016-17 में रानीदुर्गावती पुरस्कार 07 एवं शंकरशाह पुरस्कार 06 प्रदान किये गये जिसमें प्रथम पुरस्कार 51000/- द्वितीय पुरस्कार 31000/- एवं तृतीय पुरस्कार 21000/- की राशि प्रदान की गई। म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य विभाग के पत्र क्र.एफ 12-13/2017/25-2/1535 दि.19.9.17 द्वारा शंकरशाह एवं रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की मेरिट में प्रथम 3 स्थान पर आने वाले बालक या बालिका तथा अगले 3 स्थान पर आने वाली बालिकाओं के लिये आरक्षित किये गये हैं तथा समान प्राप्तांक/स्थान होने पर समान पुरस्कार राशि प्रदान की जायेगी। माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल द्वारा वर्ष 2017 में आयोजित कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के (मेरिट सूची से चयनित) 17 पात्र विद्यार्थियों को शंकरशाह एवं रानी दुर्गावती पुरस्कार दिये जाने हेतु चयन किया गया है, जिसमें कक्षा 10वीं के 07 छात्र-छात्राएँ एवं कक्षा 12 वीं के 10 छात्र-छात्राओं को रानी दुर्गावती/शंकरशाह पुरस्कार वितरित किया जायेगा।

ब- अनुसूचित जनजाति बालिका विज्ञान प्रोत्साहन योजना-

म.प्र.शासन, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-13/2017/25-2/1535 दि. 19.09.17 द्वारा अनुसूचित जनजाति बालिका विज्ञान पुरस्कार योजना में माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा आयोजित 12वीं बोर्ड परीक्षा में विज्ञान संकाय में भौतिक, रसायन, जीवविज्ञान एवं गणित विषय के अंकों को ही आधार मानकर इन विषयों के प्राप्तांक को सर्वाधिक अंक से न्यूनतम 90 प्रतिशत की सूची में 10 जनजाति वर्ग की बालिकाओं को रुपये 50000/- के मान से पुरस्कार दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा वर्ष 2017 में आयोजित कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में विज्ञान संकाय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली निम्नांकित 10 बालिकाओं को पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे। वर्ष 2017-18 में मेधावी पुरस्कार योजनांतर्गत 33.00 लाख का प्रावधान स्वीकृत है स्वीकृत प्रावधान से 17 विद्यार्थियों को रानीदुर्गावती एवं शंकरशाह पुरस्कार एवं 10 बालिकाओं को बालिका विज्ञान

प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किये जाने की स्वीकृति जारी कर राशि रु. 5.00 लाख की राशि व्यय की जायेगी।

5. शैक्षणिक संस्थाओं, छात्रावासों हेतु उत्कृष्टता पुरस्कार :-

वर्ष 2017-18 से पूर्व योजना को निम्नानुसार संशोधित कर क्रियान्वयन किया जा रहा है:-

(अ) सीनियर छात्रावास

विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रमों में विद्यार्थियों हेतु उत्कृष्ट व्यवस्था, जनसमुदाय की भागीदारी, छात्रावास/आश्रमों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के समग्र विकास तथा स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना विकसित करने के उद्देश्य से यह योजना स्वीकृत की गयी है। संशोधित योजना प्रस्ताव निम्नानुसार है :-

1. संस्था हेतु पुरस्कार-

- सीनियर छात्रावास का चयन जिला स्तर पर होगा। जिले में चयनित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सीनियर छात्रावास (सुदृढीकरण हेतु) पुरस्कृत किये जावेंगे।
- जिला स्तर पर 03 सीनियर छात्रावासों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार हेतु दी जाने वाली राशि क्रमशः रु. 50,000 /—, 30,000 /—, 20,000 /— होगी।

2. अधीक्षक हेतु पुरस्कार-

- अधीक्षक को जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार हेतु दी जाने वाली राशि क्रमशः रु. 10,000 /—, 5,000 /—, 3,000 /— होगी।
- उक्त योजना आदिवासी बाहुल्य 22 जिलों में लागू होगी।

(ब) विभागीय उच्चतर माध्यमिक शाला एवं हाई स्कूलों के लिए पुरस्कार

1. यह पुरस्कार वार्षिक होंगे।
2. बोर्ड परीक्षा के परिणाम के आधार पर ऐसी उच्चतर माध्यमिक शालायें जिनके कक्षा 12 वीं के परीक्षाफल के कुल विद्यार्थियों के परीक्षाफल का औसत जिले में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहा हो।

3. बोर्ड परीक्षा के परिणाम के आधार पर ऐसी संस्थाओं जिनके कक्षा 10 वीं के परीक्षाफल के कुल विद्यार्थियों के परीक्षाफल का औसत जिले में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहा हो।
4. चयन हेतु ऐसी संस्थाएँ मान्य होंगी जिनमें कक्षा 10वीं एवं 12वीं में पृथक-पृथक न्यूनतम 20 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हों।

जिले की समस्त संस्थाओं का परीक्षाफल विद्यार्थीवार संकलित किया जाकर संस्था का औसत परीक्षा परिणाम जिला स्तर पर तैयार किया जाकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त संस्थाओं का चयन कक्षा 12वीं एवं कक्षा 10वीं हेतु पृथक-पृथक किया जायेगा।

(स) प्राचार्यों हेतु पुरस्कार -

1. **पुरस्कार राशि** - कक्षा 10 वीं एवं कक्षा 12 वीं के पृथक-पृथक परीक्षाफल में प्रथम स्थान हेतु 20,000/- द्वितीय स्थान हेतु 15,000/-, तृतीय स्थान हेतु 10,000/- पुरस्कार राशि से संस्था के प्राचार्यों को सम्मानित किया जायेगा।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	प्रावधान	व्यय	लक्ष्य/उपलब्धि
2016-17	—	29.98	192
2017-18	10.00	—	192

नोट - योजना वर्ष 2018-19 में भी निरंतर रहेगी।

6. विद्यार्थी कल्याण :-

अनुसूचित जनजाति के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आकस्मिक विपत्ति में, विशेष रोग से पीड़ित होने पर इलाज हेतु, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु एवं विशेष अभिरूचि को प्रोत्साहन देने हेतु निम्नानुसार सहायता दी जाती है।

1. विशिष्ट आयोजनों में सम्मिलित होने हेतु पोषाक, परिधान, साज-सज्जा हेतु - 1000 /—
2. विद्यार्थियों को सामूहिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। - 3000 /—
3. निःशक्त छात्र/छात्राओं को ट्रायसाईकल हेतु - 3000 /—

- | | | | |
|----|---|---|-----------|
| 4. | असामयिक विपत्ति | - | 25000 / - |
| 5. | विशेष रोग, कैंसर, टी.बी. हृदय रोग आदि | - | 5000 / - |
| 6. | मृत्यु पर (दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने पर) | - | 25000 / - |

विद्यार्थी कल्याण सहायता नियम 2006 में छात्रावास/आश्रमों में निवासरत रहते हुए मृत्यु होने पर विभागाध्यक्ष को रु. 25000/- स्वीकृति के पूर्ण अधिकार के स्थान पर कलेक्टर को पूर्ण अधिकार शासन के आदेश क्रमांक एफ-12-19/2006/25/पार्ट नस्ती दिनांक 18.07.11 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं।

वर्ष	व्यय (राशि लाखों में)	उपलब्धि
2016-17	137.65	7600
2017-18	35.00 (दिसम्बर 2017)	-
2018-19	8000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।	-

7. विशेष पिछड़ी जनजाति के विद्यार्थियों को गणवेश में प्रदाय:-

प्रदेश के 15 जिलों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, सहरिया एवं भारिया के शैक्षणिक विकास हेतु विशेष प्रोत्साहन अंतर्गत कक्षा 1 से 12वीं तक प्रत्येक विद्यार्थी को प्रति वर्ष गणवेश, स्वेटर, जूते मोजे, बैग दिये जाने की योजना स्वीकृत है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक गणवेश राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा दिये जाते हैं अतः स्वेटर, जूते मोजे के लिये 600/- प्रति विद्यार्थी एवं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को गणवेश, स्वेटर, जूते मोजे, बैग के लिये 1100/- रुपये बैंक खाते में प्रदाय की जाती है।

वर्ष	व्यय (राशि लाखों में)	उपलब्धि
2016-17	812.57	200465
2017-18	780.55 (दिसम्बर 2017)	130000
2018-19	220000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।	-

8. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण :-

विभाग द्वारा संचालित 786 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा गुणवत्ता के लिये पुस्तकालयों में पर्याप्त पुस्तकों की व्यवस्था तथा प्रयोगशालाओं में आवश्यक प्रायोगिक सामग्री की व्यवस्था तथा जीवित संचालन के लिये प्रावधान विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय का कालखण्ड शालावधि के 2 घण्टे उपरांत तक रखा जाकर अध्ययन की सुविधा एवं लायब्रेरी कार्ड बनवाकर नियमित पुस्तकें आदान-प्रदान की जिला स्तर से मॉनीटरिंग कराई जा रही है। प्रयोगशाला में भी सी.बी.एस.ई. के मापदण्ड अनुरूप आवश्यक प्रायोजित सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराकर प्रत्येक विषय के प्रभारी द्वारा कराये गये दैनिक प्रयोगों की सुनिश्चितता प्राचार्यों से कराई जा रही है। जिससे अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं इंजीनियरिंग/मेडिकल में सफलता प्राप्त कर सके।

वर्ष	व्यय (राशि लाखों में)	उपलब्धि
2016-17	455.09	786 संस्थाएँ
2017-18	112.75 (दिसम्बर 2017)	786 संस्थाएँ
2018-19	786 संस्थाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।	-

9. विज्ञान एवं सामूहिक विषयों में प्रवेश हेतु प्रोत्साहन योजना

कक्षा 10वीं उत्तीर्ण जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं विज्ञान संकाय में प्रवेश लेने पर 2000/- रुपये प्रोत्साहन राशि तथा कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके बी.एस.सी. भौतिकी, रसायन, गणित, जीव विज्ञान में प्रवेश लेने पर 3000/- रुपये प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।

वर्ष	व्यय (राशि लाखों में)	उपलब्धि
2016-17	433.44	24678
2017-18	263.32 (दिसम्बर 2018)	10530
2018-19	25000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।	-

10. सैनिक स्कूल/प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति -

“शिक्षा के अधिकार अधिनियम” के समान प्रावधान के कारण वर्ष 2017-18 से योजना में सैनिक स्कूल रीवा को छोड़कर पब्लिक स्कूलों में नवीन प्रवेश की फीस प्रतिपूर्ति के प्रावधान को समाप्त किया गया है। नवीन विद्यार्थियों को प्रवेश न दिया जाकर जो विद्यार्थी पूर्व से अध्ययनरत हैं उन्हें कक्षा 12वीं तक शुल्क की प्रतिपूर्ति की जावेगी।

सैनिक स्कूल में प्रवेश छात्रवृत्ति - म.प्र. के अनुसूचित जनजाति बालकों के छात्रवृत्ति के लिये म.प्र. सरकार की पृथक छात्रवृत्ति योजना है। सैनिक स्कूल रीवा में अनुसूचित जनजाति के लिये 7.5 प्रतिशत सीट आरक्षित है। सैनिक स्कूल रीवा में प्रवेश के लिए विभाग द्वारा म.प्र. के अनुसूचित जनजातियों के ऐसे छात्र जो सैनिक स्कूल रीवा में प्रवेश प्राप्त करते हैं का सम्पूर्ण व्यय वहन करने की योजना संचालित की जा रही है।

वर्ष	व्यय (राशि लाखों में)	उपलब्धि
2016-17	234.55	96
2017-18	161.53 (दिसम्बर 2018)	66
2018-19	66 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।	-

11. अनुसूचित जनजाति प्रतिभा योजना-

अनुसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों का राष्ट्रीय प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से प्रतिष्ठित संस्थाओं में प्रवेश हेतु चयन होने पर पुरस्कार राशि दी जाती है। म.प्र. शासन जनजातीय कार्य विभाग के आदेश क्र/एफ 12-16/25-2/1359 दि. 24.09.16 द्वारा स्वीकृत प्रतिभा योजना में विभागीय संस्थाओं के विद्यार्थियों के स्थान पर प्रदेश के सभी अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है।

राज्य शासन के आदेश क्रमांक/एफ 12-14/2017/25-2/1467 दिनांक 24.09.2017 द्वारा योजना में निम्न संशोधन किये गये हैं :-

1. योजनांतर्गत पात्रता हेतु अभ्यर्थी के माता-पिता/पालकों/स्वयं के समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपये 6.00 लाख से अधिक न हो ।
2. योजनांतर्गत राष्ट्रीय संस्थानों में प्रवेश लेने पर निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि देय होगी ।
3. विद्यार्थियों को देय प्रोत्साहन राशि :-

क्र	पाठ्यक्रम	प्रोत्साहन राशि
1	(जे.ई.ई.)आई.आई.टी.	50,000
2	एम्स	50,000
3	एन.डी.ए.	50,000
4	क्लेट से एन.एल.आई.यू.	50,000
5	(नीट) मेडिकल कॉलेज (शासकीय कालेज	25,000
6	(जे.ई.ई.) एन.आई.टी.	25,000

योजना के लिये वर्ष 2017—18 से 2019—20 तक 400.00 लाख की राशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है ।

12. क्रीड़ा परिसर

क्रीड़ा परिसर का परिचय :- जनजातीय कार्य विभाग के आदिवासी छात्र-छात्राओं की खेल प्रतिभा विकसित करने के लिये विभाग द्वारा प्रदेश में 23 विभागीय क्रीड़ा परिसर संचालित है । इनमें से 17 बालक तथा 06 कन्या क्रीड़ा परिसर संचालित है ये क्रीड़ा परिसर पूर्णतः आवासीय है प्रत्येक क्रीड़ा परिसर में 100 सीट स्वीकृत है ।

क्र	क्रीड़ा परिसर के नाम	जिला
1	बा. क्रीड़ा परिसर कालपी	मण्डला
2	क. क्रीड़ा परिसर शाहपुरा	डिण्डौरी
3	बा. क्रीड़ा परिसर तामिया	छिन्दवाडा
4	बा. क्रीड़ा परिसर बैहर	बालाघाट

5	बा. क्रीड़ा परिसर कुरई	सिवनी
6	बा. क्रीड़ा परिसर शाहपुर	बैतूल
7	क. क्रीड़ा परिसर बैतूल	बैतूल
8	बा. क्रीड़ा परिसर चुरहट	सीधी
9	बा. क्रीड़ा परिसर बाजना	रतलाम
10	बा. क्रीड़ा परिसर सरदारपुर	धार
11	क. क्रीड़ा परिसर डही	धार
12	बा. क्रीड़ा परिसर बड़वानी	बड़वानी
13	क. क्रीड़ा परिसर निवाली	बड़वानी
14	बा. क्रीड़ा परिसर इन्दौर	इन्दौर
15	बा. क्रीड़ा परिसर जबलपुर	जबलपुर
16	बा. क्रीड़ा परिसर खरगोन	खरगोन
17	बा. क्रीड़ा परिसर श्योपुर	श्योपुर
18	बा. क्रीड़ा परिसर अमरकंटक	अनूपपुर
19	क. क्रीड़ा परिसर अमरकंटक	अनूपपुर
20	क. क्रीड़ा परिसर झाबुआ	झाबुआ
21	बा. क्रीड़ा परिसर अलीराजपुर	अलीराजपुर
22	बा. क्रीड़ा परिसर शहडोल	शहडोल
23	बा. क्रीड़ा परिसर खालवा	खण्डवा

क्रीड़ा परिसरों का उद्देश्य जनजातीय वर्ग के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को उत्कृष्ट खिलाड़ियों के रूप में तैयार करना एवं उन्हें नियमित प्रशिक्षण देकर विभिन्न खेल विद्याओं में राज्यस्तरीय/राष्ट्र स्तरीय/ एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में शामिल कराकर खेल प्रतिभा का विकास करना है।

प्रत्येक क्रीड़ा परिसर में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को रुपये 100/- प्रतिदिवस के मान से रुपये 3000/- प्रतिमाह खाने एवं पोषण आहार हेतु राशि दी जा रही है इसके अतिरिक्त वर्ष में एक बार प्रत्येक

खिलाड़ी को रुपये 3000/- खेल किट के रूप में सुविधाएँ दी जा रही है इसके अतिरिक्त छात्रावासों में दी जाने वाली समस्त सुविधाएँ इन छात्र एवं छात्राओं को प्रदाय की जाती है।

मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग का पत्र क्रमांक एफ -03-08 / 2014 / 2-25 / 1321 भोपाल दिनांक 16.9.2016 के अनुसार कन्या क्रीड़ा परिसर इटारसी जिला होशंगाबाद, बालक क्रीड़ा परिसर उमरिया एवं बालक क्रीड़ा परिसर बुरहानपुर में खोलने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है । किन्तु भवन निर्माण नहीं होने के कारण क्रीड़ा परिसर संचालित नहीं किये गये है । विभाग के 23 क्रीड़ा परिसरों में से 07 क्रीड़ा परिसरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी।

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन एवं पुरस्कार योजना :-

विभाग द्वारा संचालित क्रीड़ा परिसरों एवं अन्य शालाओं के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिये राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर एवं प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया जाता है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पदक हेतु व्यक्तिगत में राशि रुपये 21000/- सामूहिक में राशि रुपये 10000/- द्वितीय पुरस्कार को 15000/- सामूहिक में रुपये 7000/- तृतीय पुरस्कार हेतु व्यक्तिगत में राशि रुपये 11000/- सामूहिक में रुपये 5000/- सहभागिता प्राप्त पुरस्कार में राशि रुपये 4000/- दिया जाता है । इसी प्रकार शालायें राज्य स्तर में प्रथम को रुपये 7000/- द्वितीय को रुपये 5000/- तथा तृतीय को 3000/- पुरस्कार की राशि प्रदान की जाती है ।

उपलब्धियाँ वर्ष 2016-17 :-

क्रीड़ा परिसरों के खिलाड़ियों द्वारा वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय स्तर पर 237 खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर स्थान (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) स्थान प्राप्ति एवं सहभागिता की गई है। प्रथम पुरस्कार में 25 (स्वर्ण पदक) द्वितीय में 16 (रजक पदक) तृतीय में 18 (कांस्य पदक) एवं सहभागिता में 178 कुल 237 खिलाड़ियों द्वारा स्थान एवं सहभागिता प्राप्त किया । इसी प्रकार शालायें राज्य स्तर में प्रथम में 167 (स्वर्ण पदक) द्वितीय में 121 (रजक पदक) तथा तृतीय में 238 (कांस्य पदक) कुल 526 खिलाड़ियों द्वारा स्थान प्राप्त कर पदक प्राप्त किये गये है ।

उपलब्धियाँ वर्ष 2017-18 :-

वर्ष 2017-18 में 23 क्रीड़ा परिसरों में 07 क्रीड़ा परिसरों (बालक इंदौर, बालक श्योपुर, बालक खरगोन, बालक शहडोल, कन्या शहपुरा जिला डिण्डोरी, कन्या डही जिला धार, कन्या झाबुआ) का चिन्हांकन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु किया गया है।

खेल विधाएँ :-

क्रीड़ा परिसर में विभिन्न प्रकार की खेल विधाएँ संचालित की जा रही है । जैसे कबड्डी, खो-खो, व्हालीबाल, फुटबाल, बास्केटबाल, रोड साईकलिंग जूडो कराटे, रोप स्कीपिंग, कुश्ती, हेंडबाल, थ्रोबाल, डॉजबाल, हॉकी, तीरंदाजी, रस्साकशी, योगा, एथलेटिक्स, उंची कूद, लम्बी कूद, त्रिकूद, गोला फेंक, हेमर इत्यादि खेल विधाओं का अभ्यास कराया जाकर राज्य स्तर/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में सम्मिलित कराया जाता है ।

13. आवासीय संस्थाएँ-छात्रावास योजना

प्रदेश के जनजातीय वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के लिये विभाग द्वारा छात्रावास योजना संचालित की जा रही है। कक्षा 01 से लेकर 12वीं तक स्कूली शिक्षा हेतु एवं महाविद्यालयीन कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के लिये छात्रावास एवं आवास सहायता योजना संचालित की जा रही है। छात्रावास में छात्र एवं छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा- भवन, बिजली एवं पानी, भोजन व्यवस्था, फर्नीचर, बिस्तर सामग्री, पुस्तकालय, कोचिंग जैसी अन्य आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती है। छात्रावासों को निम्नानुसार पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :-

1. आश्रम शालाएँ (कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8)
2. जूनियर छात्रावास (कक्षा 6 से 8वीं)
3. सीनियर छात्रावास- जिला स्तरीय उत्कृष्ट छात्रावास, विकासखण्ड स्तरीय उत्कृष्ट छात्रावास, सामान्य सीनियर छात्रावास (सभी कक्षा 9 से 12 वीं)
4. महाविद्यालयीन छात्रावास (कक्षा 12 वीं से ऊपर)
5. 04 संभाग स्तरीय उत्कृष्ट छात्रावास (प्रावीण्य छात्रों द्वारा कोचिंग करने हेतु)

विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे है छात्रावासों की संख्या तथा स्वीकृत सीट्स इस प्रकार है:-

क्र.	छात्रावास के प्रकार	छात्रावासों की संख्या			स्वीकृत सीट संख्या		
		कन्या	बालक	कुल	कन्या	बालक	कुल
1	आश्रम	513	570	1083	29628	38938	68566
2	जूनियर छात्रावास	27	172	199	1370	8661	10031
3	सीनियर छात्रावास	227	752	979	13041	39297	52338
4	उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास	108	108	216	5400	5400	10800
5	महाविद्यालयीन छात्रावास	68	84	152	3635	5000	8635
	योग	943	1686	2629	53074	97296	150370

नोट :- 04 आश्रम बालक/ कन्या संयुक्त रूप से संचालित है ।

आश्रम-

विभाग द्वारा संचालित 1083 आश्रम शालाओं में कक्षा 01 से 05 एवं 06 से 08 के छात्र एवं छात्राएँ निवासरत है। आश्रम शालाओं में रहने वाले छात्र एवं छात्राओं को निःशुल्क आवास हेतु भवन, बिजली एवं पानी, फर्नीचर, बिस्तर सामग्री, खेलकूद एवं अन्य आधार भूत सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती है। निःशुल्क भोजन हेतु प्रति माह बालक को राशि रु. 1090/- एवं बालिकाओं को 1130/- 10 माह हेतु शिष्यवृत्ति प्रदाय की जाती है ।

आश्रम शालाओं में निवासरत छात्रों को एक ही स्थान पर आवासीय एवं शैक्षणिक सुविधा प्रदाय की जाती है अर्थात् छात्र का विद्यालय एवं आवास सुविधा एक ही कैम्पस में होती है। शैक्षणिक सुविधा हेतु अधीक्षक अतिरिक्त अन्य शिक्षकीय स्टाफ पदस्थ रहता है।

जूनियर छात्रावास :-

विभाग द्वारा संचालित 199 जूनियर छात्रावासों में कक्षा 06 से 08 के छात्र एवं छात्राएँ निवास करते हैं । जूनियर छात्रावासों में रहने वाले छात्र एवं छात्राओं को निःशुल्क आवास हेतु भवन, बिजली एवं पानी, फर्नीचर, बिस्तर सामग्री, खेलकूद एवं अन्य आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती है। निःशुल्क भोजन हेतु

प्रति माह बालक को राशि रु. 1090/- एवं बालिकाओं को 1130/- 10 माह हेतु शिष्यवृत्ति प्रदाय की जाती है ।

सीनियर छात्रावास :-

विभाग द्वारा संचालित 979 सीनियर छात्रावासों में 09 से 12वीं के छात्र एवं छात्राएँ निवास करते हैं । सीनियर छात्रावासों में रहने वाले छात्र एवं छात्राओं को निशुल्क आवास हेतु भवन, बिजली एवं पानी, फर्नीचर, बिस्तर सामग्री, खेलकूद एवं अन्य आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती है। निशुल्क भोजन हेतु प्रतिमाह बालक को राशि रु. 1090/- एवं बालिकाओं को 1130/- 10 माह हेतु शिष्यवृत्ति प्रदाय की जाती है ।

महाविद्यालयीन छात्रावास :-

विभाग द्वारा संचालित 152 महाविद्यालयीन छात्रावासों में महाविद्यालयीन कक्षाओं के छात्र एवं छात्राएँ निवास करते हैं । महाविद्यालयीन छात्रावासों में रहने वाले छात्र एवं छात्राओं को निशुल्क आवास हेतु भवन, बिजली एवं पानी, फर्नीचर, बिस्तर सामग्री, खेलकूद एवं अन्य आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती है। निशुल्क भोजन हेतु प्रति माह बालक को राशि रु. 1090/- एवं बालिकाओं को 1130/- 10 माह हेतु शिष्यवृत्ति प्रदाय की जाती है ।

उत्कृष्ट छात्रावास-

विभाग द्वारा संचालित 38 जिला स्तरीय (19 जनजातीय बाहुल्य जिलों में) उत्कृष्ट छात्रावास, 178 (89 जनजातीय विकासखण्डों में) विकासखण्ड स्तरीय छात्रावास अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के 50 सीटर उत्कृष्ट छात्रावास इस प्रकार कुल मिलाकर 216 उत्कृष्ट छात्रावासों में कक्षा 09 से 12वीं के छात्र एवं छात्राएँ निवास करते हैं । सीनियर छात्रावासों में रहने वाले छात्र एवं छात्राओं को निशुल्क आवास हेतु भवन, बिजली एवं पानी, फर्नीचर, बिस्तर सामग्री, खेलकूद एवं अन्य आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती है। निशुल्क भोजन हेतु प्रति माह बालक को राशि रु. 1090/- एवं बालिकाओं को 1130/- 10 माह हेतु शिष्यवृत्ति प्रदाय की जाती है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त उत्कृष्ट छात्रावासों में विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग सुविधा, रु. 100 प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी को पोषण आहार, 2000 रु. प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष स्टेशनरी की सुविधा छात्र/छात्राओं को प्रदाय की जाती है।

वर्ष 2016-17 में 20 नवीन 50 सीटर प्री-मैट्रिक छात्रावास, 05 नवीन-50 सीटर आश्रम एवं 80 नवीन-50 सीटर पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोले गए हैं।

वर्ष	व्यय (राशि लाखों में)	उपलब्धि
	प्री-मैट्रिक छात्रावास	
2016-17	9749.77	75797
2017-18	16259.08 (दिसम्बर 2018)	63138
2018-19	-	—
	पोस्ट मैट्रिक छात्रावास	
2016-17	890.63	13450
2017-18	823.60 (दिसम्बर 2018)	8635
2018-19	-	—
	आश्रम	
2016-17	11727.52	68316
2017-18	13870.63 (दिसम्बर 2018)	74069
2018-19	-	—

नोट - बजट प्रावधान में वर्ष 2017-18 तक प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास का उल्लेख है।

वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर तक प्रावधान एवं व्यय का विवरण :-

- वर्ष 2017-18 में 30 नवीन सीनियर छात्रावास एवं 10 महाविद्यालयीन छात्रावास इस प्रकार कुल 40 छात्रावास 50 सीटर खोला जाना प्रस्तावित है।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजना क्रमांक 1398 प्री-मैट्रिक छात्रावास में माह दिसम्बर तक राशि रुपये 20632.26 लाख प्रावधान के विरुद्ध राशि रुपये 16259.08 लाख व्यय किये जाकर 63138 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजना क्रमांक 6502 पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास में माह दिसम्बर तक राशि रुपये 1803.06 लाख प्रावधान के विरुद्ध राशि रुपये 823.60 लाख व्यय किये जाकर 8635 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजना क्रमांक 0494 एवं 0495 आश्रम शाला में माह दिसम्बर तक राशि रुपये 21102.61 लाख प्रावधान के विरुद्ध राशि रुपये 13870.63 लाख व्यय किये जाकर 74069 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है ।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजना क्रमांक 7562 सीनियर उत्कृष्ट छात्रावास में माह दिसम्बर तक राशि रुपये 978.00 लाख प्रावधान के विरुद्ध राशि रुपये 452.47 लाख व्यय किये जाकर 74069 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है ।
- वर्ष 2016-17 में प्रावधान राशि रुपये 1272.68 लाख के विरुद्ध माह राशि रुपये 641.80 लाख व्यय की गई । वर्ष 2017-18 में इन छात्रावासों में 10800 छात्र/छात्राएँ निवासरत/अध्ययनरत हैं ।

14. आवास भत्ता सहायता योजना -

विभाग द्वारा जनजातीय बालक एवं बालिकाओं को अपने गृह निवास से बाहर महाविद्यालयीन एवं उच्च स्तर की शिक्षा निरन्तर रखने के लिए शासन आदेश क्रमांक एफ 12-06/2013/25-2/1860 दिनांक 23/12/2016 से आवास सहायता योजना नियम वर्ष 2016 जारी किये हैं । जिन्हें महाविद्यालयीन शिक्षा हेतु छात्रावास उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, उनको आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु आवास सहायता योजना के तहत छात्रों को प्रतिमाह सम्भाग स्तर पर राशि रुपये 2,000/- जिला स्तर पर राशि रुपये 1,250/- एवं विकासखण्ड/तहसील स्तर मुख्यालय पर राशि रुपये 1,000/- दिए जाने का प्रावधान है ।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	व्यय	उपलब्धियाँ
2016-17	7200.89	47517
2017-18	5582.12 (दिसम्बर 2018)	39622
2018-19	70,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।	—

15. जनजाति के छात्र/छात्राओं को दिल्ली में उच्च शिक्षा -

विभाग द्वारा जनजाति के छात्र/छात्राओं को दिल्ली में उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु आवासीय एवं भोजन व्यवस्था के लिए प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष देय राशि रुपये 20,600/- के स्थान पर राशि में वृद्धि करते हुए आवासीय एवं भोजन व्यवस्था के लिए एक मुश्त अनुदान प्रतिमाह रुपए 10,000/- के मान से प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष राशि रुपए 1,20,000/- स्वीकृत की गयी है।

16. राज्य छात्रवृत्ति -

विभाग अन्तर्गत राज्य छात्रवृत्ति योजना (10 माह हेतु) संचालित है जो कि कक्षा 01 से 10 तक निम्नानुसार है:-

क्रमांक	बालक (वार्षिक)	बालिका (वार्षिक)
कक्षा 1 से 5	250/- (केवल विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों के लिए)	250 / -
कक्षा 6 से 8	200 / -	600 / -
कक्षा 9 से 10	600 / -	1300 / -

राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 01 से 10 एवं पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं 12वीं का वितरण वर्ष 2013-14 से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष 2017-18 में छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत निम्नानुसार राशि आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय के बी.सी.ओ.कोड 2003 में अंतरित की गई। इसी प्रकार विभाग अंतर्गत, जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों/माता पिता की वार्षिक आय 2.00 लाख से कम है, उन विद्यार्थियों के लिए केन्द्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना भी (कक्षा 9वीं, 10वीं) संचालित है :-

वर्ष 2017-18

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	आवंटित राशि
1	6175 राज्य छात्रवृत्ति	9000.00
2	2676 पो.मे. छात्रवृत्ति	3000.00
3	1392 राज्य छात्रवृत्ति	1800.00

		2000.00
		1000.00
		5000.00
4	8805 प्राथमिक स्तर के बालक/बालिकाओं को छात्रवृत्ति (कक्षा 1 से 5)	820.00 750.00 1450.00
5	8844 कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन कक्षा 11वीं	350.00 240.00 400.00
योग		25810.00

राज्य/केन्द्र छात्रवृत्ति योजना “कक्षा 01 से कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन” योजना की प्रगति :-

वर्ष	लाभान्वित विद्यार्थी	व्यय राशि (लाख में)
2016—17	2026729	22514.00

वर्ष 2013—14 से राशि आयुक्त, लोक शिक्षण के बी.सी.ओ. में (कक्षा 01 से, 11वीं एवं 12वीं) स्थानांतरित की जा रही है, वितरण हेतु नोडल अधिकारी आयुक्त, लोक शिक्षण है ।

17. कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजना (राज्य योजना मद अंतर्गत):-

अ- शासकीय एवं शासकीय स्ववित्त पोषी शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आय सीमा का बंधन समाप्त किया जाकर निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था की गई है।

ब- अशासकीय संस्थानों में अध्ययनरत इस वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावकों/माता पिता जिनकी वार्षिक आय रु. 6.00 लाख तक है, उन्हें प्रवेश एवं फीस नियामक समिति एवं निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की गई वास्तविक शैक्षणिक शुल्क का भुगतान विद्यार्थी के बैंक खाते में किया जाता है।

वर्ष 2017—18 में राशि रु. 248 करोड़ के विरुद्ध माह दिसम्बर 2017 तक 75.34 करोड़ की राशि व्यय की जाकर 78866 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2018—19 में राशि रु. 200 करोड़ के विरुद्ध 287000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

18. विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति योजना -

उद्देश्य :-

अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों में गुणवत्ता पूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 50 छात्र/छात्राओं को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विदेश से शिक्षा प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को निम्न वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है :-

1. प्रतिवर्ष वास्तविक शिक्षण शुल्क अथवा 40000 यू.एस. डॉलर वार्षिक जो भी कम हो का भुगतान सीधे विश्वविद्यालय को किया जावेगा।
2. निर्वाह भत्ता अधिकतम 9000 यू.एस. डॉलर वार्षिक देय होगा।
3. आकस्मिकता भत्ता अधिकतम 1000 यू.एस. डॉलर वार्षिक देय होगा।
4. इसके अतिरिक्त वीजा शुल्क, पोलटेक्स शुल्क एवं बीमा प्रीमियम, निवास स्थान से विमानपतन तक जाने एवं वापसी का द्वितीय श्रेणी का रेल/बस किराया एवं शैक्षणिक संस्थान के निकटतम स्थान तक वायु मार्ग से जाने एवं वापसी का इकोनोमी क्लास का वास्तविक किराया देय होगा।

(राशि रुपये लाखों में)

वर्ष	व्यय	उपलब्धियाँ
2016—17	146.12	05
2017—18	126.82 (दिसम्बर 2018)	03
2018—19	50 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।	—

19. बोर्ड परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति :-

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10 वीं बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा शुल्क की राशि विभाग द्वारा मंडल को भुगतान की जाती है :-

(राशि रुपये लाख में)

क्रमांक	वर्ष	प्रावधान	व्यय	लाभान्वित संख्या
1	2016—17	140.00	126.00	56149
2	2017—18	140.00	126.00	—

20. सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

म.प्र. प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक, मुख्य एवं साक्षात्कार में सफल होने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु “सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन” योजना संचालित की जा रही है।

(अ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले जनजातीय वर्ग के अभ्यर्थियों को :-

प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 40,000/-

मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 60,000/-

साक्षात्कार उपरांत सफल होने पर 50,000/-

अखिल भारतीय सिविल सेवा में उपरोक्तानुसार प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की पात्रता के लिए आय सीमा का बंधन नहीं होगा।

(ब) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले जनजातीय के सफल प्रतियोगियों को जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रुपये 8.00 लाख से अधिक न हो, को:-

प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 20,000/-

मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 30,000/-

साक्षात्कार उपरांत सफल होने पर 25,000/-

दूसरी बार सफलता प्राप्त करने पर अभ्यर्थी को उपरोक्त उल्लेखित राशि की 50 प्रतिशत राशि देय होगी।

वर्ष	व्यय (राशि रु. लाखों में)	उपलब्धि (अभ्यर्थी)
2016-17	280.53	1403
2017-18	99.98	498
2018-19	500 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।	

21. अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा हेतु निजी संस्थाओं द्वारा कोचिंग

- अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी संघ लोक सेवा आयोग की विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो, इस हेतु दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से कोचिंग दिलाये जाने हेतु **अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा के लिये निजी कोचिंग योजना** स्वीकृत की गई है।
- अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे आवेदकों को, जो कि म.प्र. लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुये हों (विगत 3 वर्षों में कभी भी), को योजना का लाभ लेने के लिये प्रथमतः सीधे चयनित किया जावेगा, तथा शेष सीटों के लिये जो आवेदक स्नातक उत्तीर्ण हैं, उनके लिये संकायवार सूची तैयार कर कला, वाणिज्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग समूह एवं चिकित्सा समूह हेतु स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर, मेरिट के आधार पर लक्ष्य अनुसार समान अनुपात में चयन किया जावेगा। किसी संकाय में आवेदन कम प्राप्त होने पर उनकी रिक्त सीट अन्य संकायों में समान रूप से अंतरित की जावेगी।

योजनांतर्गत पात्र अभ्यर्थियों की समस्त स्रोतों से आय सीमा रु. 6.00 लाख से अधिक न हो।

- योजनांतर्गत प्रतिवर्ष 100 अभ्यर्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- दिल्ली स्थित 04 इम्पेंनल्ड कोचिंग संस्था (1. दृष्टि द विजन, 2. अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम, 3. बाजीराम एण्ड रवि, 4. श्रीराम आई.ए.एस.) में से किसी एक कोचिंग संस्था में अभ्यर्थी प्रवेश ले सकते हैं। कोचिंग संस्था का चुनाव अभ्यर्थी स्वयं करेंगे।

- योजना नियम अनुसार पात्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु इम्पेनल्ड कोचिंग संस्था के माध्यम से अधिकतम 18 माह की कोचिंग दिलाई जायेगी।
- अभ्यर्थियों को शिष्यवृत्ति, परिवहन सुविधा, आवास सुविधा, भोजन सुविधा हेतु सहायता राशि रु. 12,500/- प्रतिमाह तथा पुस्तकों हेतु राशि रु. 15,000/- (एक बार) सहायता राशि प्रदान की जाती है।
- कोचिंग फीस अधिकतम राशि रुपये 2.00 लाख देय होगी।
- कोचिंग संस्थानों को कोचिंग शुल्क का भुगतान सीधे विभाग द्वारा किया जायेगा।

वर्ष	व्यय (राशि रु. लाखों में)	उपलब्धि (अभ्यर्थी)
2016-17	75.06	48
2017-18	57.92 (दिसम्बर 2017 तक)	61
2018-19	100 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।	

22. सेटेलाईट के माध्यम से शिक्षा योजना -

सुदूर आदिवासी अंचलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने एवं अध्ययन अध्यापन में तकनीक का प्रयोग कर शिक्षा के स्तर में सुधार करने हेतु योजनांतर्गत चयनित 50 शैक्षणिक संस्थाओं को एस.आई. टी. केन्द्र, (सेटेलाईट इन्टरेक्टिव टर्मिनल) बनाया गया है। ये 50 एस.आई.टी. केन्द्र विभाग के विशिष्ट विद्यालयों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (08), आदर्श विद्यालय (02), कन्या शिक्षा परिसर, क्रीड़ा परिसर (05), उत्कृष्ट विद्यालय (23), उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (12) में संचालित है। सेटेलाईट के माध्यम से मुख्यालय स्थित टीचिंग एंड भोपाल से विभागीय 50 एस.आई.टी. केन्द्रों में द्विमार्गी आडियो, वीडियो (टू.वे.वीडियो) पद्धति अंतर्गत विषय विशेषज्ञों द्वारा, ईसरो द्वारा उपलब्ध कराई गई सी.डी. के माध्यम से, रिकार्डिंग वीडियो द्वारा सीधे प्रसारण करके, विषय वस्तु का शिक्षण एवं प्रशिक्षण कराये जाने का उद्देश्य है। एस.आई. टी. केन्द्रों में प्रसारण के दौरान प्रतिदिन 2500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाता है।

आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग भोपाल में स्थापित टीचिंग एड कक्ष से प्रतिदिन प्रातः 10.00 से 2.00 बजे तक शैक्षणिक प्रसारण किया जाता है जिसके लिये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार पाठ्यक्रम का समयबद्ध प्रसारण के लिये शैक्षणिक व्याख्यान आयोजित करवाया जाता है।

23. मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना हेतु मेपसेट को अनुदान

आदिवासी बाहुल्य जिलों में युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना अंतर्गत विभागीय 09 प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र पूर्व से संचालित 10 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों (भारत सरकार से वित्त पोषित), 28 नवीन व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र कुल 47 प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं। राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये शिक्षित अथवा कम पढ़े लिखे बेरोजगार आदिवासी युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार उपलब्ध कराने एवं उनके तकनीकी कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से रोजगारोन्मुखी योजना संचालित की जा रही है। विगत वर्षों में यह योजना युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के माध्यम से संचालित की जा रही थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 से यह योजना नवीन स्वरूप में “मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना हेतु मेपसेट को अनुदान” मेपसेट के माध्यम से संचालित होगी। योजनांतर्गत प्रतिवर्ष 2000 युवाओं को लाभांशित करने का लक्ष्य रखा गया है।

(राशि रु. लाखों में)

वर्ष	प्रावधान	व्यय	लक्ष्य	उपलब्धि (अभ्यर्थी)
2016-17	800.00	358.09	10000	3979

24. अधिकारियों / कर्मचारियों का प्रशिक्षण

विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशासकीय कार्य कुशलता में वृद्धि किये जाने के लिए प्रतिवर्ष विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जाते हैं इसी प्रकार विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित शासकीय संस्थाओं के माध्यम से विषयवार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाना योजना का उद्देश्य है।

25. शैक्षणिक संस्थानों के भवनों का निर्माण कार्य

राज्य शासन के बजट में छात्रावास, आश्रम शाला, एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है ।

वर्ष 2016-17 में स्वीकृत कार्य एवं पूर्व वर्षों के स्वीकृत पूर्ण हुये कार्यों की जानकारी -

क्रं.	भवन का प्रकार	स्वीकृत संख्या	प्रति भवन लागत राशि लाखों में	कुल लागत राशि लाखों में	वर्ष 2017-18 में पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या
1	आश्रम	20	135.00	2700.00	4
2	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	40	143.00	5720.00	22
		2	148.00	296.00	
3	छात्रावास	30	134.66	4039.80	9
4	कन्या शिक्षा परिसर	65	2746.94	178551.10	0
5	क्रीड़ा परिसर	3	1436.00	4308.00	0

वर्ष 2018-19 में प्रस्तावित कार्य

क्र	भवन का प्रकार	स्वीकृत संख्या		योग	प्रति भवन लागत राशि लाखों में	कुल लागत राशि लाखों में
		राज्य मद से	केन्द्र मद से			
1	आश्रम	15	20	35	135.00	4725.00
2	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	65	0	65	157.00	10205.00
3	छात्रावास					
	जूनियर	16	0	16	185.00	2960.00
	सीनियर	71	30	101	206.47	20853.47
	महाविद्यालयीन	47	15	62	206.47	12801.14
4	कन्या शिक्षा परिसर	15	0	15	2746.94	41204.10

26. अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना -

अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/बस्ती/वार्ड में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना यथा- समुचित पेयजल, विद्युत व्यवस्था आंतरिक क्षेत्रों में पक्की सड़के, नाली निर्माण मुख्य सड़क से अनुसूचित जनजाति बस्ती/ग्राम तक सड़क, पुलिया, रपटा, निर्माण, सामुदायिक भवनों का निर्माण (सामाजिक एवं सांस्कृतिक समारोह आदि) के लिये जिलों को राशि उपलब्ध कराई जाती है। म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक एफ 23-15/2005/3-25 दिनांक 07.06.17 द्वारा मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती विकास एवं विद्युतिकरण योजना 2017 के नवीन नियम जारी किये गये हैं ।

योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के प्रावधान एवं व्यय निम्नानुसार हैं :-

(राशि रुपये लाख में)

क्र	वर्ष	प्रावधान	व्यय	कार्य संख्या
1	2016-17	7800.81	6203.31	1120
2	2017-18 (दिसम्बर 2017 तक)	12500.00	6116.56	—

27. प्रतिभाशाली आदिवासी छात्र-छात्राओं के लिए नेतृत्व विकास शिविर का आयोजन -

प्रतिवर्ष 23 जनवरी से 28 जनवरी तक भोपाल में यह शिविर आयोजित किया जाता है । प्रत्येक जिले में कक्षा 10 वीं बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक बालक तथा एक बालिका को आमंत्रित किया जाता है। विशेष पिछड़ी जनजाति के 15 जिलों से विशेष पिछड़ी जनजाति के 10 वीं बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक-एक विद्यार्थी को भी इस शिविर में सम्मिलित किया जाता है।

राज्य स्तरीय नेतृत्व विकास शिविर 2017 में समस्त 51 जिलों से 102 छात्र-छात्राओं तथा 15 पी. टी.जी. जिलों से 30 छात्र-छात्राओं को आमंत्रित किया गया था दिनांक 22 जनवरी 2017 तक के नेतृत्व विकास शिविर में जनजातीय वर्ग के 47 छात्र एवं 46 छात्राओं तथा विशेष पिछड़ी जनजाति समूह वर्ग के 08 छात्र एवं 08 छात्राओं ने भाग लिया ।

मध्यप्रदेश विकास दर्शन यात्रा 2017 में समस्त 51 जिलों से 102 महिला एवं पुरुष तथा प्रदेश से एक महिला एवं एक पुरुष को गणतंत्र दिवस समारोह 2017 नई दिल्ली हेतु आमंत्रित किया गया था ।

दिनांक 25.1.17 से 27.01.17 तक आयोजित कार्यक्रम में वर्ष 2017 में 27 पुरुष आदिवासी प्रतिनिधि तथा 20 महिला आदिवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

गणतंत्र दिवस समारोह 2017 नई दिल्ली हेतु शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा ग्वालियर जिले से जनजाति के एक महिला तथा एक पुरुष का चयन कर दिनांक 22 जनवरी से 03 फरवरी तक गणतंत्र समारोह में भाग लेने हेतु नई दिल्ली भेजा गया ।

नेतृत्व विकास शिविर 2018 —

राज्य स्तरीय नेतृत्व विकास शिविर 2017—18 में समस्त 51 जिलों से 102 छात्र-छात्राओं तथा 15 पी.टी.जी. जिलों से 30 छात्र-छात्राओं को आमंत्रित कर लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

मध्यप्रदेश विकास दर्शन यात्रा 2018 में समस्त 51 जिलों से 102 महिला-पुरुष तथा प्रदेश से एक महिला एवं एक पुरुष को गणतंत्र दिवस समारोह 2018 नई दिल्ली हेतु आमंत्रित कर लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

केन्द्र प्रवर्तित /केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएँ

1. कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजना :-

यह छात्रवृत्ति कक्षा 11 वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को दी जाती है। छात्रवृत्ति की दरें व शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। छात्रवृत्ति का वितरण बैंकों के माध्यम से होता है। समूहवार छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार हैं:-

क्र.	समूह	भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर		राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त राशि
		छात्रावासी	गैर छात्रावासी	
1	समूह प्रथम-(डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंजीनियरिंग)	1500/-	550/-	मेडिकल/इंजीनियरिंग के छात्रावासी हेतु 1500.00 की अंतर राशि
2	समूह द्वितीय-(डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएट अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रम)	820/-	530/-	-
3	समूह तृतीय-(डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएट प्रथम द्वितीय समूह से अन्य)	570/-	300/-	-
4	समूह चतुर्थ (कक्षा 11 वीं एवं 12वीं)	380/-	230/-	कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्रावासी विद्यार्थियों को अंतर राशि बालक को 265.00 एवं बालिका को 290.00

वर्ष 2016-17 में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति अंतर्गत राशि रु. 15510.83 लाख राशि वितरित की गई एवं 255526 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है ।

समूह क्रमांक	लाभार्थी 2016-17	व्यय राशि (लाख में)
समूह प्रथम	17807	3398.20
समूह द्वितीय	17600	2142.33
समूह तृतीय	67764	3999.37

समूह चतुर्थ	152355	5970.93
योग	255526	15510.83

आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रु. 20000.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है। जिससे अनुसूचित जनजाति के 2,87,000 विद्यार्थी लाभान्वित होने का लक्ष्य अनुमानित है।

अशासकीय संस्थाओं में छात्रवृत्ति/शुल्क भुगतान:-

मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के आदेश क्र./एफ-12-18/2017/25-2/32-33 भोपाल दिनांक 08.01.2018 द्वारा मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु. 6.00 लाख तक है, उन्हें प्रवेश एवं फीस नियामक समिति एवं निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की गई वास्तविक शैक्षणिक शुल्क का भुगतान विद्यार्थियों के बैंक खाते में किया जाता है।

कक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत लाभान्वित विद्यार्थी

वर्ष	व्यय	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या
2016-17	15510.83	255526

2. केन्द्रीय प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 एवं 10

विभाग अंतर्गत भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कक्षा 9 एवं 10 वीं के विद्यार्थियों जिनकी वार्षिक आय सीमा 2.00 लाख है, उनके लिए केन्द्रीय प्रवर्तित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है। राज्य शासन की स्वीकृति उपरान्त योजना 2015-16 से प्रारम्भ की गई। इस योजना का क्रियान्वयन लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा किया जाता है।

विषय	दिवा छात्रवृत्ति	हॉस्टलर
10 माह की छात्रवृत्ति	1500.00	3500.00
पुस्तक अनुदान	750.00	1000.00

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रतिमाह अध्ययन भत्ता 160.00 पृथक से देय है।

(राशि रुपये लाख में)

क्र	वर्ष	व्यय राशि	लाभान्वित विद्यार्थी
1	2016—17	833.16	344988.00

वर्ष 2017—18 में बजट प्रावधान राशि रुपये 85000.00 लाख है एवं 3,45,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

3. निर्माण कार्य :-

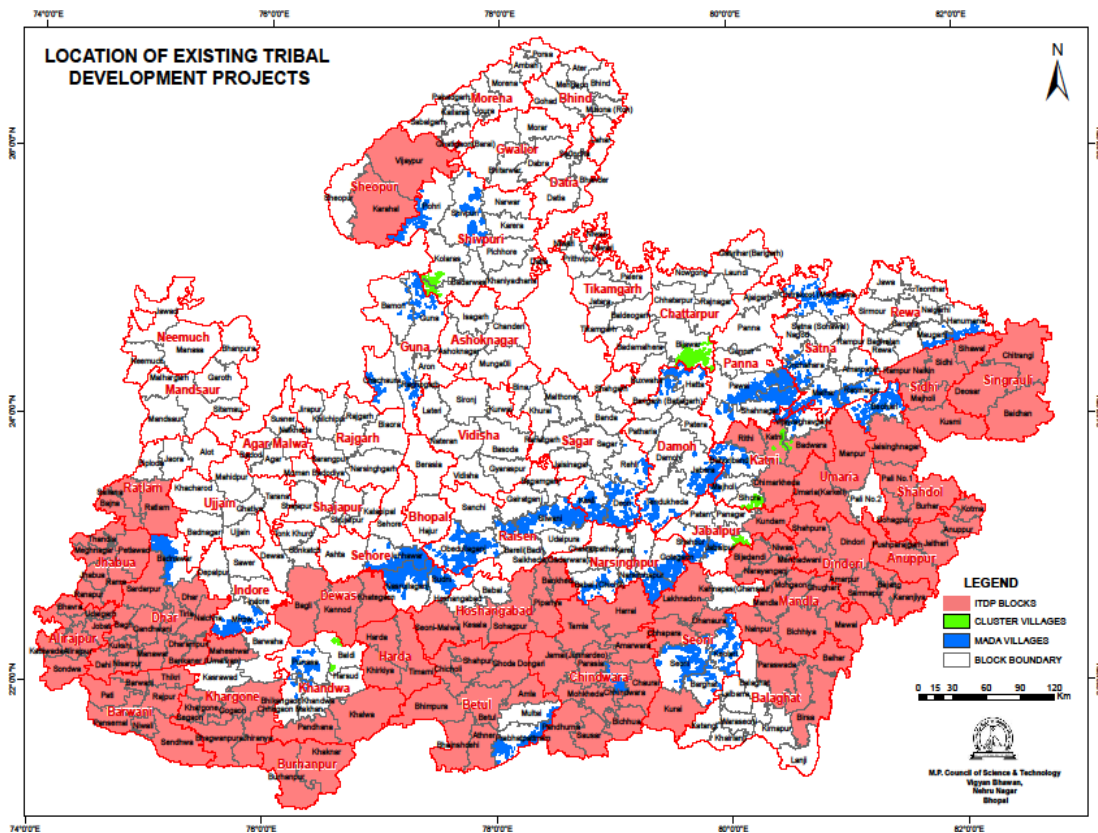
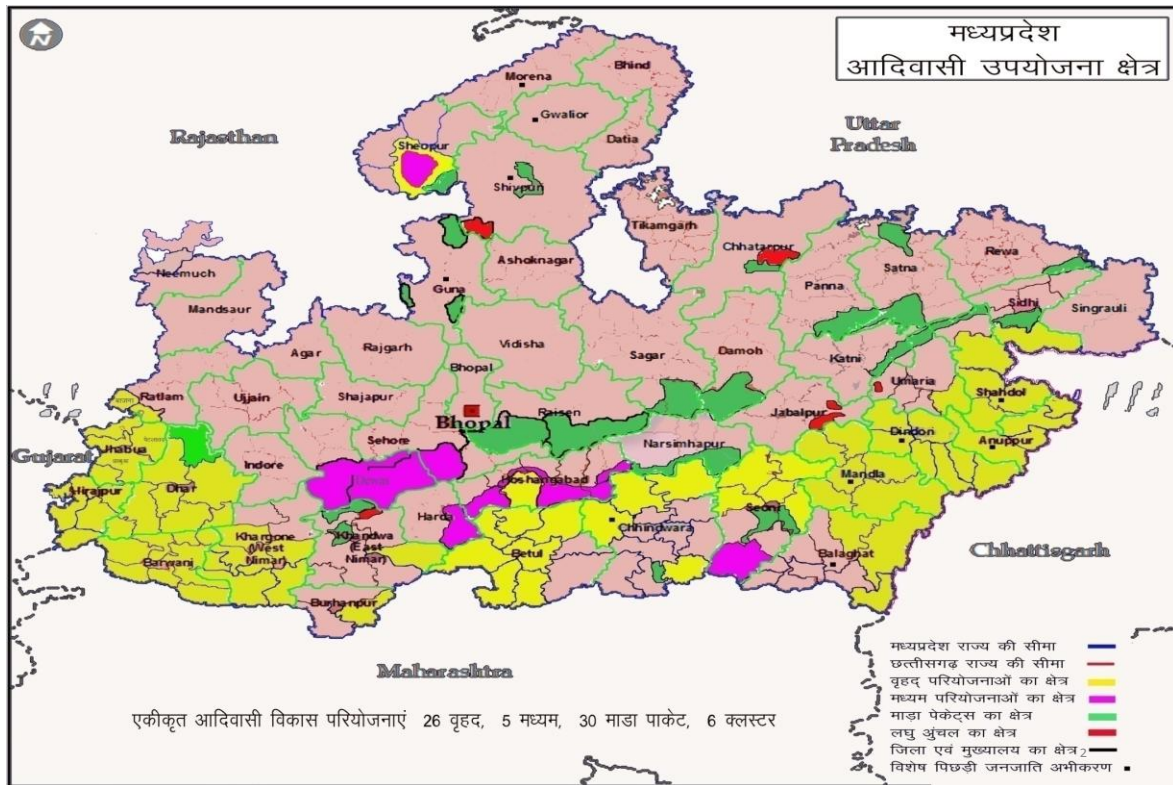
भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय की छात्रावास भवन निर्माण एवं आश्रम शालाओं की स्थापना योजना अन्तर्गत उपयोजना क्षेत्र के बालक छात्रावास/आश्रम शाला के भवनों के लिये कुल लागत का 50 प्रतिशत एवं बालिका छात्रावास/आश्रम शाला के भवनों के लिये 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता राशि से भवन निर्माण कार्य कराये गए हैं। विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि रु. लाखों में)

छात्रावास भवन			
वर्ष	प्रदाय राशि	व्यय	उपलब्धि
2016—17	325.28	325.28	07
आश्रम भवन			
2016—17	175.33	175.33	06

--००--

संचालनालय,
आदिमजाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ,
मध्य प्रदेश



संचालनालय आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ, म.प्र.शासन

आदिवासी उपयोजना

अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु पांचवी पंचवर्षीय योजनाकाल से आदिवासी उपयोजना की रणनीति अपनाई गई। जनजातियों के विकास हेतु विभिन्न विकास विभागों के माध्यम से आर्थिक, मानव -संसाधन, क्षेत्र विकास एवं अन्य विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वर्ष 2017-18 से आयोजना एवं आयोजनेत्तर व्यय के विभेदीकरण समाप्ति पश्चात आर्थिक एवं समाजिक क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिये किये गये प्रावधानों का विभागवार विवरण बजट पुस्तिका के खंड-9 में सब स्कीम के रूप में पृथक से दर्शाया जा रहा है।

नवीं पंचवर्षीय योजनाकाल से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत के मान से कुल राज्य आयोजना राशि नोडल विभाग,जनजातीय कार्य विभाग, राज्य योजना आयोग एवं संबंधित विभागों से परामर्श कर जनजातियों के लिये उपयोगी योजनाओं हेतु किया जाता है।

आदिवासी उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16, वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न विकास विभागों के राज्य योजना मद में प्राप्त बजट प्रावधान, आवंटन एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :-

(राशि रुपये लाख में)

वित्तीय वर्ष	बजट प्रावधान	आवंटन	व्यय
2015-16	841677.98	853958.50	693940.95
2016-17	1069194.41	971397.24	838368.83
2017-18	2586215.40	458449.77	398104.40 (दिसम्बर 2017 की स्थिति में)

अनुसूचित जाति उपयोजना

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जातियों के विकास को गति देने के उद्देश्य से वर्ष 1979-80 से अनुसूचित जाति उपयोजना की अवधारणा अपनाई गई। अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत अनुसूचित जाति परिवारों

के आर्थिक स्तर में वृद्धि, अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/टोलों/मजरे/पारों में मूलभूत सुविधाएँ यथा, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, आवास, पोषण आहार, अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ना जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। अस्पृश्यता निवारण व संवैधानिक नागरिक अधिकार संरक्षण, शोषण से मुक्ति व समाज की मुख्य धारा से जोड़ना भी इन कार्यक्रमों में सम्मिलित है। अनुसूचित जाति जनसंख्या के प्रतिशत के मान से राज्य आयोजना राशि का बंटवारा नोडल विभाग अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, राज्य योजना आयोग एवं संबंधित विभागों से परामर्श कर जनजातियों के लिये उपयोगी योजनाओं हेतु किया जाता है। जिसे विभागों को आवंटित कर अनुसूचित जातियों के विकास हेतु कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से आयोजना एवं आयोजनेत्तर व्यय के विभेदीकरण समाप्ति पश्चात आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिये किये गये प्रावधानों का विभागवार विवरण बजट पुस्तिका के खंड-9 में सब स्कीम के रूप में पृथक से दर्शाया जा रहा है।

अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16, वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न विकास विभागों को राज्य योजना मद में प्राप्त बजट प्रावधान, आवंटन एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :-

(राशि रुपये लाख में)

वित्तीय वर्ष	बजट प्रावधान	आवंटन	व्यय
2015-16	599283.57	646355.98	513064.02
2016-17	824153.65	795148.10	668198.15
2017-18	1638140.29	347040.95	258664.96 (दिसम्बर 2017 की स्थिति में)

एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, माडा पॉकेट तथा लघु अंचल

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र अंतर्गत एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ, माडा पॉकेट तथा लघु अंचल संचालित हैं। प्रत्येक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के लिये परियोजना सलाहकार मण्डल गठित है, जिसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ऐसे माडा पॉकेट एवं लघु अंचल जो किसी परियोजना से संबंधित नहीं है, उनके लिये जिला योजना समिति की उप समिति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति परियोजना सलाहकार मंडल का दायित्व निभा सकेगी।

विशेष केन्द्रीय सहायता

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत दिनांक 17.6.2016 को जारी नवीन दिशा निर्देश अनुसार अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को परिवार/स्व.सहायता समूह/समुदाय मूलक रोजगार सह आय सृजित योजनाओं में यथा. कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम, कौशल विकास, वन एवं स्वास्थ्य गतिविधियों तथा अधोसंरचना विकास कार्यों यथा स्टापडेम, स्टापडेम कम रपटा निर्माण, चेक डेम निर्माण, सोलर ट्यूबवेल, ट्यूबवेल, हैण्डपम्प खनन, नल जल योजना, सी.सी. रोड निर्माण, पुलिया निर्माण, भवन निर्माण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संस्थाओं में मूलभूत एवं निर्माण कार्यों के लिये अनुदान/सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश जनजातीय कार्य मंत्रालय के पोर्टल www.tribal.nic.in पर उपलब्ध हैं।

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के विभिन्न विकास विभागों एवं परियोजनाओं से प्राप्त प्रस्तावों को परीक्षणोपरांत संकलित कर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कार्यपालन समिति के अनुमोदन उपरांत राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली को प्रेषित किये जाते हैं।

भारत सरकार स्तर पर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित प्रोजेक्ट एग्जल कमेटी की बैठक में प्रेषित प्रस्तावों पर चर्चा उपरांत अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की जाती है। अनुमोदित प्रस्तावों पर भारत सरकार से राशि राज्य शासन को निर्गमित की जाती है। आदिवासी उपयोजना, विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत विगत 03 वर्षों की जानकारी निम्नानुसार है:-

(राशि रुपये लाखों में)

वित्तीय वर्ष	भारत सरकार से निर्गमित राशि	भारत सरकार से निर्गमित राशि के विरुद्ध व्यय राशि
2015—16	11501.21	11501.21
2016—17	19236.61	18814.01
2017—18	15345.23	15333.44 (माह जनवरी 2018 तक)

वित्तीय वर्ष 2018—19 हेतु राशि रुपये 30300.00 लाख का प्रावधान रखा जाना प्रस्तावित है।

संविधान के अनुच्छेद 275 (1)

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) अन्तर्गत दिनांक 20.6.2016 को जारी नवीन दिशा निर्देश अनुसार अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को परिवार/स्व. सहायता समूह/समुदाय मूलक रोजगार सह आय सृजित योजनाओं में यथा कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम, कौशल विकास, वन एवं स्वास्थ्य गतिविधियों तथा अधोसंरचना विकास कार्यों यथा स्टापडेम, स्टापडेम कम रपटा निर्माण, चेक डेम निर्माण, सोलर ट्यूबवेल, ट्यूबवेल, हैण्डपम्प खनन, नल जल योजना, सी.सी. रोड निर्माण, पुलिया निर्माण, भवन निर्माण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संस्थाओं में मूलभूत एवं निर्माण कार्यों के लिये अनुदान/सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश जनजातीय कार्य मंत्रालय के पोर्टल www.tribal.nic.in पर उपलब्ध हैं।

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के विभिन्न विकास विभागों एवं परियोजनाओं से प्राप्त प्रस्तावों को परीक्षणोपरांत संकलित कर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कार्यपालन समिति के अनुमोदन उपरांत राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली को प्रेषित किये जाते हैं।

भारत सरकार स्तर पर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित प्रोजेक्ट एग्जल कमेटी की बैठक में प्रेषित प्रस्तावों पर चर्चा उपरांत अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की जाती है। अनुमोदित प्रस्तावों पर भारत सरकार से राशि राज्य शासन को निर्गमित की जाती है। विगत 03 वर्षों की जानकारी निम्नानुसार है : -

(राशि रुपये लाखों में)

वित्तीय वर्ष	भारत सरकार से निर्गमित राशि	भारत सरकार से निर्गमित राशि के विरुद्ध व्यय राशि
2015-16	14845.15	14845.15
2016-17	14971.43	14971.43
2017-18	19405.19	19405.19

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु राशि रुपये 312.59 करोड़ का प्रावधान रखा जाना प्रस्तावित है।

मध्यप्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद

संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण तथा अनुसूचित जनजातियों के हित संरक्षण के लिये सुझाव देने हेतु “म.प्र आदिम जाति मंत्रणा परिषद की नियमावली 1957” लागू की गयी है । म.प्र.शासन आदिम जाति कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रं. /एफ-20-2-2013-3-पच्चीस, दिनांक 8 सितम्बर, 2014 में आदिम जाति मंत्रणा परिषद का पुर्नगठन किया गया है। आदिम जाति मंत्रणा परिषद की अंतिम बैठक दिनांक 17.03.2015 को सम्पन्न हुई।

मध्यप्रदेश में वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का क्रियान्वयन दिनांक 1 जनवरी 2008 से किया जा रहा है। इस अधिनियम को संक्षिप्त नाम वन अधिकार अधिनियम 2006 के नाम से भी जाना जाता है।

वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये सभी जिलों में ग्राम स्तर पर ग्राम वनाधिकार समिति, उपखण्ड स्तर पर उपखंड स्तरीय वनाधिकार समिति एवं जिला स्तर पर जिला स्तरीय वनाधिकार समितियों का गठन किया गया। प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति गठित है।

वन अधिकार का कार्य डिजिटাইज्ड मोड में किया जा रहा है । वन अधिकार पत्र धारकों द्वारा धारित भूमि का नक्शा पी.डी.ए. मशीन से तैयार किया जाकर अधिकार पत्र तैयार किये जा रहे हैं, जिसमें दावाकर्ता का फोटो सहित अन्य जानकारी रहती है । वन अधिकार पत्र धारकों की जानकारी वन विभाग की वेबसाइट www.forest.org पर संधारित की जा रही है ।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत व्यक्तिगत स्वरूप के एवं सामुदायिक स्वरूप के वनाधिकार पत्र दिये जा रहे हैं।

अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के दिनांक 13 दिसंबर 2005 की स्थिति में वन भूमि पर काबिज दावेदार को व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र दिये जा रहे हैं। अन्य परम्परागत वर्ग (अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य) के दिनांक 13 दिसंबर 2005 की स्थिति में वन भूमि पर काबिज ऐसे दावेदारों को व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र दिये जा रहे हैं, जो तीन पीढ़ी अर्थात् 75 वर्ष से वन क्षेत्र में निवासरत हैं।

अधिनियम के प्रावधानों के तहत वन भूमि के परम्परागत रूप से सामुदायिक उपयोग किये जाने से सामुदायिक वनाधिकार पत्र ग्राम सभाओं/वन निवासियों को दिये जा रहे हैं। परम्परागत रूप से सामुदायिक उपयोग में चरनोई के अधिकार, रास्ते के अधिकार, मछली पालन के अधिकार, श्मशान भूमि/घाट के अधिकार, धार्मिक/पूजा स्थल के अधिकार, गौण वन उत्पाद संग्रहण के अधिकार, गौठान के अधिकार, खलियान के अधिकार, जलाशयों में पानी के उपयोग के अधिकार सहित अन्य वे सभी अधिकार सम्मिलित है, जिनका निस्तार वन निवासी वन क्षेत्रों में परम्परागत रूप से करते रहे हैं।

प्रदेश में 31 दिसम्बर 2017 तक दावों की प्रगति निम्नानुसार है।

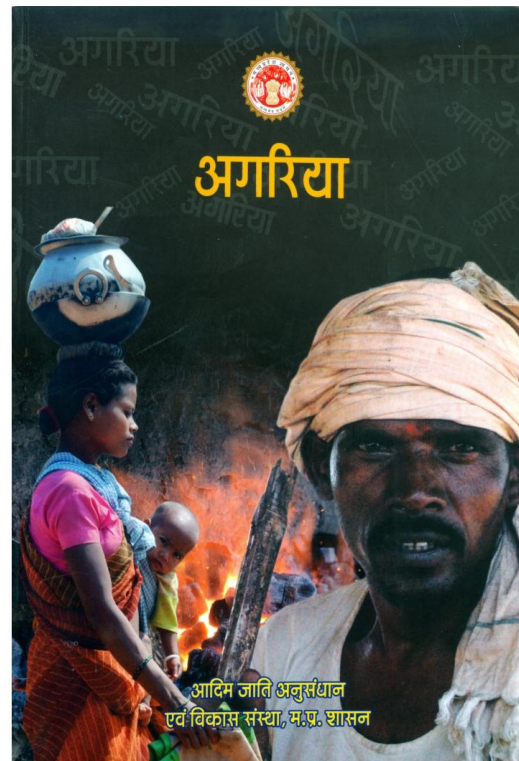
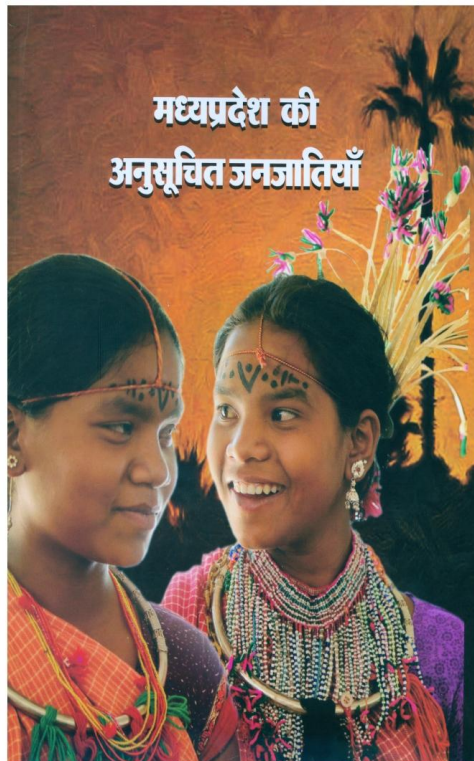
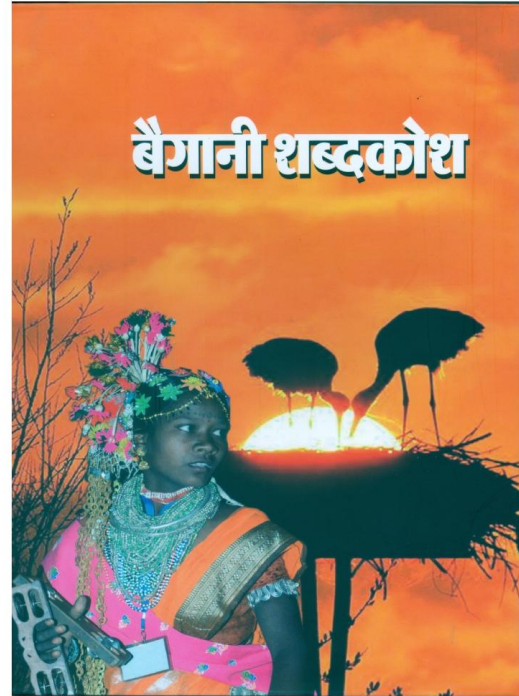
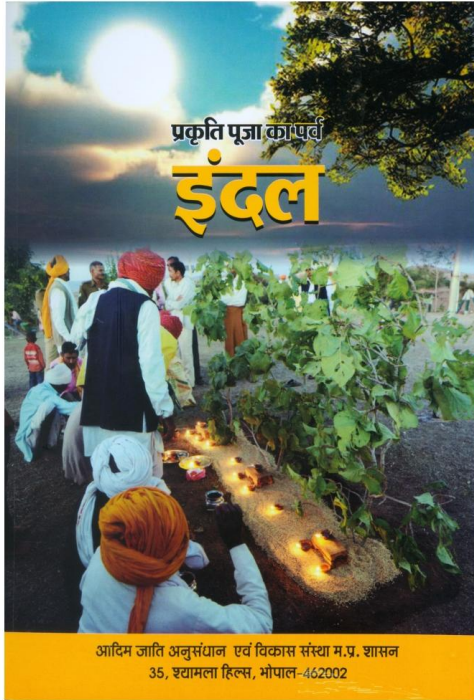
क्र	विवरण	स्थिति
1	प्राप्त दावे	6,16,064
2	निरस्त दावे	3,63,584
3	मान्य दावे	2,52,409
4	निराकरण हेतु लंबित दावे	71
5	वन अधिकार पत्रों का वितरण	2,48,018
6	व्यक्तिगत अधिकार पत्र	2,20,741
7	सामुदायिक अधिकार पत्र	27,275

राज्य की डिण्डौरी जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के बैगा जनजाति की सात बसाहटों में हैबिटेड राइट्स दिये गये हैं। हैबिटेड राइट्स के मामले में भी राज्य देश में अग्रणीय है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन अधिकार पत्र धारकों को शासकीय योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। दिसम्बर 2017 तक वनअधिकार पत्र धारकों को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करते हुए 50124 कपिलधारा कूप, 54079 भूमि सुधार, 21677 डीजल/विद्युत पंप, 55554 आवास स्वीकृत किये गये है ।

--००--

आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था



आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था के प्रकाशन ।



आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यशालाएँ एवं सेमीनार।



छिंदवाड़ा का श्री राज्य बादभोई संग्रहालय एवं आदिरंग का आयोजन ।

आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था

संस्था के दायित्व -

1. प्रदेश की अनुसूचित जनजाति से संबंधित सर्वेक्षण अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन अध्ययन।
2. अनुसूचित जनजाति के रीति रिवाज एवं रहन-सहन तथा उनके भौतिक संस्कृति से संबंधित अध्ययन एवं दस्तावेजीकरण।
3. अनुसूचित जनजाति एवं उनकी उपजातियों के मानवशास्त्रीय अध्ययन।
4. संस्था द्वारा लघु संग्रहालय का संचालन ।
5. राज्य स्तरीय श्री बादल भोई जनजातीय संग्रहालय, छिन्दवाड़ा का संचालन।
6. जनजातीय संस्कृति एवं बोलियों का दस्तावेजीकरण, संरक्षण एवं विकास।
7. आदिवासी क्षेत्रों में पदस्थ विभिन्न विकास विभागों के द्वितीय श्रेणी अधिकारियों एवं कार्यपालिक कर्मचारियों हेतु पुनर्ध्यान प्रशिक्षण।
8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों हेतु अत्याचार निवारण/पंचायत राज (नियम एवं अधिनियम) तथा राजस्व व पुलिस अधिकारियों हेतु जाति प्रमाण-पत्र प्रशिक्षण।
9. जनजातीय लेखों पर आधारित बुलेटिन का अर्धवार्षिक प्रकाशन।

संस्था द्वारा नोडल टी.आर.आई के रूप में कार्य :

भारत सरकार द्वारा देश की अन्य टीआरआई के साथ कार्य समन्वय के दृष्टिकोण से मध्यप्रदेश टीआरआई को सितम्बर 2008 में नोडल टीआरआई बनाया गया है। जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, हिमाचलप्रदेश एवं राजस्थान टीआरआई को शामिल किया गया है।

वर्षवार उपलब्धियाँ-

1. अनुसंधान, मूल्यांकन अध्ययन एवं शोध कार्य :

संस्था द्वारा अनुसूचित जनजाति के विभिन्न आयामों जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जीवन-शैली तथा रीति-रिवाजों पर अनुसंधान, मूल्यांकन एवं शोध कार्य किये जाते हैं, जिनकी उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं :-

क्रं.	विवरण	उपलब्धियाँ		
		वर्ष 2016—17	वर्ष 2017—18 दिसम्बर 17 तक	वर्ष 2018—19 का लक्ष्य
1	2	3	4	5
1	अनुसंधान मूल्यांकन अध्ययन एवं शोध कार्य	16	13	15

2. प्रशिक्षण कार्य :

संस्था द्वारा विभिन्न विषयों पर आदिवासी क्षेत्रों में पदस्थ अधिकारियों तथा कार्यपालिक कर्मचारियों के लिये पुनर्ध्यान प्रशिक्षण, जाति प्रमाण पत्र जारीकर्ता राजस्व अधिकारियों का प्रशिक्षण, जांचकर्ता पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण, अत्याचार निवारण अधिनियम तथा पंचायती राज नियम एवं अधिनियम संबंधी प्रशिक्षण जनप्रतिनिधियों को दिया जाता है। इसके अलावा वर्ष 2016—17 तक अनु.जा./अनु.ज.जा. विभाग के छात्रावास अधीक्षकों को भी छात्रावास प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है। वर्ष 2017—18 से छात्रावास प्रबंधन प्रशिक्षण होटल प्रबंधन संस्थान, भोपाल द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। संचालित प्रशिक्षण सत्रों की उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं :-

क्रं०	विवरण	उपलब्धियाँ (सत्र/प्रशिक्षणार्थी)		वर्ष 2018—19 का लक्ष्य
		वर्ष 2016—17	वर्ष 2017—18 (दिसम्बर 2017 तक)	
1	2	3	4	5
1	आदिवासी पुनर्ध्यान प्रशिक्षण	03 / 66	06 / 84	10 / 300
2	जाति प्रमाण पत्र प्रशिक्षण (राजस्व)	02 / 37	02 / 55	08 / 240
3	जाति प्रमाण पत्र प्रशिक्षण (पुलिस)	05 / 189	03 / 88	08 / 240
4	छात्रावास अधीक्षकों को कैरियर गाइडेंस प्रशिक्षण	07 / 207	01 / 30	स्थगित
5	अत्याचार निवारण/पंचायतराज (नियम एवं अधिनियम) प्रशिक्षण	04 / 57	02 / 42	06 / 180
	योग	22 / 556	14 / 299	32 / 960

1.	अनुसूचित जनजातियों के जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण/कार्यशाला	—	01 / 32	23 / 660
6	पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम 1996 (पेसा) प्रशिक्षण/कार्यशाला	-	स्थगित	07/अनिर्धारित
	योग	-	01 / 32	30 / 660

3. संदर्भ-अन्वेषण संबंधी कार्य :

संस्था द्वारा जातियों से संबंधित प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण कर शासन को अभिमत दिया जाता है। उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :-

क्र०	विवरण	उपलब्धियाँ		
		वर्ष 2016—17	वर्ष 2017—18 (दिसम्बर 2017 तक)	वर्ष 2018—19 का लक्ष्य
1	2	3	4	5
1	जाति संबंधी प्रकरणों का परीक्षा	351	167 (31.12.17 तक की स्थिति)	अनिर्धारित

4. प्रकाशन संबंधी कार्य :

संस्था द्वारा विभिन्न जनजातीय विषयों पर किए गए अनुसंधान, मूल्यांकन अध्ययन, सर्वेक्षण तथा शोध कार्य से संबंधित प्रतिवेदनों का प्रकाशन किया जाता है। उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं :-

क्र०	विवरण	उपलब्धियाँ		
		वर्ष 2016—17	वर्ष 2017—18 (दिसम्बर 2017 तक)	वर्ष 2018—19 का लक्ष्य
1	2	3	4	5
1	अध्ययन मूल्यांकन प्रतिवेदन	14	12	अनिर्धारित

2	बुलेटिन अंक	01(58)	—	01
3	पुस्तकों का प्रकाशन	01	10	अनिर्धारित

5. पुस्तकालय :

संस्था में एक वृहद पुस्तकालय संधारित है जिसमें लगभग 24770 से अधिक पुस्तकों का संग्रह किया गया है। संस्था के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों द्वारा पुस्तकालय में संधारित पुस्तकों का उपयोग संदर्भ के रूप में किया जाता है। पुस्तकालय में जनजातीय विषयों से संबंधित पुस्तकों का संग्रह अधिकता में है। उपलब्धियों का विवरण निम्नांकित है :-

क्रं०	विवरण	उपलब्धियाँ		
		वर्ष 2016—17	वर्ष 2017—18 (दिसम्बर 2017 तक)	वर्ष 2018—19 का लक्ष्य
1	2	3	4	5
1	नवीन पुस्तकों का क्रय	13	03	75 पुस्तकों का लक्ष्य
2	शोध विद्यार्थियों द्वारा पुस्तकालय का उपयोग	95	65	अनिर्धारित

6. भाषा संस्कृति :-

जनजातीय संस्कृति एवं बोलियों का संरक्षण और विकास :-

आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था द्वारा विधान सभा संकल्प 2010 के बिन्दु क्रमांक 51 के अनुसार प्रदेश की जनजातीय संस्कृति एवं बोलियों के संरक्षण और विकास के लिए निम्नानुसार कार्य किये जा रहे हैं :-

क्रं.	वर्ष	गतिविधि/उपलब्धि
1	2	3
1	2016—2017	1. वर्कशाप: उत्सव: मेघ बादल उत्सव छिंदवाड़ा- मेघ बादल उत्सव का आयोजन माह सितम्बर में छिंदवाड़ा जिले में दो दिवसीय कराया गया, जिसमें 95 कलाकार उपस्थित हुये। दिल्ली राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव नई

		<p>दिल्ली- अक्टूबर माह में प्रदेश के 54 जनजातीय कलाकारों ने दिल्ली उत्सव में भाग लिया।</p> <p>2. पारम्परिक जनजातीय खेलों की चित्रांकन कार्यशाला:- माह जून 16 में 03 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 30 जनजातीय प्रतिभागी उपस्थित हुये। इनके द्वारा 45 चित्र तैयार किये गये।</p> <p>3. स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समाज का योगदान:- माह अगस्त 16 में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 11 प्रतिभागी उपस्थित हुये थे। जिसमें 17 चित्र तैयार किये गये।</p> <p>4. बैगानी एवं भिलाली शब्दकोश कार्यशाला:-माह अगस्त में इसका आयोजन किया गया, यह चार दिवसीय कार्यशाला रही तथा 30 प्रतिभागी आये तथा पूर्व में चयनित 3000 शब्दों का जो संकलन किया गया था उनका व्याकरणीय चयन किया गया तथा 562 नये शब्दों को जोड़ा गया।</p> <p>5. जनजातीय की नृत्य संगीत कार्यशाला:- माह अक्टूबर 2016 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 55 प्रतिभागी उपस्थित हुये तथा गुदुम, कर्मा व शैला नृत्य किये गये।</p> <p>6. मध्यप्रदेश की जनजातीय जनगणना 2011 :- जनगणना 2011 में जनजातीय जनगणना के आंकड़े जारी किये गये, जिसे संस्था द्वारा मध्यप्रदेश में निवासरत जनजातियों के जिलेवार/विकासखण्डवार आंकड़े संकलित कर पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कराया गया है । जो प्रशासकीय उपयोग, शोधार्थियों/अध्येताओं के लिए उपयोगी है ।</p>
2	2017-2018	<p>1. जनजातीय चित्र शिल्प पुस्तक का प्रकाशन।</p> <p>2. बैगानी शब्दकोश कार्यशाला का आयोजन।</p> <p>3. अगरिया पुस्तिका प्रकाशन ।</p> <p>4. प्रकृति पूजा का पर्व “इंदल” पुस्तक का प्रकाशन।</p> <p>5. बैगानी भिलाली शब्दकोश कार्यशाला।</p> <p>6. बारेली शब्दकोश कार्यशाला।</p>

		7. जनजातीय परम्पराओं का सांस्कृतिक अवदान विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार। 8. बरेली हिन्दी शब्दकोश पुस्तक तैयार की गई। 9. मवासी शब्दकोश कार्यशाला का आयोजन।
3	2018—19 (प्रस्तावित लक्ष्य)	संगोष्ठी/कार्यशाला 1. पाँच कार्यशालाएँ प्रस्तावित 2. दो सेमिनार प्रस्तावित 3. आदिरंग/आदिराग उत्सव का आयोजन

7. छायांकन शाखा :

शाखा द्वारा विभिन्न जनजातीय कार्यक्रमों, उत्सव, मेला, प्रदर्शनी इत्यादि का छायांकन कर चित्रावली (फोलियो) तैयार किए जाते हैं। वर्ष 2017—18 में आदिवासी महोत्सव आदिरंग के छायाचित्र लिये गये।

8. संग्रहालय :

प्रदेश में निवासरत जनजातीय समूहों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं से संबंधित आर्टिफेक्ट्स जैसे- आभूषण, वस्त्र विन्यास, चित्रकला, वाद्य यंत्र, देवी-देवता, पारंपरिक चिकित्सा में प्रयुक्त की जाने वाली वनौषधियाँ, जीवन-यापन के लिए उपयोग आने वाली वस्तुएँ, कृषि औजार, शिकार के अस्त्र शस्त्र एवं विभिन्न जनजातीय मूर्ति शिल्प का प्रदर्शन इस संग्रहालय में किया गया है।

जनजातीय जीवन एवं संस्कृति के विभिन्न आयामों पर शोधरत छात्रों, अध्येताओं, जनजातीय संस्कृति में रुचि रखने वाले दर्शकों के लिए यह लघु संग्रहालय आकर्षण का केन्द्र है।

10. आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था द्वारा निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जाती है :

1.	आदिवासी अन्वेषण संस्था	आयोजनेत्तर
2.	आदिवासी संस्कृति का संवर्धन अनुसंधान प्रशिक्षण एवं विकास	केन्द्र प्रवर्तित योजना

उपरोक्त योजनाओं के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नानुसार है:-

(राशि रुपये लाखों में)

क्रं.	योजना का नाम	योजना का प्रकार	वर्ष 2015-16			वर्ष 2016-17			वर्ष 2017-18 (06 दिसम्बर 2017) तक		
			बजट प्रावधान	प्राप्त आवंटन	व्यय	बजट प्रावधान	प्राप्त आवंटन	व्यय	बजट प्रावधान	प्राप्त आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आदिवासी अंवेष्टन संस्था (मांग संख्या-33-2225-0334 आयोजनेत्तर		415.78	401.66	379.80	470.16	502.98	373.34	594.45	475.36	259.32
	योग		415.78	401.66	379.80	470.16	502.98	373.34	594.45	475.36	259.32
2	आदिवासी संस्कृति का संवर्धन	702	228.00	228.00	66.07	—	—	—	—	—	—
	अनुसंधान प्रशिक्षण एवं विकास मांग संख्या 33-2225-3728	102	—	—	—	93.30	83.97	39.79	107.00	61.44	19.47
		802	315.00	236.25	100.65	325.80	232.50	145.06	397.00	389.50	36.25
	योग		543.00	464.25	166.72	419.10	316.47	184.85	504.00	450.94	55.72
	महायोग		958.78	865.91	546.52	889.26	819.45	558.19	1098.45	926.30	315.04

वर्ष 2018-19 का अनुमानित प्रस्तावित बजट लक्ष्य

(राशि रुपये लाखों में)

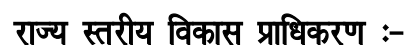
क्रमांक	योजना का नाम/मांग संख्या	योजना का नाम एवं प्रकार	प्रस्तावित राशि
1	2	3	4
1	आदिवासी अंवेष्टन संस्था (मांग संख्या 33-2225-0334) आयोजनेत्तर	—	419.78
2	आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान प्रशिक्षण एवं विकास (मांग संख्या 33-2225-3728) आयोजना (केन्द्र प्रवर्तित)	102	105.10
		802	264.50
		योग (आयोजनेत्तर+आयोजना)	789.38

--००--

विशेष पिछड़ी जनजाति समूह मध्यप्रदेश



विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्र एवं जनसंख्या



1	-	सहरिया विकास प्राधिकरण
2	-	बैगा विकास प्राधिकरण
3	-	भारिया विकास प्राधिकरण

प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बाहुल्य 15 जिलों में निम्नानुसार 11 अभिकरण गठित है

69

क्र.	विशेष पिछड़ी जनजाति समूह	जिला अभिकरणों के नाम	जनसंख्या
1	सहरिया	ग्वायलियर (दतिया), शिवपुरी, गुना, (अशोकनगर) श्योपुर (मुरैना, भिण्ड)	417171
2	बैगा	शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, मण्डला, डिण्डौरी एवं बालाघाट	131425
3	भारिया	छिंदवाड़ा	2012
योग			550608

केन्द्र क्षेत्रीय योजना -

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार विभिन्न विभागों एवं जिला अभिकरणों से प्राप्त परियोजनाएं (राजस्व एवं पूंजीगत मद) जिनके तहत विशेष पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास हेतु निम्न मदों में कार्य स्वीकृत किये जाते हैं।

शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि एवं सिंचाई, आवास एवं गृह, आजीविका (दुग्ध संघ, मछली पालन, लघु उद्योग) संस्कृति का संरक्षण, (विशेष पिछड़ी जनजाति समूह) छात्रावास निर्माण, इंदौर, जबलपुर, गुना एवं श्योपुर में संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय आवर्ती व्यय के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आवासीय विद्यालय :-

विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के छात्र एवं छात्राओं के विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था के लिये प्रदेश में तीन आवासीय विद्यालय जबलपुर, गुना एवं इंदौर में संचालित हैं।

इन विद्यालयों में 600 सीट (प्रति विद्यालय के मान से 300 बालक, 300 बालिकाओं हेतु स्वीकृत हैं) आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय एवं शैक्षणिक समस्त सुविधाएँ प्रदाय की जा रही हैं।

संरक्षण सह विकास योजना :-

वित्तीय वर्ष 2016—17 में संरक्षण सह विकास योजना (सी.सी.डी.प्लान) अंतर्गत कृषि, पशुपालन, पेयजल, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, वन्या, जनजातीय कार्य विभागों के विभिन्न प्रस्तावों हेतु भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राशि रुपये 10460.40 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसके विरुद्ध विभिन्न विकास विभागों को राशि रुपये 10000.00 लाख जारी किये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजना अंतर्गत महिला एवं बाल विकास, वन्या, जनजातीय कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न प्रस्तावों हेतु भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त वर्ष 2017-18 हेतु राशि रुपये 5650.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

विशेष पिछड़ी जनजाति के छात्र एवं छात्राओं के लिये इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर संभागीय मुख्यालयों पर 500 सीट्स प्रति छात्रावास के मान से कुल तीन छात्रावास (कुल 1500 सीट) का निर्माण 1720.00 लाख की लागत से खोले जाने की कायवाही प्रचलन में है जिसका उद्देश्य विशेष पिछड़े क्षेत्रों में निवासरत छात्र- छात्राओं को संभागीय मुख्यालयों पर आवास एवं शिक्षा की उत्कृष्ट सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।

विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 04 सांस्कृतिक केन्द्रों का निर्माण किया जाना है। श्योपुर (सहरिया संस्कृति), छिंदवाड़ा (भारिया संस्कृति) एवं डिण्डौरी (बैगा संस्कृति) में तीन केन्द्रों के लिये राशि रुपये 590.00 लाख प्रति केन्द्रांश के मान से 1770.00 लाख की लागत से एवं भोपाल में (सहरिया बैगा एवं भारिया तीनों की) संस्कृति संरक्षण हेतु राशि रुपये 1850.00 लाख (925.00 लाख भारत सरकार एवं 925.00 लाख राज्य सरकार द्वारा) की स्वीकृति भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्रदाय की गई है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाएँ :-

1. कम्प्यूटर प्रशिक्षण -

वर्ष 2017-18 हेतु द्वितीय किश्त में विशेष पिछड़ी जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में 05 कम्प्यूटर प्रशिक्षण कौशल विकास केन्द्र छिंदवाड़ा, श्योपुर, शहडोल, शिवपुरी एवं मंडला जिलों में खोले जाने हेतु प्रति केन्द्र 596.00 लाख के मान से कुल राशि रुपये 2984.00 लाख की स्वीकृति प्रदाय की गई है। मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम, भोपाल के सहयोग से प्रतिवर्ष 10000 विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदाय कर स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।

2. स्वास्थ्य -

वित्तीय वर्ष 2017-18 में आयुष विभाग को सिकलसेल एनीमिया डिसऑर्डर से पीडित विशेष पिछड़ी जनजाति जनसमुदाय को होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से लाभ पहुंचाने हेतु राशि रुपये 358.74 लाख का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

3. विशेष पोषण आहार -

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में सहरिया जनजाति (बैगा, भारिया सहित) के परिवारों का कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु परिवार की महिला मुखिया के खाते में प्रतिमाह राशि रुपये 1000 की वित्तीय सहायता प्रदाय किये जाने की योजना स्वीकृत की गई है। योजना अंतर्गत माह जनवरी 2018 में 242752 पी.व्ही.टी.जी परिवारों के लिये राशि रुपये 2371.20 लाख की वित्तीय सहायता प्रदाय की गई है माह फरवरी-मार्च 2018 के लिये राशि रुपये 50 करोड़ व्यय किया जाना प्रस्तावित है ।

अभिकरणों के अध्यक्षों/सदस्यों की नियुक्ति -

राज्य शासन के पत्र क्र./एफ23-14/2013/3-25 दिनांक 08.08.2016 द्वारा सहरिया, बैगा एवं भारिया अभिकरण/प्राधिकरण का गठन किया गया है।

बैगा विकास प्राधिकरण			सहरिया विकास प्राधिकरण		भारिया विकास प्राधिकरण	
क्र	नाम	पद	नाम	पद	नाम	पद
1	श्री राम लाला बैगा, जिला शहडोल	अध्यक्ष	श्री परमाल सहेरिया जिला-गुना	सदस्य	श्रीमती उर्मिला भारती जिला-छिंदवाड़ा	अध्यक्ष
2	श्री दशरथ सिंह मरकाम, जिला-बालाघाट	सदस्य	श्री प्रहलाद सहेरिया, जिला-मुरैना	सदस्य	श्री किशन भारती, जिला-छिंदवाड़ा	सदस्य
3	श्री मुन्नालाल, जिला-शहडोल	सदस्य	श्रीमती सरोजीबाई सहेरिया, जिला-श्यापुर	सदस्य	श्री राकेश भारती, जिला-नरसिंहपुर	सदस्य
4	श्री बहादुर बैगा, जिला-मण्डला	सदस्य	श्री सुगंध सहेरिया, जिला-शिवपुरी	सदस्य	श्री सत्यनारायण भारती, जिला-सिवनी	सदस्य
5	श्री गोपाल बैगा, जिला-सिंगरौली	सदस्य			श्री रविशंकर भीमसेना, जिला-सिवनी	सदस्य

मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त
एवं विकास निगम



मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना



मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम

निगम के उद्देश्य :-

1. जनजातीय समाज का आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास करना ।
2. शोषण समाप्त कर उन्हें विकसित कर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना ।
3. उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सुविधाजनक ऋण/अनुदान उपलब्ध कराकर ऋण ब्याज सहित वसूल करना ।

निगम के दायित्व :-

प्रदेश के जनजातीय वर्ग के युवाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिये स्वरोजगार हेतु आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत बैंको के माध्यम से ऋण दिलाकर स्वावलम्बी बनाना ।

निगम से संबंधित सामान्य जानकारी

निगम की स्थापना :-

मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना इंडियन कंपनी एक्ट 1956 की धारा 25 के अंतर्गत (लाभ के लिए नहीं) की गई है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, ग्वालियर द्वारा इसका पंजीयन दिनांक 29.09.1994 को किया गया । निगम द्वारा आर्थिक एवं स्वरोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन दिनांक 01 अप्रैल 1995 से प्रारंभ किया गया ।

निगम की अधिकृत अंशपूंजी :-

निगम की अधिकृत अंशपूंजी 50.00 करोड़ रुपये है, जिसमें राज्य शासन का हिस्सा 51 प्रतिशत तथा केन्द्र सरकार का हिस्सा 49 प्रतिशत है । उक्त राशि में से अब तक निगम को कुल 35.509 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जा चुके हैं जिसमें राज्य शासन के हिस्से के रूप में रुपये 24.83 करोड़ एवं केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में रुपये 10.679 करोड़ हैं ।

निगम की संचालित योजना :-

मुख्य सचिव महोदय की समीक्षा बैठक दिनांक 11.05.2016 में लिये गये निर्णय अनुसार वर्तमान में संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना भी जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित की जायेगी । उक्त दोनों नवीन योजनाएँ विभाग अन्तर्गत आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित की जा रही है।

निगम की अधोसंरचना :-

प्रदेश में योजनाओं के संचालन हेतु निम्नानुसार अमला स्वीकृत है :-

(क) निगम मुख्यालय में वर्तमान में स्वीकृत पद संरचना :-

क्र.	पदनाम	श्रेणी	भरती प्रक्रिया	स्वीकृत पद	भरे पद	रिमार्क
1	अध्यक्ष	-	शासन द्वारा	01	01	
2.	प्रबंध संचालक	आय.ए.एस	शासन द्वारा	01	01	
3.	महाप्रबंधक	प्रथम	संविदा	01	01	अतिरिक्त प्रभार
4.	कंपनी सचिव	प्रथम	प्रतिनियुक्ति	01	01	म.प्र शासन जनजातीय कार्य विभाग के आदेश से
5	कंपनी सचिव	प्रथम	संविदा	01	01	रिटैनेरशिप (एक मुश्त वेतन)
6	विपणन प्रबंधक	द्वितीय	संविदा	01	01	म.प्र.शासन जनजातीय कार्य विभाग के आदेश से
7	विधि सलाहकार	द्वितीय	रिटैनेर	01	—	
8	सहायक प्रबंधक	द्वितीय	प्रतिनियुक्ति	01	—	
9	लेखाधिकारी	द्वितीय	प्रतिनियुक्ति	01	01	म.प्र शासन जनजातीय कार्य विभाग के आदेश से
10	शीघ्रलेखक वरिष्ठ	तृतीय	अतिशेष/सीधी	01	—	
11	शीघ्रलेखक वरिष्ठ	तृतीय	अतिशेष/सीधी	03	—	
12	कनिष्ठ लेखाधिकारी	तृतीय	अतिशेष/सीधी	03	—	
13	अंकेशक	तृतीय	प्रतिनियुक्ति	01	—	

14	लेखापाल	तृतीय	प्रतिनियुक्ति	01	—	
15	लिपिक/टाईपिस्ट	तृतीय	अतिशेष/सीधी	03	03	
16	कम्प्यूटर आपरेटर	तृतीय	अतिशेष/सीधी	01	—	
17	कम्प्यूटर सहायक	तृतीय	अतिशेष/सीधी	01	—	
18	स्टेनो टायपिस्ट	तृतीय	अतिशेष/सीधी	03	01	
19	वाहन चालक	तृतीय	अतिशेष/सीधी	03	01	
20	भृत्य चौकीदार	चतुर्थ	संविदा	10	10	
21	स्वीपर	—	अंशकालीन	01	01	
	योग			40	23	

(ख) जिला स्तरीय स्वीकृत पद संरचना :-

क्र	पदनाम	स्वीकृति संख्या	श्रेणी	वेतनमान
1.	शाखा प्रबंधक	01	द्वितीय	9300—34800—4200
2.	फील्ड ऑफीसर	01	तृतीय	9300—34800—3600
3.	लेखापाल	01	तृतीय	5200—20200—2400
4.	लिपिक/टाईपिस्ट	01	तृतीय	5200—20200—1900
5.	भृत्य	01	चतुर्थ	4750—7550—1300
6.	चौकीदार	01	चतुर्थ	4750—7550—1300
7.	स्वीपर	01	अंशकालीन	6575 एकमुश्त
	योग	07		

सामान्य या प्रमुख विशेषताएँ :-

संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार एवं हितग्राहीवार योजनाओं के अनुश्रवण के लिए एनआईसी के माध्यम से वेबसाइट www.mpjvvn.mp.gov.in का निर्माण कराया गया है।

निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाएँ :-

- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना,

- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना,
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

संचालित योजनाओं का विवरण :-

मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रदेश में निवासरत जनजातीय समाज के कल्याणार्थ रोजगार हेतु निगम के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (जनजातियों हेतु) का क्रियान्वयन किया जा रहा है :-

1. वर्ष 2015-16 के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ - मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (31 मार्च - 2016 की स्थिति) :-

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि		टीप
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
2015-16	4000	3600.00 लाख	4077	8017.20 लाख	शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति

वर्ष 2016-17 में आरम्भ नवीन योजनाओं का कार्यक्रमों का विवरण एवं उनकी प्रगति

2. वर्ष 2016-17 के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ -

(राशि लाखों में)

योजना का विवरण	लक्ष्य		बैंकों में प्रेषित		स्वीकृत प्रकरण		वितरित प्रकरण	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	8000	7200.00	14206	36785.71	7236	16491.86	6626	14646.7
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	5000	900.00	7757	4419.75	4524	2039.00	4092	1778.27
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना	300	2664.00	358	9855.92	191	3836.60	147	2164.43
योग	13300	10764.00	22321	51061.38	11951	22394.46	10865	18589.40

3. वर्ष 2017-18 के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ - (15 जनवरी- 2018 की स्थिति में)

(राशि लाखों में)

योजना का विवरण	लक्ष्य		बैंकों में प्रेषित		स्वीकृत प्रकरण		वितरित प्रकरण	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	6000	5400.00	16476	46016.28	6145	17275	4216	9439.1
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	5000	750.00	9469	8354.96	4346	3600.6	3055	2498
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना	100	525.00	292	7010.37	71	1894	36	1486
योग	11100	6675.00	26237	61381.61	10562	22769.6	7307	13423.1

4. नोडल विभाग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के पत्र क्र.: एफ 2-13/2016/ अ-तेहत्तर/ दिनांक 13/12/2017 द्वारा वर्ष 2017-18 के भौतिक लक्ष्यों को संशोधित कर मुख्यमंत्री स्वरोजगार में 6000, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में 5000, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 100 किया गया है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित लक्ष्य की जानकारी -

मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 में 11100 जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को लाभांशित करने का लक्ष्य रखा गया है।

5. महिलाओं के लिये संचालित योजनाओं से लाभ:-

निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में 30 प्रतिशत महिलाओं को लाभांशित किये जाने का प्रस्ताव है।

6. निगम द्वारा संचालित योजनाएँ :

- **आर्थिक कल्याण योजना :-** योजना का लाभ समाज के सबसे गरीब वर्ग के लिए है।
- **अनुदान राशि :-** योजनांतर्गत जनजातीय हितग्राहियों को अधिकतम रुपये 50,000 की अनुदान राशि दी जाती है।

- **मार्जिन मनी सहायता :-** मार्जिन मनी सहायता 50 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 15.00 हजार) दी जायेगी ।
- **पात्रता :-** आयु सीमा- 18 से 55 वर्ष, आय- राष्ट्रीय खाद्यान मिशन के अन्तयोदय/ प्राथमिक परिवार का सदस्य (पीडीएस कार्डधारी)
- **शैक्षणिक योग्यता :-** कोई बंधन नहीं।
- **पात्र परियोजनाएँ :-** केश शिल्पी, स्ट्रीट वेण्डर, हाथटेला चालक, साइकिल रिक्शा चालक, कुम्हार, आदि।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना :-

- **परियोजना लागत :-** न्यूनतम रुपये 50 हजार से 10 लाख ।
- **मार्जिन मनी सहायता :-** 30 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 2 लाख) (अधिकतम 3.00 लाख विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति हेतु) ।
- **ब्याज अनुदान :-** परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत (महिला उद्यमी के लिए 6 प्रतिशत) की दर से (अधिकतम रुपये 25 हजार प्रतिवर्ष) ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक देय होगा।
- **गारंटी शुल्क :-** प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय ।
- **पात्रता :-** शिक्षा - कक्षा 5 उत्तीर्ण, आयु सीमा- 18 से 45 वर्ष ।
- **आय सीमा -** बंधन नहीं परन्तु आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकरदाता न हो।
- **पात्र परियोजनाएँ:-** उद्योग, व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र की समस्त परियोजनायें जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल इंटरप्राइजेस (सीजीटीएमएसई) के अन्तर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र हैं।

युवा उद्यमी योजना :-

- **परियोजना लागत :-** परियोजना लागत न्यूनतम रुपये 10.00 लाख से 2.00 करोड़ ।
- **मार्जिन मनी सहायता :-** 15 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 12 लाख) बीपीएल हेतु परियोजना के पूँजीगत लागत का 20 प्रतिशत। (अधिकतम रुपये 18 लाख) ।

- **ब्याज अनुदान :-** पूँजीगत लागत का 5 प्रतिशत (महिला उद्यमी हेतु 6 प्रतिशत) प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक दिया जाता है। (अधिकतम 5 लाख रुपये)
- **गारंटी शुल्क :-** गारंटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्ष तक है।
- योजना अंतर्गत व्यापारिक गतिविधियाँ पात्र नहीं है।
- उद्यमियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में सम्पूर्ण योजना बनाकर वित्त विभाग से अनुमति लिये जाने का प्रावधान योजना में है।
- **पात्रता :-** शिक्षा - कक्षा 10 वी उत्तीर्ण, आयु सीमा- 18 से 40 वर्ष, आय सीमा - बंधन नहीं
- **प्रशिक्षण :-** उद्यमियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में सम्पूर्ण योजना बनाकर वित्त विभाग की अनुमति से संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
- **पात्र परियोजनाएँ :-** उद्योग (विनिर्माण) एवं सेवा क्षेत्र की समस्त परियोजनायें जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल इंटर्प्राइजेस (सीजीटीएमएसई) के अन्तर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र हैं।
योजना अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में 11,100 जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को लाभांशित करने का लक्ष्य रखा गया है। संचालित योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान/मार्जिन राशि हेतु प्रावधानित राशि के विरुद्ध निम्नानुसार राशि प्राप्त हुई है :-

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	प्रावधानित राशि	कुल विमुक्त राशि	शेष आवश्यक राशि
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (क्र. 7215)	7400.00	3330.00	4070.00
2	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना (क्र.7572)	100.00	45.00	25.00
3	सहायक अनुदान स्थापना मद (क्र. 5156)	370.00	168.75	201.25

--००--

मध्यप्रदेश रोजगार
एवं
प्रशिक्षण परिषद् (मेपसेट)



सिपेट भोपाल में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रशिक्षणार्थी



पीथमपुर ऑटो क्लस्टर महु, इंदौर में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रशिक्षणार्थी

मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (मेपसेट)

मेपसेट का परिचय -

मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (मूलतः आदिवासी तकनीकी शिक्षा मण्डल) की स्थापना वर्ष 1981 से जनजातीय वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिये विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में कुशलता का विकास कर उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु की गई है। यह संस्था शासन द्वारा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत स्थापित है। वर्ष 1989 से संस्था के उद्देश्यों में वृद्धि कर अनुसूचित जाति वर्ग के लिये तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन को भी सम्मिलित किया जाकर नाम परिवर्तन हुआ। मेपसेट संस्था के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-

- कुशल एवं अर्द्धकुशल मजदूरों का प्रशिक्षण ।
- सभी स्तर की औपचारिक तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था जिसमें कुशल मजदूर, तकनीशियन आदि भी सम्मिलित हों ।
- प्रशिक्षित एवं गैर प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण जिससे कि वे अन्य रोजगार अपना सकें।
- तकनीकी कौशल के विकास के लिए व्यापक आयोजन व उसके आवश्यक क्रियान्वयन की व्यवस्था करना ।
- शासकीय विभागों एवं शासन के अधीनस्थ संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण ।
- आदिवासी क्षेत्रों में तकनीकी कौशल के विकास के लिये वे अन्य समस्त कार्य करना जो वांछनीय, आवश्यक अथवा सहायक हो ।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना बनाना व जिन क्षेत्रों में प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, वहां इसके प्रबंध करना ।
- ऐसे विभिन्न संस्थाओं की, जो आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक, तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रशिक्षण का कार्य कर रही हों उन्हें परिषद से -

1. संबद्ध करना और उनके प्रशिक्षण के स्तर को तय करना अथवा उसके लिए समय-समय पर उनका निरीक्षण करना ।
2. आवश्यकतानुसार उन्हें ऐसी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से संबद्ध करना जो तत्संबंधी परीक्षा लेने का कार्य करती हो ।

- स्थानीय संस्थाओं में तकनीकी प्रशिक्षण का प्रबंध ।

अनुसूचित जनजाति हेतु संचालित रोजगार मूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम :-

वर्ष 2015—16

क्र.	संस्था/उद्योगों का नाम	प्रवेशित प्रशिक्षणार्थी	प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थी
1.	सिपेट भोपाल	340	340
2.	एटीआईटीसी पीथमपुर आटो क्लस्टर महु	89	89
3.	प्रतिभा सिन्टेक्स लिमिटेड पीथमपुर	109	109
4.	जे.बी.एम. ऑटो लिमिटेड, फरीदाबाद	63	63
5.	नियोकार्प लिमिटेड पीथमपुर	200	200
6.	टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड देवास	01	00
	कुल	802	801

वर्ष 2016—17

क्र.	संस्था/उद्योगों का नाम	प्रवेशित प्रशिक्षणार्थी	प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थी
1.	सिपेट भोपाल	160	160
2.	एटीआईटीसी पीथमपुर आटो क्लस्टर महु	39	19
3.	प्रतिभा सिन्टेक्स लिमिटेड पीथमपुर	45	45
4.	ई हेरेक्स टेक्नालाजी प्रा.लि. भोपाल	149	97
5.	बेसिक्स एकेडमी फार वेल्डिंग लाईफलांग एम्प्लायबेलिटी लिमि. नई दिल्ली	265	123
6.	सेन्टम वक्रस् लिमिटेड प्रा.लि.नई दिल्ली	111	—
7.	आई.टी.आर.सी. टेक्नालाजी प्रा.लि. इन्दौर	334	198
	कुल	1102	642

वर्ष 2017-18 में प्रारंभ प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी :-

वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1708 प्रशिक्षणार्थियों को आवासीय एवं गैर आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किये जा रहे हैं। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	संस्था का नाम	प्रवेशित प्रशिक्षणार्थी	रोजगार
1	ख्वाहिश लेदर स्किल ट्रेनर्स कंसलटेन्ट प्रायवेट लिमिटेड इंदौर	38	प्रशिक्षण वर्तमान में संचालित हैं।
2	स्किल रूट एज्यूटेक कंसलटिंग इंडिया प्रायवेट लिमिटेड इंदौर	74	प्रशिक्षण वर्तमान में संचालित हैं।
3	नालंदा इंस्टीट्यूट फॉर कम्प्यूटर एण्ड वोकेशनल ट्रेनिंग इंदौर	217	प्रशिक्षण वर्तमान में संचालित हैं।
4	प्रथम एज्यूकेशन फाउन्डेशन मुंबई	188	प्रशिक्षण वर्तमान में संचालित हैं।
5	स्किल एकेडमी प्रायवेट लिमिटेड गुड़गांव	138	प्रशिक्षण वर्तमान में संचालित हैं।
6	सिनक्रोसर्व ग्लोबल सॉल्यूशन्स प्रायवेट लिमिटेड हैदराबाद	730	प्रशिक्षण वर्तमान में संचालित हैं।
7	सिपेट भोपाल एवं ग्वालियर	285	48
8	एटीआईटीसी पीथमपुर आटो क्लस्टर महू, जिला इंदौर	38	प्रशिक्षण वर्तमान में संचालित हैं।
	योग	1708	48

वर्ष 2017-18 में आरंभ नवीन योजनाओं एवं कार्यक्रमों का विवरण :-

परिषद् द्वारा वर्ष 2017-18 में 20000 अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को निःशुल्क आवासीय/गैर आवासीय प्रशिक्षण प्रदान कराने के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) का प्रसारण किया जाकर प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। मेपसेट द्वारा ख्याति प्राप्त उद्योगों/संस्थानों/सार्वजनिक ट्रस्टों/लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अप्रूव्ड विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। शीघ्र प्रशिक्षण प्रारंभ होगा।







वर्ष-27, जून-जुलाई- 2017

आर.एन.आई. पंजीयन क्र. 50115/1989

समझ झराखा

बच्चों के मन की पत्रिका



वन्या प्रकाशन

वन्या प्रकाशन की स्थापना वर्ष 1980 में म.प्र. शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के उपक्रम के रूप में हुई । वन्या का पंजीयन मध्यप्रदेश फर्म्स एवं सोसायटीज म.प्र. भोपाल द्वारा किया गया ।

वन्या के मुख्य उद्देश्य

- मध्यप्रदेश के आदिवासियों के हित में आदिवासी संस्कृति से संबंधित श्रेष्ठ साहित्य को आदिवासी समाज में पहुँचाना ।
- नव साक्षर एवं शिक्षित आदिवासियों के लिए श्रेष्ठ साहित्य की खरीदी, निर्माण, प्रकाशन एवं वितरण।
- प्रमुख आदिवासी बोलियों में श्रेष्ठ साहित्य एवं पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन ।
- आदिवासी क्षेत्रों एवं आदिवासी जन-जीवन से संबंधित मूल्यवान पुराने अभिलेखों का संपादन एवं प्रकाशन तथा पूर्व प्रकाशित दुर्लभ साहित्य का पुनर्प्रकाशन ।
- आदिवासी क्षेत्रों में अनुसंधान सामग्री का प्रकाशन ।
- भारतीय संस्कृति एवं महापुरुषों से संबंधित चुनी हुई सामग्री का प्रकाशन एवं इनके संबंध में पूर्व प्रकाशित सामग्री का मूल प्रकाशकों से अनुबंध कर प्रकाशन तथा आदिवासी क्षेत्रों में उनका वितरण ।
- अन्य प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशित चुनी गई पुस्तकों को आदिवासी क्षेत्रों, छात्रों तथा संस्थाओं के लिए खरीद एवं वितरण तथा उनके विशेष संस्करणों का प्रकाशन।
- आदिवासी संस्कृति का अनुरक्षण तथा उसके प्रसार के लिए आवश्यकतानुसार उपर्युक्त सामग्री का संकलन एवं प्रकाशन ।
- संचालक मण्डल की सहमति से अन्य कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करना, जिन से अनुसूचित जाति, आदिवासी छात्र/छात्राओं के शैक्षणिक स्तर का उन्नयन हो सके तथा इस निमित्त दान एवं आर्थिक सहयोग देना ।

- जनजातीय जीवन, संस्कृति, समाज, परम्परा, लोकसंपदा एवं विभिन्न विषयों पर केन्द्रित बहुविध आयोजन करना तथा फिल्म, वीडियो, ऑडियो एवं अन्य पारंपरिक तथा आधुनिक तकनीकों के माध्यम से कार्यक्रमों का निर्माण एवं प्रसारण करना ।

वन्या, मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग की **योजना क्रमांक 9855** के रूप में संचालित है। इस संस्था को उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये गतिविधियों के संचालन हेतु प्रमुख रूप से माँग संख्या 41-2225-0102-9855 वन्या प्रकाशन योजना के अंतर्गत निम्नांकित मदों में बजट आवंटन उपलब्ध कराया जाता है :-

क्र.	मद	कार्यक्रम का नाम
1	012	मुद्रण एवं प्रकाशन
2	35	विज्ञापन एवं प्रचार
3	37	मेला, उत्सव, प्रदर्शनी
		सेमीनार, कार्यशाला, सम्मेलन
4	002	सहायक अनुदान, संधारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि)
		1. जनजातीय वृत्तचित्र एवं टी.वी. कार्यक्रम
		2. समझ-झरोखा का मुद्रण एवं अन्य व्यय
		3. छायाचित्र प्रतियोगिता
		4. वन्या सामुदायिक रेडियो केन्द्रों का संचालन
5	007	जनजातीय फिल्मोत्सव

वित्तीय वर्ष 2016-17 के भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ -

- सिंहस्थ 2016 के दौरान उज्जैन में **जनजातीय संस्कृति परिसर** की स्थापना एवं उसके अंतर्गत जनजातीय जीवन के विभिन्न आयामों पर केन्द्रित छायाचित्र प्रदर्शनी **आदिबिम्ब**, भील, गोंड, कोरकू, बैगा, भारिया आदि जनजातीय आवासों की प्रतिकृतियों की स्थापना और **सिंहस्थ** की सम्पूर्ण अवधि देश के 16 राज्यों के विभिन्न जनजाति समूहों के 1200 से अधिक कलाकारों के पारंपरिक नृत्य-संगीत एवं अन्य जनजातीय कलाओं का प्रदर्शन।

- सिंहस्थ 2016 के दौरान **जनजातीय संस्कृति परिसर** की गतिविधियों पर केन्द्रित बहुरंगी ब्रोशर का प्रकाशन।
- दूरदर्शन मध्यप्रदेश पर जनजातीय जीवनशैली/संस्कृति, जनजातीय क्षेत्रों के पर्यटन स्थल, जनजातीय विकास योजना और सफलता की कहानी पर आधारित 24 मिनट अवधि की साप्ताहिक वीडियो पत्रिका **आदि दर्पण** कार्यक्रम-शृंखला के अंतर्गत दिनांक 29 सितम्बर से 31 मार्च 2017 तक कुल 22 वृत्तचित्रों और योजनाओं पर केन्द्रित 02 वीडियो स्पॉट (अवधि 90 सेकण्ड) का निर्माण एवं प्रसारण।
- आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था के लिए भील जनजाति समूह के उत्सव भगोरिया पर केन्द्रित वृत्तचित्र **भंगर्या** का निर्माण एवं जनजातीय उत्सव **आदिरंग** कार्यक्रम पर आधारित वीडियो फिल्म का संपादन।
- घुमक्कड़, अर्धघुमक्कड़ एवं विमुक्त जनजाति कल्याण विभाग के लिए मंदसौर एवं राजगढ़ जिलों के बंजारा समुदाय पर केन्द्रित 02 वृत्तचित्रों (HD & Non HD) का निर्माण।
- प्रदेश में स्थापित 08 वन्या सामुदायिक रेडियो केन्द्रों - चन्द्रशेखर आजाद नगर (अलीराजपुर), मेघनगर (झाबुआ), नालछा (धार), खालवा (खण्डवा), सेसाईपुरा (श्योंपुर), चिचोली (बैतूल), बिजौरी (छिन्दवाड़ा) और चाड़ा (डिंडोरी) का संचालन निरंतर। हिन्दी एवं भीली/भिलाली, कोरकू, सहरिया, गोड़ी, भरियाटी आदि जनजातीय बोलियों में मनोरंजक, ज्ञानवर्द्धक एवं मौखिक परम्परा को संरक्षित-प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों का निर्माण एवं प्रसारण।
- वन्या सामुदायिक रेडियो और आकाशवाणी के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु **जनजातीय संस्कृति परिसर** एवं **आदि दर्पण** संबंधी 02 विज्ञापनों और योजनाओं पर केन्द्रित 06 ऑडियो स्पॉट/जिंगल का निर्माण एवं प्रसारण।
- राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा **‘सुनो कहानी’** शृंखला के अंतर्गत निर्मित 13 कड़ियों का समस्त 08 वन्या सामुदायिक रेडियो केन्द्रों से प्रसारण।
- आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था द्वारा छिंदवाड़ा (माह सितम्बर 2016) में आयोजित जनजातीय पावस अनुष्ठानों पर केन्द्रित दो दिवसीय नृत्य-संगीत उत्सव **मेघमादल** एवं टी.आर.आई.

और वन्या के संयुक्त तत्वावधान में (माह फरवरी 2017 में) शहडोल में आयोजित 03 दिवसीय जनजातीय उत्सव **आदिरंग** के लिए मंच, प्रवेशद्वार, छायाचित्र प्रदर्शनी, फिल्म दीर्घा एवं अन्य आवश्यक अस्थाई संरचनाओं की परिकल्पना, निर्माण एवं जनजातीय सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप साज-सज्जा। उक्त आयोजन से संबंधित फोटो एवं वीडियो डॉक्यूमेंटेशन और मंच-संचालन आदि कार्य।

- फरवरी 2017 में शहडोल में आयोजित 03 दिवसीय जनजातीय उत्सव **आदिरंग** के दौरान कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय, वार्ड नं. 01 और कन्या आवासीय शिक्षा परिसर, शहडोल की जनजातीय छात्राओं के लिए पारंपरिक नृत्य-संगीत प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। इसमें 08 वरिष्ठ जनजातीय कला गुरुओं द्वारा कुल 49 जनजातीय छात्राओं को पारंपरिक नृत्य सिखाया गया, जिनकी प्रस्तुतियाँ राज्य स्तरीय **आदिरंग** उत्सव के मंच पर दी गयीं। दर्शकों द्वारा सराहना प्राप्त छात्राओं के दोनों दलों को रुपये 11-11 हजार के प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किये गये।

वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ -

क्र.	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य (रुपये लाख में)		वित्तीय उपलब्धि (रुपये लाख में)
1	2016-17	675.00 (प्रावधानित)	कुल 1175.00	1175.00
		500.00 (सिंहस्थ 2016 के लिए विशेष)		

वित्तीय वर्ष 2017-18 के भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ (31 दिसम्बर 2017 तक) -

- दूरदर्शन मध्यप्रदेश पर जनजातीय जीवनशैली/संस्कृति, जनजातीय क्षेत्रों के पर्यटन स्थल, जनजातीय विकास योजना और सफलता की कहानी पर आधारित 24 मिनट अवधि की साप्ताहिक वीडियो पत्रिका **आदि दर्पण** के अंतर्गत कुल 04 कडियों का प्रसारण।
- प्रदेश में स्थापित 08 वन्या सामुदायिक रेडियो केन्द्रों- चन्द्रशेखर आजाद नगर (अलीराजपुर), मेघनगर (झाबुआ), नालछा (धार), खालवा (खण्डवा), सेसाईपुरा (श्योपुर), चिचोली (बैतूल), बिजौरी

(छिन्दवाड़ा) और चाड़ा (डिंडोरी) का संचालन निरंतर। हिन्दी एवं भीली/भिलाली, कोरकू, सहरिया, गोड़ी, भरियाटी आदि जनजातीय बोलियों में मनोरंजक, ज्ञानवर्द्धक एवं मौखिक परम्परा को संरक्षित-प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों का निर्माण एवं प्रसारण।

- वन्या सामुदायिक रेडियो केन्द्र, चाड़ा से प्रसारण हेतु चाड़ा में 03 दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर विशेषज्ञों एवं समुदाय के प्रतिनिधियों की सहभागिता से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका के विभिन्न आयामों पर केन्द्रित कुल 30 कार्यक्रमों का निर्माण एवं प्रसारण।
- माह जून 2017 में बैगाचक के अंतर्गत चाड़ा में बैगा जनजाति की पारंपरिक चित्रकला पर केन्द्रित तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में उमरिया और डिण्डोरी जिलों के 17 बैगा चित्रकारों द्वारा 60 पारंपरिक शैली के चित्रों का अंकन किया गया।
- आदिम जाति समूह की बैगा जनजाति की पारंपरिक चित्रकला पर केन्द्रित कॉफीटेबल बुक 'ढंगना' प्रकाशित।
- विभागीय शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए द्वैमासिक बाल पत्रिका **समझ झरोखा** का जून-जुलाई 2017 अंक प्रकाशित।
- मध्यप्रदेश की जनजातीय संस्कृति की विशेषताओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर के टी.वी. चैनल **एपिक** पर प्रसारण हेतु - **जनजातीय भोजन संस्कृति** (02 भाग), **जनजातीय आभूषण एवं अलंकार** (02 भाग), **जनजातीय नृत्य एवं संगीत** (02 भाग) और **जनजातियों की पारंपरिक आवास एवं कृषि-पद्धति** (02 भाग) का निर्माण।
- विभागीय योजनाओं की सफलता की कहानियों पर केन्द्रित पुस्तक '**उत्थान**' (जनजातीय विकास के बढ़ते कदम) का आकल्पन।

वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

क्र.	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य (रुपये लाख में)	वित्तीय उपलब्धि (रुपये लाख में)
1	2017-18	754.00 (प्रावधानित)	339.30

वित्तीय वर्ष 2018—19 के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

- मध्यप्रदेश की जनजातीय जीवनशैली, संस्कृति और कलाओं का मुद्रित एवं वीडियो-ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से संरक्षण तथा उनके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये 06 पुस्तकों/कॉफीटेबिल बुक्स का प्रकाशन एवं 12 वृत्तचित्रों और विभिन्न प्रासंगिक रेडियो कार्यक्रमों का निर्माण एवं प्रसारण।
- जनजातीय पारंपरिक कलाओं के प्रोत्साहन हेतु पारंपरिक शिल्पों और चित्रकला पर केन्द्रित 06 कार्यशालाओं का आयोजन।
- जनजातीय जीवनशैली, संस्कृति, पारंपरिक कलाओं और अन्य आयामों पर विमर्श के लिये 04 संगोष्ठियों का आयोजन।
- द्वैमासिक बाल पत्रिका **समझ झरोखा** के 06 अंकों का प्रकाशन।
- जनजातीय नृत्य-संगीत एवं शिल्प-कलाओं पर केन्द्रित 02 उत्सवों का आयोजन।
- प्रदेश में स्थापित 08 वन्या सामुदायिक रेडियो केन्द्रों - चन्द्रशेखर आजाद नगर (अलीराजपुर), मेघनगर (झाबुआ), नालछा (धार), खालवा (खण्डवा), सेसाईपुरा (श्योपुर), चिचोली (बैतूल), बिजौरी (छिन्दवाड़ा) और चाड़ा (डिंडोरी) का संचालन निरंतर। हिन्दी एवं भीली/भिलाली, कोरकू, सहरिया, गोड़ी, भरियाटी आदि जनजातीय बोलियों में मनोरंजक, ज्ञानवर्द्धक एवं मौखिक परम्परा को संरक्षित-प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों का निर्माण एवं प्रसारण।
- विभागीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार से संबंधित अन्य प्रासंगिक गतिविधियों का संचालन।

वित्तीय लक्ष्य

क्र.	वर्ष	वित्तीय लक्ष्य (रुपये लाख में)
1	2018—19	829.40 (प्रस्तावित)

--००--

ઉદ્યમી વિકાસ સંસ્થાન, મ.પ્ર.

उद्यमी विकास संस्थान, मध्यप्रदेश

संस्थान की स्थापना :

उद्यमी विकास संस्थान की स्थापना 20 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के उपक्रम के रूप में हुई है। संस्थान का पंजीयन फॉर्म एवं सोसायटीज म.प्र. भोपाल द्वारा किया गया है। संस्थान का पंजीयन क्रमांक 8874 है।

1. संस्थान के मुख्य उद्देश्य :

- मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों को उद्योग तथा व्यापार प्रारंभ प्रशिक्षण, आर्थिक तथा तकनीकी सहायता, उत्पादन और इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण, आर्थिक तथा तकनीकी सहायता, उत्पादन तथा उसके विपणन में सहयोग करना तथा उनके उद्यमों का मार्गदर्शन, समन्वय तथा नियंत्रण करना।
- उद्यमी विकास केन्द्रों (उत्पादन सह प्रशिक्षण केन्द्रों) की स्थापना करना, गतिविधियों का संचालन, मार्गदर्शन तथा नियंत्रण करना।
- शासन द्वारा स्थापित ऐसे उत्पादन सह प्रशिक्षण केन्द्रों एवं अन्य संस्थाओं का संचालन, मार्गदर्शन एवं नियंत्रण करना जिनके लिए शासन संस्थान को अधिकृत करे।
- संस्थाओं को तथा उद्यमी वर्ग की इकाइयों को उद्यम स्थापित करने में सहयोग व सहायता करना एवं उन्हें संस्थान से सम्बद्ध करना, उनका मार्गदर्शन करना।

शासन के अथवा शासकीय संस्थाओं अथवा संस्थान द्वारा सम्बद्ध उद्यमियों के लिए एजेंट के रूप में कार्य करना और उसके लिए आवश्यक अनुबन्ध आदि करना।

संस्थान द्वारा मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक/सी.एम.सी.एल.डी. पी./2015/141 भोपाल, दिनांक 07.08.2015 के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम वर्ष 2015 “महात्मा गांधी ग्रामोद्य चित्रकूट विश्वविद्यालय जिला सतना एवं जन अभियान परिषद, के माध्यम से प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखण्डों में आदिवासी वर्ग के पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों को प्रदेश के विकास में समान साझेदारी सुनिश्चित करने तथा सामाजिक विकास के विविध आयामों के संबंध में जागरूक एवं शिक्षित कर कुशल सामाजिक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। उक्त कार्यक्रम का संचालन जन

अभियान परिषद के माध्यम से किया जा रहा है तथा यूनिसेफ द्वारा प्रदत्त सलाहकार इस कार्यक्रम की प्रगति में सतत प्रयत्नशील हैं। सलाहकारों की प्रशासनिक व्यवस्था संस्थान में की गई है।

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के तीन वर्षीय पाठ्यक्रम को यूजीसी द्वारा बी. एस.डब्लू की मान्यता प्रदान की गई है। कार्यक्रम के संचालन के लिए आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, म.प्र.योजना का बजट सीधे महात्मा गांधी चित्रकूट विश्वविद्यालय एवं जन अभियान परिषद् आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा संचालित उपक्रम को उपलब्ध कराता है। 89 आदिवासी विकासखण्डों में संचालित विभागीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इनकी कक्षाएं सप्ताह के प्रत्येक रविवार को लगाई जाती हैं। विद्यार्थियों की फीस एवं अन्य सुविधाएँ शासन द्वारा पूर्ण रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। यूनिसेफ द्वारा योजना को प्रगतिशील बनाने में प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, जनजातीय कार्य विभाग एवं यूनिसेफ के मध्य शर्तों के आधार पर तीन सलाहकारों की नियुक्ति की गई है जिनका मानदेय एवं अन्य सुविधाएँ देने के लिए राशि का आवंटन यूनिसेफ सीधे उद्यमी विकास संस्थान को उपलब्ध कराता है।

2. आगामी वर्ष 2018—19 के प्रस्तावित लक्ष्य :-

- (1) उद्यमी विकास संस्थान छिन्दवाडा का सुदृढीकरण तथा आधुनिक कृषि संयंत्रों का सुधार एवं प्रशिक्षण का आरंभ, वाहन चालक प्रशिक्षण एवं मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण आरंभ (राशि रु.50.00 लाख हितग्राही-480)
- (2) लाख की खेती एवं उन्नत प्रशिक्षण भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान, रांची (राशि रु.100.00 लाख एवं हितग्राही-500)

3. अतिरिक्त जानकारी :-

- (1) बजट विहंगावलोकन एवं योजनावार बजट प्रावधान एवं व्यय- वित्तीय वर्ष 2017—18 में आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, म.प्र भोपाल द्वारा मांग संख्या-33(5218) अन्तर्गत (लेखा शीर्ष 42 सहायक अनुदान 002 वेतन भत्ते,मानदेय) रु. 270.00 लाख स्थापना अनुदान का प्रावधान किया गया है। उक्त अनुदान से संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन-भत्ते, कर्मचारी भविष्य निधि एवं कार्यालयीन व्यय में उपयोग किया जाता है।
- (2) विभाग द्वारा संधारित अधिनियम एवं नियम - संस्थान की उपविधियाँ तथा भर्ती एवं पदोन्नति नियम संधारित हैं जिसके अनुसार संस्थान विभागीय गतिविधियां संचालित करता है।

--००--

म.प्र. ट्रायबल वेलफेयर रेसिडेंशियल
एण्ड आश्रम
एज्युकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसायटी





शास.एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अनूपपुर म.प्र.



प्रार्थना हेतु बैठे छात्र/छात्राएँ



एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सोण्डवा (अलीराजपुर) ।



एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, गुना में बालदिवस का आयोजन ।



इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सोहागपुर (धुरवार), शहडोल (म.प्र.) के छात्र एवं छात्राएँ ।



एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सोण्डवा (अलीराजपुर) ।



एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सोहागपुर (धुरवार), शहडोल (म.प्र.) के छात्र एवं छात्राओं को दिनांक 17.01.2018 को शैक्षणिक भ्रमण के लिए इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक ले जाया गया।



इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के पुस्तकालय में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सोहागपुर (धुरवार), शहडोल (म.प्र.) के प्राचार्य, शिक्षक और छात्र एवं छात्राएँ।



म.प्र. ट्रायबल वेलफेयर रेसिडेंशियल एण्ड आश्रम

एज्युकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसायटी

परिचय -

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय से शत-प्रतिशत अनुदान पर प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में संचालित 29 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों म.प्र. ट्रायबल वेलफेयर रेसिडेंशियल एण्ड आश्रम एज्युकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसायटी भोपाल (रजिस्ट्रेशन क्र. 6125/98) द्वारा किया जा रहा है। माननीय मंत्री जनजातीय कार्य विभाग इस सोसायटी के पदेन अध्यक्ष है। प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग इस सोसायटी के उपाध्यक्ष तथा आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. इसके सचिव है। सोसायटी के संचालक मण्डल की बैठक प्रति त्रैमास में आयोजित किये जाने का प्रावधान है। इसमें एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के संचालन के संबंध में समुचित समीक्षा/निर्णय लिये जाते हैं।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय थांदला (जिला झाबुआ), सैलाना (जिला रतलाम), कुक्षी (जिला धार), शाहपुर (जिला बैतूल), घंसौर (जिला सिवनी), सिझौरा (जिला मण्डला), जुन्नारदेव (जिला-छिंदवाड़ा), टंसार (जिला सीधी), पाली (जिला-उमरिया), अनूपपुर, डिण्डौरी, बड़वानी, सोण्डवा (जिला अलीराजपुर), मोरडुण्डिया (जिला झाबुआ), सोहागपुर (जिला शहडोल), रोशनी (जिला खण्डवा), नरईनाला (जिला जबलपुर), सिंगारदीप (जिला छिंदवाड़ा), उकवा (जिला बालाघाट), केसला (जिला होशंगाबाद), मैहर (जिला सतना), बुदनी (जिला सिहोर), सेजावाडा (जिला अलीराजपुर), सेंधवा (जिला बडवानी), गरडावद (जिला-धार), मंडला, चित्रकूट (जिला सतना), खरगोन, एवं सिंगरोली में संचालित हैं। प्रत्येक कक्षा में 60 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है जिनमें 30 बालक तथा 30 बालिकाएँ होती हैं। सत्र 2017-18 में 9780 सीट के विरुद्ध कुल 8617 विद्यार्थी, इनमें 4317 बालक एवं 4300 बालिकाएँ अध्ययनरत हैं।

अ. एकलव्य नवीन आवासीय विद्यालयों की स्थापना :-

वर्तमान में 20 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12वीं तक 420 विद्यार्थियों के लिये शिक्षण व्यवस्था संचालित है। वर्ष 2014-15 में 05 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा चन्द्र शेखर आजाद नगर जिला अलीराजपुर, बुदनी सिहोर, मैहर-सतना, सेंधवा-बडवानी एवं गरडावद-धार में स्वीकृत किये गये हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 6वीं वर्ष 2015-16 के शैक्षणिक सत्र जुलाई 2015 से विभागीय भवनों में प्रारंभ कर दिये गये हैं। वर्ष 2015-16

के माह जून में खरगोन, मण्डला, चित्रकूट-सतना एवं सिंगरोली में भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 04 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं। इन विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2016 से कक्षा 6वीं विभागीय भवन में प्रारंभ की गई है। वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में भवनों के निर्माण हेतु 5000.00 लाख की राशि निर्माण हेतु स्वीकृत की गई है।

सभी विद्यालयों में वर्ष 2006-07 से सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में स्वीकृत नवीन विद्यालयों से संबंधिता की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इन विद्यालयों में उत्तम गुणवत्ता के उत्कृष्ट शिक्षक पदस्थ किये जाने के उद्देश्य से संविदा नियुक्ति तथा नियमित नियुक्ति हेतु सेवा शर्तें एवं नियम विधि संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित किये गये हैं।

प्रथम चरण - विभाग द्वारा पूर्व में संचालित 08 आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत परिवर्तित किया गया।

क्र.	संस्था का नाम	जिला	संचालन वर्ष (पूर्व से)	ईएमआरएस विद्यालय स्वीकृति वर्ष	ईएमआरएस संचालन प्रारंभ वर्ष	भवन
1.	आदर्श उ.मा.वि.बड़वानी	बड़वानी	1979-80	1999-2000	2004-05	उपलब्ध
2	आदर्श उ.मा.वि.सिझौरा	मण्डला	1979-80	1999-2000	2004-05	उपलब्ध
3.	आदर्श उ.मा.वि. घंसौर	सिवनी	1979-80	1999-2000	2004-05	उपलब्ध
4	आदर्श उ.मा.वि.अनूपपुर	अनूपपुर	1983-84	1999-2000	2004-05	उपलब्ध
5	आदर्श उ.मा.वि.थांदला	झाबुआ	1980-81	1999-2000	2004-05	उपलब्ध
6	आदर्श उ.मा.वि. सैलाना	रतलाम	1982-83	1999-2000	2004-05	उपलब्ध
7	आदर्श उ.मा.वि. शाहपुर	बैतूल	1982-83	1999-2000	2004-05	उपलब्ध
8	आदर्श उ.मा.वि.कुशी	धार	1979-80	1999-2000	2004-05	उपलब्ध

उपरोक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, चूंकि पूर्व में आदर्श आवासीय विद्यालय के नाम से राज्य शासन के स्त्रोत से संचालित किए जा रहे थे, अतः इन विद्यालयों में प्रारंभ से ही नियमित वेतनमान के पद स्वीकृत है।

द्वितीय चरण :-

वर्ष 2005-06 में भारत सरकार के पत्र दिनांक 19.12.2005 द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जुन्नारदेव-छिंदवाड़ा, टंसार-सीधी, पाली-उमरिया एवं डिण्डोरी में स्वीकृत किये गये हैं।

क्र.	संस्था का नाम	जिला	संचालित वर्ष	भवन
1	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पाली	उमरिया	2005-2006	उपलब्ध
2.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय टंसार	सीधी	2005-2006	उपलब्ध
3.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जुन्नारदेव	छिंदवाड़ा	2007-2008	पूर्णता पर
4.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डिण्डोरी	डिण्डोरी	2005-2006	पूर्णता पर

तृतीय चरण :-

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित 08 विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं।

क्र.	जिला	विकास खण्ड	स्थान	स्वीकृत आदेश	भवन
1.	झाबुआ	राणापुर	मोरडुडिया	भारत सरकार जनजातीय कार्यमंत्रालय के पत्र क्र. 14020 / 10 / 2009 एसजी-1 दिनांक 30.6.2010	उपलब्ध
2.	अलीराजपुर	सौडवा	सौडवा		उपलब्ध
3.	खण्डवा	खालवा	रोशनी		उपलब्ध
4.	शहडोल	सोहागपुर	सोहागपुर		उपलब्ध
5.	छिंदवाड़ा	विछुआ	सिंगारदीप		उपलब्ध
6.	बालाघाट	परसवाड़ा	उकवा		उपलब्ध
7.	जबलपुर	नरईनाला	नरईनाला	क्र.14020 / 10 / 2009 एसजी-1 दिनांक 18.11.10 एवं समसंख्यक ज्ञापन दि. 2.12.10	उपलब्ध
8.	होशंगाबाद	केसला	केसला		उपलब्ध

चतुर्थ चरण :-

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में निम्नानुसार 3 विद्यालय नवीन स्वीकृत किये है व 2 विभागीय संस्थाओं को उन्नयन कर परिवर्तन किया गया है जिनके विवरण निम्नानुसार है :-

तीन नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय :-

भारत सरकार द्वारा प्रति भवन 12.00 करोड़ आवंटन उपलब्ध कराया गया है । भवन की लागत 27.00 करोड़ होने से शेष 15.00 करोड़ राज्य शासन के ज्ञापन क्र. एफ 3-1/2015/25-2/356 दिनांक 02.03.2016 द्वारा प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति जारी की गई ।

क्र.	जिला	स्थान	मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई भूमि का विवरण	भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृति
1.	सीहोर	ग्राम बासापुर तह.बुधनी	16.32 हेक्टेयर	पत्र क्र. एफ 11015/16(13)/2014 -एस. जी.-1 दिनांक 26.9.2014
2.	सतना	ग्राम अरकंडी तह. मैहर	08.11 हेक्टेयर	
3.	धार	धार	15.51 हेक्टेयर	

दो विभागीय संस्थाओं को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में परिवर्तन

भारत सरकार द्वारा प्रति भवन 05.00 करोड़ आवंटन उपलब्ध कराया गया है । भवन की लागत 27.00 करोड़ होने से शेष 22.00 करोड़ राज्य शासन के ज्ञापन क्र. एफ 3-1/2015/25-2/356 दिनांक 02.03.2016 द्वारा प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति जारी की गई ।

क्र.	जिला	स्थान (प्रस्तावित)	मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई भूमि का विवरण	भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृति
1.	बड़वानी	ग्राम जामली तह. सेंधवा	14.79 हेक्टेयर	पत्र क्र. एफ 11015/16(13)/2014 -एस. जी.-1 दिनांक 26.09.2014
2.	अलीराजपुर	ग्राम सेजावाडा तह. चन्द्रशेखर आजाद नगर	35.87 हेक्टेयर	

पंचम चरण :-

भारत सरकार द्वारा प्रति भवन 12.00 करोड़ आवंटन उपलब्ध कराया गया है। भवन की लागत 27.00 करोड़ होने से शेष 15.00 करोड़ राज्य शासन के ज्ञापन क्र. एफ 3-1/2015/25-2/356 दिनांक 02.03.2016 द्वारा प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।

क्र.	जिला	स्थान	मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई भूमि का विवरण (भवन निर्माणाधीन है)	भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृति
1.	मण्डला	मण्डला	12917.68 वर्ग मीटर	पत्र क्र. एफ 11015/5(15)/2015-एस.जी.-1 दिनांक 12.6.2015
2.	खरगोन	खरगोन	2352.00 वर्ग मीटर	
3.	सिंगरोली	सिंगरोली	11358.00 वर्ग मीटर	
4.	सतना	चित्रकूट	15376.64 वर्ग मीटर	

विद्यालयों का संचालन:-

वर्तमान में 20 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12वीं तक प्रत्येक विद्यालय में स्वीकृत सीट 420 विद्यार्थियों के लिये शिक्षण व्यवस्था संचालित है। वर्ष 2014-15 में स्वीकृत 5 नवीन विद्यालयों में कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक संचालित है। वर्ष 2015-16 में स्वीकृत 04 नवीन विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2016-17 में कक्षा 6वीं से 7वीं तक संचालित है।

- विद्यालयों के संचालन के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रबंधन समिति गठित है।
- मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग के ज्ञापन क्र.एफ-10-53/2011/25-2 दिनांक 10.06.2013 द्वारा समिति के भर्ती एवं पदोन्नति नियम अनुमोदित किए गए हैं। इन नियमों से समिति शासित है।

विद्यालयों की उपलब्धियाँ :-

1. परीक्षाफल :- सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम अंतर्गत आदिवासी विद्यार्थियों का परीक्षाफल

कक्षा 12 वीं			कक्षा 10 वीं		
2015 (12 संस्थाएँ)	2016 (12 संस्थाएँ)	2017 (12 संस्थाएँ)	2015 (12 संस्थाएँ)	2016 (20 संस्थाएँ)	2017 (20 संस्थाएँ)
58%	76%	67.82%	96.34%	93.3%	96.37%

2. कक्षा 12वीं उत्तीर्ण पश्चात अन्य संस्थानों में प्रवेश की जानकारी :-

क्र.	संस्था का नाम	संस्था में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या	संस्थानों में प्रवेशित विद्यार्थियों की स्थिति			
			राष्ट्रीयकृत (शासकीय)	राष्ट्रीयकृत (अशासकीय)	राज्य के शासकीय संस्थान	राज्य के अशासकीय संस्थान
1	थांदला-झाबुआ	8	—	—	8	—
2	सैलाना-रतलाम	26	—	—	10	16
3	बड़वानी-बड़वानी	36	—	—	26	10
4	कुक्षी-धार	34	—	—	9	—
5	शाहपुर-बैतूल	44	—	—	17	13
6	सिझोरा-मण्डला	34	—	—	25	6
7	अनूपपुर-अनूपपुर	35	25	10	0	0
8	घंसौर-सिवनी	35	—	—	32	3
9	टंसार-सीधी	12	—	—	—	—
10	डिण्डौरी-डिण्डौरी	27	—	—	10	17
11	जुन्नारदेव-छिंदवाड़ा	42	2	—	38	2
12	पाली-उमरिया	27	—	—	20	—
कुल		360	27	10	195	67

(ब) भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली से प्राप्त राशि एवं उसके उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में ।

क्र.	वर्ष	भारत सरकार से प्राप्त राशि			उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का विवरण		
		आवर्ती	अनावर्ती	योग	राशि	क्र.	दिनांक
1.	2015—16	3008.88	5000.00	8008.88	8008.88	144	02.07.2016
2.	2016—17	3452.40	2766.08	6218.48	824.19	286	11.11.2016
					5363.04	159	19.04.2017
					31.25	41	19.01.2018
योग					6218.48		
3.	2017—18	3647.28	3360.00	7007.28	4577.28	41	19.1.2018
					2430.00	शेष राशि 2430.00 लाख समिति के खाते में जमा नहीं हुई है जमा होने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जायेगा	
				योग	7007.28		

--००--

मध्यप्रदेश राज्य
अनुसूचित जनजाति आयोग

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

आयोग का गठन :-

मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक-24 सन 1995 के द्वारा वर्ष 1995-96 में मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग में अध्यक्ष के अलावा दो अशासकीय सदस्य होते हैं तथा आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग पदेन सदस्य होते हैं। आयोग के प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों के संपादन हेतु सचिव के पद की व्यवस्था की गई है।

आयोग के कृत्य तथा शक्तियाँ -

मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश अधिनियम 1995 क्रमांक-24 की धारा 9(1) के अनुसार आयोग को निम्नानुसार कृत्य सौंपे गये हैं :-

- (क) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिये आयोग हितप्रहरी के रूप में कार्य करें। (अनुसूचित जनजातियों) आदेश 1950 में सम्मिलित करने के लिये कदम उठाने हेतु राज्य सरकार को सिफारिश करना।
- (ख) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथासमय कार्यान्वयन की निगरानी करें तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में जो ऐसे कार्यक्रमों के लिये जिम्मेदार हैं-सुधार हेतु सुझाव दें।
- (ग) लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण के संबंध में सलाह दें तथा
- (घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करें जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे जायें। धारा 9 (2) के अनुसार आयोग की सलाह साधारणतः राज्य सरकार द्वारा आबद्धकारी होगी तथापि जहां सरकार को स्वीकार नहीं करती वहां वह उसके लिये कारण अभिलिखित करेगी।
- (ङ) अधिनियम की धारा 10 के अनुसार आयोग की धारा 9 की उपधारा (एक) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय विशिष्ट तथा निम्नलिखित विषयों के बाबत किसी वाद का विचारण करने वाले किसी सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होगी अर्थात् :-
 - (अ) राज्य के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

- (ब) किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करना ।
- (स) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ।
- (द) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख तथा उसकी प्रतिलिपि की अध्यापेक्षा करना ।
- (इ) साक्षी और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये समन निकालना ।

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग भोपाल द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्गों के हितों के संरक्षण के लिये हितप्रहरी की भूमिका निर्वाह कर रहा है ।

1. आयोग द्वारा राज्य शासन को अभी तक 17 वार्षिक प्रतिवेदनों की प्रस्तुती की जा चुकी है।
2. वर्ष 2012-13 का वार्षिक प्रतिवेदन दि. 28.08.15 को शासन को भेजा गया है।
3. वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15 एवं 15-16 के प्रतिवेदनों पर कार्यवाही अंतिम चरण में है ।

म.प्र. शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 23-6/2004/3/पच्चीस, दिनांक 24 अगस्त 2015 द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है एवं दो सदस्यों के पद रिक्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित समस्त गतिविधियों एवं कार्यकलापों पर सम्यक ढंग से प्राप्त शिकायतों पर उनके निराकरण की कार्यवाही जारी है ।

1. वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त 886 एवं पूर्व की लंबित शिकायत 744 इस प्रकार कुल 1630 शिकायतों में से 497 शिकायतों का निराकरण किया गया है।
2. आयोग को वर्ष 2017-18 में दिसंबर तक 458 शिकायतें प्राप्त एवं पूर्व की लंबित शिकायत 1133 इस प्रकार कुल 1591 शिकायतों में से 341 शिकायतों का निराकरण कराया गया है। शेष 1250 शिकायतों के निराकरण संबंधी कार्यवाही प्रचलित है ।

आयोग कार्यालय को प्राप्त वित्तीय आवंटन एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आयोग को रुपये 1,50,03,000/- लाख के बजट आवंटन के विरुद्ध रुपये 1,23,80,969/- का व्यय हुआ ।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह दिसंबर 2017 तक आयोग को प्राप्त बजट आवंटन रुपये 1,57,38,900/- के विरुद्ध 1,11,80,074/- रुपये का व्यय हुआ है ।

--००--

मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय
कोल जनजाति विकास अभिकरण

मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण

अभिकरण का गठन

मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक/एफ 23-18/2011/3/पच्चीस भोपाल दिनांक 06.05.2011 के द्वारा राज्य स्तरीय कोल विकास अभिकरण का गठन किया गया है। इस अभिकरण की शासकीय निकाय में अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नानुसार होंगे :-

1	राज्य शासन द्वारा कोल जनजाति से नाम निर्दिष्ट व्यक्ति (अधिकतम तीन वर्ष के लिए)	अध्यक्ष
2	अशासकीय सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम निर्दिष्ट 5 व्यक्ति (अधिकतम तीन वर्ष के लिए) जिसमें:- 1. तीन अशासकीय सदस्य (कोल जनजाति) 2. दो सदस्य (विषय विशेषज्ञ)	सदस्य
3	शासकीय सदस्य (1) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग (2) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग (3) आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग (4) संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ (5) संचालक, जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्था (6) संचालक, विशेष पिछड़ी जनजाति (7) आयुक्त, शहडोल संभाग (8) आयुक्त, रीवा संभाग (9) आयुक्त, जबलपुर संभाग (10) कोई अन्य शासकीय अधिकारी जिसे राज्य शासन नामांकित करना चाहे (11) अभिकरण के सचिव	सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सचिव

अभिकरण के अंतर्गत निम्नानुसार पद स्वीकृत किये गये हैं।

क्र.	पदनाम का नाम	स्वीकृत पद	वेतनमान
1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी /सचिव	01	15600—39100+6600
2	सहायक ग्रेड-2	02	5200—20200+2400
3	सहायक ग्रेड-3	02	5200—20200+1900
4	भृत्य/चौकीदार	01	4000/- कलेक्टर दर पर
अभिकरण के अध्यक्ष हेतु			
1	निज सहायक	01	5200—20200+2400
2	भृत्य	01	4000/-कलेक्टर दर पर

जिला स्तरीय प्रकोष्ठ -

अभिकरण के कार्य को जिला स्तर पर संचालन हेतु जिला रीवा, सतना, सिंगरौली, सीधी शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, जबलपुर, डिण्डोरी, नरसिंहपुर में सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, कार्यालय में पृथक से कोल जनजाति विकास प्रकोष्ठ” का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ के प्रभारी सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग होंगे ।

बायलॉज एवं पंजीयन -

कोल जनजाति अभिकरण के लिए मध्यप्रदेश शासन, आ.जा.क. विभाग के आदेश क्रमांक एफ 23—18/2011/3-पच्चीस, दिनांक 24.8.2011 के द्वारा बायलॉज स्वीकृत किया गया। स्वीकृत बायलॉज के आधार पर कोल जनजाति अभिकरण मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन दिनांक 12.12.2011 को पंजीकृत की गई है जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/24415/11 है।

वित्तीय प्रावधान एवं व्यय का विवरण -

अभिकरण के गठन के पश्चात् जिलों को वर्ष 2012—12 में गणवेश योजना एवं कृषि क्षेत्र विकास योजना हेतु क्रमशः 10700 एवं 125 हिट्रग्राहियों के लिये क्रमशः रुपये 64.22 लाख एवं 25.00 लाख जारी की गई है ।

इसके अतिरिक्त स्थापना मद में वर्ष 2012-17 तक रुपये 28.99 लाख व्यय की गई है।

कोल जनजाति विकास अभिकरण की प्रस्तावित योजनाएँ -

कोल जनजाति विकास के लिए पृथक से आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास के लिए निम्नानुसार योजनाएँ प्रस्तावित की गई हैं।

क्र.	योजना
1	कृषि क्षेत्र- (भूमि सुधार, वर्मी कम्पोस्ट खाद वितरण, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, कृषि उपकरण) प्रति इकाई 0.20 लाख
2	उद्यानिकी- (भूमि की तैयारी बाड़ी लगाना- रुपये 1500/- खाद बीज, कीटनाशक रुपये 9400/- आवश्यक उपकरण 6600/- प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षु का मानदेय रुपये 2000/-प्रचार-प्रसार रुपये 500/-) प्रति इकाई 0.20 लाख
3	गणवेश- लघु कोल जनजाति के अध्ययनरत छात्र -छात्राओं को विशेष पिछड़ी जनजाति की भांति स्वेटर, जूते, मोजे, स्कूल वेग का प्रदाय प्राथमिक कक्षाओं के लिए रुपये 600/- प्रति विद्यार्थी के मान से (6500 विद्यार्थियों हेतु)
4	स्वास्थ्य- कोल जनजाति बाहुल्य जिलों के दूरस्थ अंचलों के ग्रामों में स्वास्थ्य परीक्षण हेतु कैम्प आयोजित करने और बीमार व्यक्तियों के प्रारंभिक उपचार की व्यवस्था, दवाईयों का प्रदाय रुपये 125/- प्रति व्यक्ति के मान से
5	वानिकी- लघु वनोत्पाद, दोना पत्तल, बांस कलाकृतियाँ, टोकनियां निर्माण सामग्री प्रशिक्षित प्रशिक्षु रुपये 2000/- विपणन खर्च सहित कुल 20000/- प्रति इकाई 0.20 लाख
6	सायकल रिक्शा प्रदाय- नगरीय क्षेत्र में कोल जनजाति के गरीब परिवार के सदस्यों को रिक्शा प्रदाय, नगर निगम तथा नगर पालिका में पंजीयन रिक्शा की कीमत रुपये 15500/- वार्षिक मरम्मत हेतु रुपये 2500/- (केवल एक बार) तथा दो वर्दी हेतु रुपये 1000/- (केवल एक बार) कुल रुपये 19000/-
7	मत्स्य पालन- मत्स्य पालन हेतु प्रशिक्षण एवं आवश्यक उपकरण, जाल, नाव, बीज एवं दाना रुपये 20000/- प्रति इकाई 0.20 लाख
8	पशु पालन- ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्धारित इकाई लागत के आधार पर रुपये 20000/- प्रति हितग्राही सीमा में मुर्गी पालन तथा बकरी पालन हेतु प्रति इकाई 0.20 लाख

सामान्य प्रशासनिक विषय

सामान्य प्रशासनिक विषय

मध्यप्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद् -

संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन ओर नियंत्रण तथा अनुसूचित जनजातियों के हित संरक्षण के लिए सुझाव देने हेतु “मध्यप्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद् की नियमावली 1957” लागू की गई है। मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-13-1/ 2009/5/पच्चीस दिनांक 18 जनवरी 2009 में आदिम जाति मंत्रणा परिषद् का पुनर्गठन किया गया है।

वर्ष 2009-10 में दिनांक 23 जुलाई 2009 एवं 12 मार्च 2010, वर्ष 2010-11 में 29 जुलाई 2010 तथा वर्ष 2011-12 में दिनांक 20.7.2011 को एवं मार्च 2012 को मध्यप्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद् की बैठकें आयोजित की गईं। वर्ष 2015-16 में आदिम जाति मंत्रणा परिषद् की अंतिम बैठक दिनांक 17 मार्च 2015 को संपन्न हुई।

1. विभागीय पदोन्नतियाँ/नियुक्तियाँ/स्थानान्तरण/विभागीय जाँच/न्यायालयोंन प्रकरण -

1.1 राजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत/भरे एवं रिक्त पद (दिसम्बर 2017 तक की स्थिति में)

क्रमांक	संवर्ग का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	अपर आयुक्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा	02	—	02
2	अपर आयुक्त, विभागीय	02	01	01
3	अपर संचालक	12	07	05
4	उपायुक्त	40	12	28
5	सहायक आयुक्त	32	15	17
6	अनुसंधान अधिकारी	20	06	14
7	वरिष्ठ लेखाधिकारी	02	02	00

8	जिला संयोजक/सहायक परि.प्र./सहायक संचालक	40	11	29
9	सहायक अनुसंधान अधिकारी	28	09	19
10	प्रचार अधिकारी	01	00	01
11	(अ) विकासखण्ड शिक्षाधिकारी (प्रशासन संवर्ग)	31	06	25
	(ब) विकासखण्ड शिक्षाधिकारी (शिक्षा संवर्ग)	44	44	00
12	क्षेत्र संयोजक/विकासखण्ड अधिकारी	91	55	36
13	लेखाधिकारी	08	01	07
14	सहायक यंत्री	06	05	01

1.2 राजपत्रित 130 पदों के सीधी भर्ती के पदों की स्थिति (दिसम्बर 2017 तक की स्थिति में)

क्रमांक	संवर्ग का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1.	जिला संयोजक	27	23	04
2.	सहायक अनुसंधान अधिकारी	18	01	17
3.	अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (50 प्रतिशत)	89	58	31
4.	क्षेत्र संयोजक/विकासखण्ड अधिकारी	30	10	20
5.	सहायक यंत्री	01	00	01

1.3 शिक्षा संवर्ग के पदों की स्थिति (दिसम्बर 2017) -

क्रमांक	पद नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1.	प्राचार्य प्रथम श्रेणी	123	42	81
2.	प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	786	314	474
3.	प्राचार्य हाई स्कूल	809	427	382

4.	प्रधान पाठक	3451	2862	589
5	उच्च श्रेणी शिक्षक	7393	5653	1740
6.	वरिष्ठ अध्यापक	2583	2187	396
7.	अध्यापक	13292	11274	2018
8	संविदा शिक्षक वर्ग-1	2181	436	1745
9	संविदा शिक्षक वर्ग-2	14065	3017	11048
10	संविदा शाला वर्ग-3	26400	15118	11282
11	सहायक शिक्षक	13584	13584	—
12	सहायक अध्यापक	21415	21196	219

1.4 वर्ष 2016—17 में किये गये स्थानांतरण (दिसम्बर 2017 तक की स्थिति में)

क्रं.	संवर्ग का नाम	प्रशासकीय	स्वैच्छिक	योग
1	अपर आयुक्त	—	—	—
2	अपर संचालक	03	—	03
3	उपायुक्त	—	—	—
4	सहायक आयुक्त	06	02	08
5	अनुसंधान अधिकारी	01	—	01
6	जिला संयोजक	05	02	07
7	सहायक अनुसंधान अधिकारी	01	0	0
8	विकासखंड शिक्षा अधिकारी (प्रशासन संवर्ग)	—	—	—
9	अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	15	04	19

10	क्षेत्र संयोजक/विकासखंड अधिकारी	05	04	09
11	सहायक यंत्री	—	—	—
12	उपयंत्री	00	00	00
13	मण्डल संयोजक	00	00	00
14	कनिष्ठ लेखाधिकारी	00	00	00
15	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	00	00	00
16	कार्यक्रम निरीक्षक	01	00	01

5.1 स्थानान्तरण - शिक्षक संवर्ग वर्ष दिसम्बर-2017

क्रमांक	संवर्ग का नाम	स्वैच्छिक	प्रशासनिक	कुल
1	प्राचार्य प्रथम श्रेणी	—	—	—
2	प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	17	14	31
3	प्राचार्य हाईस्कूल	23	06	29
4	सहायक शिक्षक	37	6	43
5	उच्च श्रेणी शिक्षक	20	3	23
6	प्रधान पाठक	8	4	12
7	पी.टी.आई.	4	—	4
	योग	109	33	142

विभागीय जांच प्रकरणों की जानकारी - (दिसम्बर 2017 की स्थिति में)

पूर्व के शेष प्रकरण	दिनांक 1.1.2017 से दिनांक 31.12.2017 तक संस्थित प्रकरण	योग (कॉलम 1 एवं 2)	दिनांक 1.1. 2017 से दिनांक 31.12.2017 तक निराकृत	शेष प्रकरण
1	2	3	4	5
33	10	43	07	36

न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी (दिसम्बर 2016 की स्थिति में)

कुल लंबित प्रकरण	अवमानना प्रकरण	अपीलीय प्रकरण	वादोत्तर प्रस्तुत करने हेतु शेष प्रकरण	निर्णय पालन हेतु शेष प्रकरण
1	2	3	4	5
1112	117	186	213	305

--००--

अभिनव योजना

अभिनव योजना

1. संभाग स्तरीय उत्कृष्ट छात्रावास-

इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं भोपाल में प्रति छात्रावास 200 सीट के मान से 04 नवीन उत्कृष्ट छात्रावास खोले जा रहे हैं। इन संस्थाओं में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की कोचिंग की सुविधा छात्र-छात्राओं को इम्पैनल्ड संस्थाओं के माध्यम से प्रदाय की जायेगी।

2. छात्रावास/आश्रमों/संस्थाओं में पात्रता राशि का निर्धारण :-

छात्रावास/ आश्रमों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं को प्रदाय की जाने वाली राशि एवं सामग्री का छात्र एवं संस्था के मान से पात्रता का निर्धारण किया गया है। वर्ष 2017-18 से संस्था व छात्र को नवीन/नवीनीकरण संस्था की पृथक-पृथक पात्रता के मान से आवंटन जारी किया जायेगा। जिससे राशि का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

3. छात्रावास/आश्रमों में सामग्री क्रय हेतु पालक समितियों को अग्रिम राशि प्रदाय किया जाना :-

इस वर्ष से छात्रावास/आश्रमों में सामग्री क्रय हेतु पालक समितियों को सामग्री क्रय हेतु राशि अग्रिम रूप में प्रदाय की जायेगी। सामग्री का क्रय छात्रावास/ आश्रम पालक समिति छात्रावास की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर करेगी।

4. क्रीड़ा परिसर

वर्ष 2017-18 में माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा क्रमांक 3237 दिनांक 23.1.2017 द्वारा 23 क्रीड़ा परिसरों में से 07 क्रीड़ा परिसरों का चिन्हांकन कर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु विशिष्ट खेल क्रीड़ा परिसरों का निर्माण किया जा रहा है।

क्र.	07 विशिष्ट क्रीड़ा परिसर	खेल विधाएँ
1	बालक क्रीड़ा परिसर इंदौर	एथलेटिक्स (ट्रेक एण्ड फील्ड)
2	बालक क्रीड़ा परिसर श्योपुर	एथलेटिक्स (ट्रेक एण्ड फील्ड)
3	बालक क्रीड़ा परिसर खरगोन	जिमनास्टिक
4	बालक क्रीड़ा परिसर शहडोल	क्लाइंबिंग एण्ड बोल्लरिंग

5	कन्या क्रीड़ा परिसर शहपुरा डिण्डौरी	एथलेटिक्स (ट्रेक एण्ड फील्ड)
6	कन्या क्रीड़ा परिसर डही जिला धार	बेडमिंटन, टेबल टेनिस, स्काइश
7	कन्या क्रीड़ा परिसर झाबुआ	आर्चरी (तीरंदाजी)

उपरोक्त क्रीड़ा परिसर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराई जावेगी । 07 क्रीड़ा परिसर के भवन निर्माण हेतु भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्रति संस्था राशि रुपये 12.00 करोड़ के मान से राशि रुपये 84.00 करोड़ की स्वीकृति संविधान के अनुच्छेद 275 (1) पूंजीगत मद अन्तर्गत किया जावेगा । 07 क्रीड़ा परिसरों में आउटसोर्सिंग से 01 ए श्रेणी मानदेय 1.50 लाख प्रतिमाह एवं 02 बी श्रेणी के मानदेय 1.00 लाख प्रतिमाह कोच की सेवाएँ ली जावेगी । फिजियोथेरेपिस्ट प्रत्येक क्रीड़ा परिसर संविदा पी.टी.आई. के पद के विरुद्ध फिजियोथेरेपिस्ट मानदेय 30000/- की सेवाएँ आउट-सोर्सिंग से ली जावेगी। शिष्यवृत्ति की दर रुपये 3000/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रुपये 6000/- प्रतिमाह की दर से देय होगी ।

5. विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु अभिनव योजनाएँ :-

1. कम्प्यूटर प्रशिक्षण -

वर्ष 2017-18 हेतु द्वितीय किशत में विशेष पिछड़ी जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में 05 कम्प्यूटर प्रशिक्षण कौशल विकास केन्द्र छिंदवाडा, श्योपुर, शहडोल, शिवपुरी एवं मंडला जिलों में खोले जाने हेतु प्रति केन्द्र 596.00 लाख के मान से कुल राशि रुपये 2984.00 लाख की स्वीकृति प्रदाय की गई है । मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के सहयोग से प्रतिवर्ष 10000 विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदाय कर स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है ।

2. स्वास्थ्य -

वित्तीय वर्ष 2017-18 में आयुष विभाग को सिकलसेल एनीमिया डिसऑर्डर से पीड़ित विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय को होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से लाभ पहुँचाने हेतु राशि रुपये 358.74 लाख का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है ।

3. विशेष पोषण आहार -

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में सहरिया जनजाति (बैगा, भारिया सहित) के परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु परिवार की महिला मुखिया के खाते में प्रतिमाह राशि रुपये 1000 की वित्तीय सहायता प्रदाय किये जाने की योजना स्वीकृत की गई है। योजना अंतर्गत माह जनवरी 2018 में 242752 पी.व्ही.टी.जी परिवारों के लिये राशि रुपये 2371.20 लाख की वित्तीय सहायता प्रदाय की गई है माह फरवरी-मार्च 2018 के लिये राशि रुपये 50 करोड़ व्यय किया जाना प्रस्तावित है ।

4. संस्कृति संरक्षण -

विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 04 सांस्कृतिक केन्द्रों का निर्माण किया जाना है श्योपुर (सहरिया संस्कृति), छिंदवाड़ा (भारिया संस्कृति) एवं डिण्डौरी (बैगा संस्कृति) तीन केन्द्रों के लिये राशि रुपये 590.00 लाख प्रति केन्द्रांश के मान से 1770.00 लाख की लागत से एवं भोपाल में (सहरिया, बैगा एवं भारिया तीनों की) संस्कृति संरक्षण हेतु राशि रुपये 1850.00 लाख (925.00 लाख भारत सरकार एवं 925.00 लाख राज्य सरकार द्वारा) की स्वीकृति भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्रदाय की गई है।

5. विभागीय योजनाओं एवं गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण -

राज्य शासन द्वारा 19 करोड़ की लागत की कम्प्यूटरीकरण की योजना स्वीकृत की गयी है, जिसका उद्देश्य विभागीय योजनाओं के हितग्राहियों को सरलता से एवं त्वरित गति से लाभ प्राप्त हो, योजनाओं की बेहतर मॉनीटरिंग हो एवं संचालन व पारदर्शिता हो । इस परियोजना के तहत विभाग की समस्त गतिविधियों का विस्तृत अध्ययन किया गया है एवं आगामी वित्तीय वर्ष में क्रियान्वयन अपेक्षित है ।

--००--

महिला खण्ड

महिला - खण्ड

जनजातीय कार्य विभाग :-

1. **शैक्षणिक संस्थाएँ :-** विभाग द्वारा कुल संचालित संस्थाओं में से बालिकाओं के लिए 113 उच्चतर माध्यमिक शालाएँ एवं 79 हाईस्कूल संचालित है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 82970 कन्याएँ एवं हाईस्कूल में 179747 कन्याएँ शिक्षा प्राप्त कर रही है।
2. **कन्या शिक्षा परिसर (राज्य शासन की योजनांतर्गत) :-**
मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला साक्षरता को सामान्य महिला साक्षरता प्रतिशत के बराबर लाने हेतु न्यून साक्षरता प्रतिशत वाले विकासखंडों में कक्षा 6 से कक्षा 12 वीं तक आवासीय शिक्षा हेतु कन्या शिक्षा परिसर स्वीकृत किए गए हैं। प्रत्येक कन्या शिक्षा परिसर 245 सीट (प्रति कक्षा 35) के संचालित हैं। राज्य शासन द्वारा 82 कन्या शिक्षा परिसर स्वीकृत किये गये हैं। वर्तमान में 72 कन्या शिक्षा परिसरों का संचालन किया जा रहा है। जिनमें 10479 छात्राएँ लाभान्वित हो रही है।
3. **कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजना कक्षा 11वीं :-**
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संकल्प 37 के अंतर्गत समेकित छात्रवृत्ति योजना के तहत आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजनांतर्गत कक्षा 10 वीं के उपरांत उत्तीर्ण कक्षा 11वीं में प्रवेशित बालिकाओं को रुपये 3000/- प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वर्ष 2017-18 से योजना में लाभ के लिये पालक/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा राशि रुपये 6.00 लाख तक निर्धारित की गई है।
वर्ष 2016-17 में 1344.57 लाख की राशि व्यय की जाकर 44819 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2017-18 में स्वीकृत प्रावधान 990.00 के विरुद्ध दिसम्बर 17 तक 80.84 लाख का व्यय हुआ है। वर्ष 2018-19 में 45000 बालिकाओं को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

4. सायकिल प्रदाय योजना :-

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2017—18 से कक्षा 9वीं में जिन अनुसूचित जनजाति छात्राओं को सायकिल प्रदाय नहीं की गई है उन्हें कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर स्कूल शिक्षा विभाग की दर अनुसार राशि प्रदाय की जाती है।

योजना की शर्तें एवं मापदण्ड:-

1. अनुसूचित जनजाति वर्ग की बालिका म.प्र. की मूल निवासी हो ।
2. अनुसूचित जनजाति वर्ग की बालिका द्वारा संस्था में नियमित प्रवेश लेना होगा।
3. ग्राम में उच्चतर माध्यमिक स्तर की सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर जो बालिका अन्य ग्राम/शहर में जाकर कक्षा 11वीं में प्रवेश लेकर अध्ययन करती हो ।
4. शासकीय शैक्षणिक संस्था में अध्ययनरत हो ।
5. बालिकाएँ उनकी मनपसंद सायकिल क्रय कर सकती है । इसके लिए राशि पालक/छात्रा के खाते में जमा की जायेगी ।

ऐसी अनुसूचित जनजाति वर्ग की बालिकायें जो कक्षा 11वीं में अध्यापन के लिये 02 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर आती हैं, उन्हें योजना का लाभ प्राप्त होगा।

वर्ष 2017—18 में 250.00 लाख का बजट प्रावधान के विरुद्ध दिसम्बर 2017 तक राशि 44.12 लाख व्यय की जाकर 1382 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है । वर्ष 2018—19 में 37000 बालिकाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

5. मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार योजना

अ- शंकर शाह और रानीदुर्गावती पुरस्कार-

वर्ष 2016—17 में रानीदुर्गावती पुरस्कार 07 एवं शंकरशाह पुरस्कार 06 प्रदान किये गये जिसमें प्रथम पुरस्कार 51000/- द्वितीय पुरस्कार 31000/- एवं तृतीय पुरस्कार 21000/- की राशि प्रदान की गई। म.प्र.शासन, जनजातीय कार्य विभाग के पत्र क्र.एफ 12—13/2017/25—2/1535 दि. 19.9.17 द्वारा शंकरशाह एवं रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की मेरिट में पहले 3 स्थान बालक या बालिका तथा अगले 3 स्थान बालिकाओं के लिये आरक्षित किये गये हैं तथा समान प्राप्तांक/स्थान होने पर समान

पुरस्कार राशि प्रदान की जायेगी । माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल द्वारा वर्ष 2017 में आयोजित कक्षा 10 वीं एवं कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के (मेरिट सूची से चयनित) 17 पात्र विद्यार्थियों को शंकरशाह एवं रानी दुर्गावती पुरस्कार दिये जाने हेतु चयन किया गया है । कक्षा 10वीं में 06 एवं कक्षा 12वीं में 07 बालकाओं को पुरस्कृत किया गया है ।

ब- अनुसूचित जनजाति बालिका विज्ञान प्रोत्साहन योजना-

म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-13/2017/25-2/1535 दि. 19.09.17 द्वारा अनुसूचित जनजाति बालिका विज्ञान पुरस्कार योजना में माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा आयोजित 12वीं बोर्ड परीक्षा में विज्ञान संकाय में भौतिक, रसायन, जीवविज्ञान एवं गणित विषय के अंकों को आधार मानकर इन विषयों के प्राप्तांक को सर्वाधिक अंक से न्यूनतम 90 प्रतिशत प्राप्त करने वाले 10 जनजातीय बालिकाओं को रुपये 50000/- के मान से पुरस्कार दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

6. छात्रावास एवं आश्रम :-

दूरस्थ अंचलों से अध्ययन हेतु आने वाली बालिकाओं के लिये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 27 जूनियर छात्रावास, 335 सीनियर छात्रावास, 108 उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास 68 महाविद्यालयीन छात्रावास, 02 संभागीय स्तरीय उत्कृष्ट छात्रावास, एवं 513 आश्रम संचालित हैं । इन संस्थाओं में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को रुपये 1130/- की दर से शिष्यवृत्ति 10 माह हेतु दी जाती है । इन छात्रावासों में 29246 छात्राएँ एवं आश्रमों में 29628 छात्राएँ निवास कर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं।

7. उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास :- निदानात्मक शिक्षा प्रदान करने हेतु 19 आदिवासी जिलों के मुख्यालय पर बालिकाओं के लिये 50 सीट वाले एक-एक उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र (कुल 19) संचालित है जिसमें 950 छात्राओं को शिक्षा प्रदान की जा रही है । इसी प्रकार 89 आदिवासी विकास खंडों में 89 उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र संचालित है जिसमें 4500 कन्याओं को शिक्षा प्रदान की जा रही है । प्रति माह कन्याओं को शिष्यवृत्ति राशि 500/-रुपये मासिक एवं 100 रुपये पोषण आहार प्रति माह एवं 2000/- राशि प्रति वर्ष पुस्तकें एवं स्टेशनरी के लिये दी जाती है।

8. **क्रीड़ा परिसर :-** शिक्षा के साथ जनजाति बालिकाओं के खेल प्रतिभा के उन्नयन हेतु 06 कन्या क्रीड़ा परिसर निवाली (बड़वानी) शाहपुर (डिण्डोरी), अमरकंटक (अनूपपुर), डही (धार), बैतूल एवं झाबुआ में संचालित किये जा रहे हैं। इन क्रीड़ा परिसरों में 600 कन्याओं को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रत्येक परिसर में 100-100 बालिकाएँ निवास करती हैं। प्रत्येक क्रीड़ा परिसर में प्रवेशित छात्राओं को रुपये 100/- प्रतिदिवस के मान से रुपये 3000/- प्रतिमाह खाने एवं पोषण आहार हेतु राशि दी जा रही है तथा वर्ष में एक बार प्रत्येक खिलाड़ी को रुपये 3000/- खेल किट के रूप में सुविधा दी जा रही है इसके अतिरिक्त छात्रावासों में दी जाने वाली समस्त सुविधाएँ इन छात्राओं को प्रदाय की जाती हैं।
9. **सेनेटरी नेपकिन**
कन्या छात्रावासों में इन्सीनिरेटर सेनेटरी वेडिंग मशीन एच.एल.एल. लाईफ केयर लिमिटेड भारत सरकार उपक्रम के माध्यम से लगवाई गई है। इस हेतु वर्ष 2016-17 में राशि रुपये 87.20 लाख व्यय की गई है। वर्ष 2017-18 में कन्या छात्रावासों में कुल 369 सेनेटरी वेडिंग मशीनें लगावाई गई हैं तथा इस हेतु कुल राशि रुपये 283.43 लाख का आवंटन जिलों को जारी किया गया है।
10. **कन्या छात्रावास/ आश्रमों में सी.सी. टीवी कैमरे :-** वर्ष 2017-18 में 908 कन्या छात्रावास/ आश्रमों में बालिकाओं की सुरक्षा हेतु सी.सी. टीवी कैमरे लगाये जाने बाबत राशि रुपये 159.00 लाख का आवंटन समस्त जिलों को आवंटित किया गया है।
11. **राज्य छात्रवृत्ति :-**
योजनांतर्गत क्रक्षा 1 से 5 तक की बालिकाओं को 250 रुपये क्रक्षा 6 से 8 तक 600 रुपये तथा 9 से 10 तक 1300 रुपये दस माह हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 2016-17 में राशि रुपये 13252.79 शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है। वर्ष 2017-18 में राशि रुपये 25810.00 लाख शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है।
12. **क्रक्षा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजना (राज्य योजना मद अंतर्गत):-**
अ- शासकीय एवं शासकीय स्ववित्त पोषी शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आय सीमा का बंधन समाप्त किया जाकर निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था की गई है।

ब- अशासकीय संस्थानों में अध्ययनरत इस वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावकों/माता पिता जिनकी वार्षिक आय रु. 6.00 लाख तक है, उन्हें प्रवेश एवं फीस नियामक समिति एवं निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की गई वास्तविक शैक्षणिक शुल्क का भुगतान विद्यार्थी के बैंक खाते में किया जाता है।

वर्ष 2017-18 में राशि रु. 248 करोड़ के विरुद्ध माह दिसम्बर 2017 तक राशि रु. 7534.01 लाख की राशि व्यय की जाकर 78866 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2018-19 में राशि रु. 20000 लाख के विरुद्ध 287000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

13. सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना :-

म.प्र. प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक, मुख्य एवं साक्षात्कार में सफल होने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु “सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन” योजना संचालित की जा रही है।

(अ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले जनजातीय वर्ग के अभ्यर्थियों को:-

प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 40,000/-

मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 60,000/-

साक्षात्कार उपरांत सफल होने पर 50,000/-

अखिल भारतीय सिविल सेवा में उपरोक्तानुसार प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की पात्रता के लिए आय सीमा का बंधन नहीं होगा।

(ब) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले जनजातीय प्रतियोगियों को जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रुपये 8.00 लाख से अधिक न हो, को :-

प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 20,000/-

मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 30,000/-

साक्षात्कार उपरांत सफल होने पर 25,000/-

दूसरी बार सफलता प्राप्त करने पर अभ्यर्थी को उपरोक्त उल्लेखित राशि की 50 प्रतिशत राशि देय होगी।

(राशि रु. लाखों में)

वर्ष	व्यय (राशि रु. लाखों में)	उपलब्धि (अभ्यर्थी)
2016-17	280.53	1403
2017-18	99.98 (दिसम्बर 2017 तक)	498
2018-19	500 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।	

--००--

जिलों में जनजातीय समाज के विकास हेतु की गयी उल्लेखनीय पहल

1. खेल के क्षेत्र में

जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत विभागीय शालाओं में अध्ययन के साथ-साथ खेल-कूद की विशेष व्यवस्थाएँ की गयी हैं। विभागीय क्रीड़ा परिसरों में जनजातीय छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा एवं खेल-कूद की आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं। खेल नवाचार के तहत जबलपुर संभाग के बालाघाट जिले में प्रतिवर्ष बैगा ओलम्पिक एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जा रहा है।

वर्ष 2017-18 में दिनांक 10, 11 एवं 12 फरवरी 2017 को बालाघाट जिले के बैहर मुख्यालय में बैगा ओलम्पिक, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वृहद स्वास्थ्य शिविर, कृषि विज्ञान मेला, सहप्रदर्शनी, अंत्योदय मेला, कैशलेस प्रशिक्षण शिविर बालाघाट टूरिजम प्रमोशन काउंसिल का आयोजन किया गया है। बैगा



ओलम्पिक का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को बैगा संस्कृति, परंपरागत शैलियों के लोक-नृत्य, वाद्ययंत्रों से परिचय के अनूठे अनुभव के साथ-साथ युवा प्रतिभाओं को संवर्धन हेतु अवसर उपलब्ध कराना है। एडवेंचर गतिविधियों में बिरवा हवाई पट्टी में हॉट एअर बैलून, पैरासेलिंग, रिवर्स बर्जीजम्पिंग जैसी साहसिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में न केवल मध्यप्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश एवं झारखंड के 22 जिलों से आदिवासी प्रतिभागियों को आमंत्रित किया जाता है।

कार्यक्रम में 484 प्रतिभागियों ने परंपरागत खेल- रस्सा-कसी, शिकारी खेल धनुष-बाण, मटका दौड़, त्रितंगी दौड़, बोरा दौड़, बजनी खेल (कुश्ती), कब्बड्डी, खो-खो, बॉलीबॉल, पोल खेल, लंबीकूद, रिले-रेस एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स आदि खेलों के आयोजन में भाग लिया।

उपलब्धियाँ - डिंडौरी जिले को रस्सा-कसी, शिकारी खेल धनुष-बाण, मटका दौड़, त्रितंगी दौड़, 50 किग्रा कुश्ती, कब्बड्डी, लंबीकूद, 100 मीटर रिलेरेस में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। बालाघाट जिले को

कबड्डी, खो-खो प्रथम स्थान, रस्सा-कसी, शिकारी खेल धनुष-बाण, बौरा दौड़, लंबीकूद, 60 किग्रा कुश्ती में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ।

प्रथम स्थान, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त जिले एवं खिलाड़ियों को मेडल से सम्मानित किया गया। ओवरआल चौम्पियन बालाघाट को घोषित किया गया है ।

2. **दापा प्रथा उन्मूलन कार्य** - जिला झाबुआ - झाबुआ जिले में 88 प्रतिशत जनजातियाँ निवास करती हैं, इनमें अधिकांश भील एवं भिलाला जनजाति हैं। जनजातीय समाज में आर्थिक विपन्नता का एक कारण समाज में व्याप्त कुरीतियाँ भी हैं, इन कुरीतियों की पहचान कर सामाजिक नेतृत्व के माध्यम से इन्हें दूर करने के लिए जिला प्रशासन झाबुआ द्वारा साथीदार अभियान चलाया गया है। जनजातीय समाज में दापा (दहेज की प्रथा है) जो वर पक्ष की ओर वधु पक्ष को दिया जाता है। दहेज की राशि न्यूनतम 3 से 10 लाख तक की होती है। इस राशि का उपयोग जनजातियों द्वारा शराब/डीजे तथा अन्य खर्चों में किया जाता है। वर-वधु पक्ष के पास कोई राशि शेष नहीं रहती है, वर पक्ष यह राशि उधार लेकर एकत्र करता है एवं यह ऋण वर पक्ष पर हमेशा बना रहता है, फलस्वरूप मजदूरी के लिए इन्हें पलायन करना पड़ता है। माह अक्टूबर 2016 से साथीदार अभियान प्रारंभ किया गया अभियान के अंतर्गत सामाजिक नेतृत्व देने वाली युवतियों का सहयोग लिया गया एवं निरंतर प्रयास के उपरान्त दापा की राशि अधिकतम 50,000 तक आ गई है एवं शराब/डीजे का उपयोग छोड़कर परम्परागत ढोल, मादल का उपयोग होने लगा है। जिले में विगत वर्ष कुल 3580 विवाह में से 324 में दापा नहीं लिया गया और 2302 विवाह में 50,000 से कम दापा राशि दहेज में ली गई।

इस प्रकार समाज में व्यापक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है ।

--००--

सारांश

मध्यप्रदेश देश का ऐसा राज्य है, जहाँ हर पांचवा व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग का है। इन वर्गों के कल्याण एवं विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश की आयोजना मद का 21.09 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जनजाति उपयोजना की अवधारणा के तहत पृथक से प्रावधानित किया जाता है।

आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत इस वर्ग की इन वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के मान से कुल राज्य आयोजना राशि विभिन्न विकास विभागों हेतु विभाजित की जाती है। इस राशि का बंटवारा राज्य योजना आयोग एवं संबंधित विकास विभागों से परामर्श कर अनुसूचित जनजातियों के लिये उपयोगी योजनाओं हेतु किया जाता है।

शैक्षणिक स्तर एवं आर्थिक सुदृढ़ता किसी भी वर्ग की सामाजिक स्थिति की पहचान होती है। इसलिए विभाग का लक्ष्य अनुसूचित वर्गों का शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करना है। मध्यप्रदेश ऐसा राज्य है, जहाँ आदिवासी विकासखण्डों में शिक्षा का संचालन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा किया जाता है।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को शिक्षण के साथ निःशुल्क आवास, भोजन, स्वच्छ पेयजल, विद्युत आदि की सुविधा देने के उद्देश्य से 1546 छात्रावास एवं 1083 आश्रम शालाएँ तथा 139 अन्य विशिष्ट आवासीय संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कुल 185646 विद्यार्थी लाभांविता हो रहे हैं। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों की प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहाँ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का प्रभावी क्रियान्वयन कर 168387 अनुसूचित जनजाति वर्ग दावेदारों के अधिकार मान्य किये गये हैं। मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है। राज्य सरकार का यह संकल्प है कि एक भी पात्रताधारी वन निवासी वन अधिकार से वंचित न रहे। अधिकार धारकों को कृषि प्रयोजन संबंधी अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने की ओर राज्य सरकार अग्रसर है।

विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति की परम्परागत संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राज्य स्तरीय जनजातीय संग्रहालय का निर्माण भोपाल में कराया गया है। वन्या प्रकाशन द्वारा सामुदायिक रेडियो केन्द्रों की स्थापना कराई जा रही है, जिससे प्रदेश के जनजातीय समाजों के बीच जहाँ सीधे उनकी तरक्की के लिए राज्य द्वारा संचालित प्रवर्तित योजनाओं की जानकारी पहुँचाई जा सकेगी।

जनजातीय कार्य विभाग

बजट प्रावधान एवं व्यय

जनजातीय कार्य विभाग

बजट प्रावधान एवं व्यय

परिशिष्ट “अ”

कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश			
बजट शीर्ष- मांग संख्या 33 मुख्यशीर्ष 2059—2202—2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण-02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण आयोजनेत्तर का प्रावधान (म.प्र. कोष एवं लेखा की वेबसाईट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार माह मार्च-2016 की स्थिति में व्यय) (राशि लाखों में)			
योजना क्र.	योजना का नाम	प्रावधान 2015—16	व्यय 2015—16
1	2	3	4
	NON-PLAN SCHEMES		
	33—2059 लोक निर्माण कार्य 01—053		
581	उच्चतर माध्यमिक शालाओं का अनुरक्षण/मरम्मत	200.00	136.39
1398	छात्रावास/आश्रमों की मरम्मत	400.00	269.49
495	आश्रम और शालायें की मरम्मत	400.00	244.08
	33—2202 सामान्य शिक्षा		
2773	प्राथमिक शालाएँ के वेतन भत्ते	52407.61	40482.65
364	आदर्श उ०मा०वि० के वेतन भत्ते	892.67	655.87
581	उच्चतर माध्यमिक शालाएँ के वेतन भत्ते	26578.11	21790.92
2739	प्रशिक्षण शालाएँ के वेतन भत्ते	61.48	53.3
3496	माध्यमिक शालाएँ के वेतन भत्ते	42319.26	36764.02
	33—2225 —02—001		
1481	जिला प्रशासन वेतन भत्ते	7902.10	6232.33
4083	विशेष पिछड़ा समूह प्रकोष्ठ	0.08	
5895	वित्तीय प्रकोष्ठ वेतन भत्ते	29.20	21.17
6130	संचालनालय वेतन भत्ते	2089.22	1650.49

53	डिक्रीधन का भुगतान (भारित)	10.00	0.8
	102 आर्थिक विकास	0.00	0
7300	स्व. श्री सुशील चन्द्र वर्मा पुरस्कार योजना	0.01	0
2744	प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र वेतन भत्ते	340.16	225.91
309	अशासकीय संस्थाओं को सहायक अनुदान	300.00	212.13
495	आश्रम और शालाएँ वेतन भत्ते	7782.44	5902.81
762	कन्या शिक्षा परिसर वेतन भत्ते	533.42	467.05
978	क्रीडा परिसर वेतन भत्ते	521.41	359.41
1398	छात्रावास वेतन भत्ते	9740.01	7736.69
2604	मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग वेतन भत्ते	138.15	77.81
2676	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	4000.00	2955.82
6175	राज्य छात्रवृत्तियाँ	2614.00	2614.00
2793	प्राविण्य छात्रवृत्तियाँ	0.00	0
	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 102 सामुदायिक विकास		
2506	परियोजना मुख्यालय वेतन भत्ते	2006.82	1598.98
	योग-33-2059-2225-2515	161266.15	130452.12

कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, मध्य प्रदेश			
मांग संख्या 41-2202 2225, 2515, 4202 4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण 02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण वर्ष 2015-16			
(म.प्र. कोष एवं लेखा की वेबसाइट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार माह मार्च -2016 की स्थिति में व्यय) (राशि लाखों में)			
योजना क्र०	योजना का नाम	प्रावधान 2015-16	व्यय 2015-16
1	2	3	4
	PLAN SCHEMES		
	41-2202 सामान्य शिक्षा		
2773	प्राथमिक शाला वेतन भत्ते (-) 372.25 लाख का पुर्नविनियोजन 600.00 लाख	11749.35	11034.43
3496	माध्यमिक शाला वेतन भत्ते +243.20 लाख पुर्नविनियोजन	9905.03	8696.03
364	आदर्श उ.मा.शाला वेतन भत्ते	730.00	613.68
581	उ.मा.शाला वेतन भत्ते	13397.12	11324.62
4980	जिला उत्कृष्ट विद्यालयों को प्रबंधन हेतु सहायता	611.40	505.63
5216	हाईस्कूल वेतन भत्ते	6590.08	5924.69
	41-2225-0102		
7621	कर्मचारियों/अधिकारियों का प्रशिक्षण	60.00	27.49
5156	आदिवासी वित्त एवं विकास निगम (स्थापना अनुदान)	370.00	370.00
7224	टंट्या भील स्वरोजगार योजना +7000.00 प्र.अनु.	8000.00	1000.00
5218	उधमी विकास संस्थान को अनुदान	150.00	150.00
494	आश्रम शाला वेतन भत्ते	3989.85	3660.26
584	मा. शिक्षा मण्डल को शुल्क की प्रतिपूर्ति	140.00	140
671	ऐच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिये अनुदान	1084.51	819.99
762	कन्या शिक्षा परिसर वेतन भत्ते +36.07 पुर्नविनियोजन	1036.07	958.25
978	क्रीड़ा परिसर वेतन भत्ते +20.39 पुर्नविनियोजन	1584.99	1280.84

1385	छात्रगृह योजना (+) 2044.87 लाख पुर्णनियोजन 1605.00 लाख पुर्णनियोजन.	5728.87	5050.05
1398	छात्रावास वेतन भत्ते +49.54 लाख पुर्णविनियोजन	1653.44	1386.88
1868	तकनीकी शिक्षा मण्डल /स्थापना अनुदान	95.00	95.00
2676	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	13062.89	8003.9
5202	व्यवसायिक परीक्षा मण्डल की शुल्क की प्रतिपूर्ति	30.00	0
5205	अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा हेतु नीजि कोचिंग संस्थाओं द्वारा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	110.00	73.7
5228	कम्प्यूटर प्रशिक्षण /अंग्रेजी प्रशिक्षण (-) 85.00 लाख पुर्णविनियोजन	125.00	42.76
5875	विशेष पिछड़े जनजाति के बच्चों के लिए 380.00 पुर्णविनियोजन	50.36	0
6502	पोस्ट मैट्रिक छात्रावास वेतन भत्ते पुर्णविनियोजन	2232.46	852.04
6813	साईकिलों का प्रदाय	271.00	84.21
7223	विज्ञान एवं सामयिक विषयों में प्रवेश पर प्रोत्साहन	460.00	312.82
7562	उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों की स्थापना	1104.75	647.65
7634	आदिवासी/अनु.जाति के छात्र/छात्राओं को दिल्ली में उच्च शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु)	1.00	0
8003	सैटेलाईट के माध्यम से शिक्षा	25.00	4.94
8012	शैक्षणिक संस्थाओं, आश्रम छात्रावासों हेतु उत्कृष्ट पुरस्कार	54.50	29.20
8735	अनुसूचित जाति /जनजाति के छात्रों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र + 504.50 प्रथम अनुपूरक	659.10	657.49
8801	सैनिक स्कूल/निजी संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजातियों के विद्यार्थियों को शुल्क की प्रतिपूर्ति	291.68	238.65
8832	आश्रम/छात्रावासों का सुदृढीकरण (-) 2044.87 लाख पुर्णविनियोजन	10376.53	5737.55
8842	विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति /जनजाति के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति	110.00	53.26

8843	शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु ग्राम पंचायतों को पुरस्कार	22.25	8.25
9817	व्यवसायिक शिक्षा	662.17	547.79
2697	प्रचार ईकाईयाँ	10.00	9.96
5233	राजीव गांधी खाद्यान्न सुरक्षा मिशन	43.26	36.71
5362	आदिवासी सेवा पुरस्कार	15.00	0
5526	वन अधिकार अधिनियम	1.00	0
6462	कोल जनजाति विकास अभिकरण 250.00 का पुनर्विनियोजन	50.00	0
6500	विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास (सहायक अनुदान)	0.00	0
7851	युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना	800.00	390.77
8011	सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन + 15.00 लाख प्रथम अनुपूरक+ 115.00 लाख पुनर्विनियोग	180.00	172.8
8804	राहत योजना	118.05	0
8808	सूचना प्राद्यौगिकी संबंधी कार्य	991.10	451.15
8906	योजनाओं का अनुश्रवण/मूल्यांकन/सर्वेक्षण	30.00	2.43
9819	विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण (-)125.00 पुनर्विनियोजन	50.00	0
9829	संदिग्ध दायित्व निवारण निधि	84.13	3.37
9853	आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास +125.00 पुनर्विनियोजन	190.00	117.38
9855	कन्या प्रकाशन 100 पुनर्विनियोजन	300.00	185.00
7747	कन्या छात्रावास/आश्रम में महिला गार्ड	0.01	0.00
1225	मावन अधिकार हनन के मामले में मुआवजा (44- 008) 100.00 प्रथम अनुपूरक 100.00 पुनर्विनियोजन	0.00	0.00

	41-2225-0602		
9819	विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण 42-007 + 81.02 प्रथम अनुपूरक	81.03	61.49
	41-2225-0702		
5191	अनुसूचित जाति/जनजाति के अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत सहायता/पुर्नवास सहायता	1105.00	1099.79
2501	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	40.00	20.45
7748	अम्ब्रेला स्कीम	0.01	0
	41-2225-0802		
6500	विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास	5000.00	2363.44
1317	महिला साक्षरता का सुदृढीकरण	350.00	0.00
5204	अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं के प्रावीण्य में उन्नयन	33.54	0.00
2676	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	7035.00	4131.4
1392	राज्य छात्रवृत्ति	11480.73	11480.73
5325	व्यवसायिक प्रशिक्षण शिक्षा	300.00	0.00
	41-2515-0102		
5209	मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का वेतन +23.05 पुर्न विनियोजन	567.32	507.69
	41-4202-0102 शिक्षा, खेल कूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		
581	उ.मा.शाला भवनों का निर्माण	5000.00	4758.41
	41-4225-0602		
9819	विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण 32 लघु निर्माण + 100.28 प्रथम अनुपूरक	100.29	82.27
	41-4225-0702		
8799	छात्रावास भवन निर्माण	1000.00	777.07
8828	आश्रम शाला भवन निर्माण	1000.00	1000.00

	41—4225—0102		
762	कन्या शिक्षा परिसर निर्माण (0102)	4000.00	0.00
8832	छात्रावास आश्रम का सुदृढ़ीकरण	4000.00	2710.93
8799	छात्रावास भवन निर्माण	4000.00	3906.12
8828	आश्रम शाला भवन निर्माण	3000.00	2956.58
978	क्रीड़ा परिसर भवन निर्माण	500.00	300.00
6821	शैक्षणिक संस्थाओं, आश्रम छात्रावासों हेतु भूमि अधिग्रहण	1.00	0
1032	कार्यालय भवनों का निमाण /विद्युतीकरण	200.00	53.07
4722	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तियों का विकास	6651.15	4538.06
7746	स्कील डब्लपमेंट सेंटर का निर्माण 64 बृहद निर्माणकार्य	200.00	0
	वृहद योग	155032.02	112449.12
7881	आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विविध विकास कार्य(0802)	13469.88	9585.05
7745	कम्यूनिटी लीडरशिप प्रशिक्षण योजना 51- अन्य प्रभार (0602)	1000.00	969.98
8284	विधानसभा क्षेत्र का विकास 41—4515	47.37	47.37
	योग	14517.25	10555.03

कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश			
बजट शीर्ष- मांग संख्या 74 / 75 मुख्यशीर्ष 2202 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण-02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण आयोजनेत्तर का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2015-16			
(म.प्र. कोष एवं लेखा की वेबसाईट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार माह मार्च-2016 की स्थिति में व्यय) (राशि लाखों में)			
योजना क्र.	योजना का नाम	प्रावधान 2015-16	व्यय 2015-16
1	2	3	4
	NON-PLAN SCHEMES		
	74-त्रिस्तरीय पंचायती राजसंस्थाओं को वित्तीय सहायता		
	74-2202-192 नगर पालिकाओं को सहायता		
9416	प्राथमिक शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	54272.80	49845.51
	योग-74-2202	54272.80	49845.51
	75- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता		
	75-2202-192 नगर पालिकाओं को सहायता		
9416	प्राथमिक शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	4857.00	4431.30
9417	उ०मा० शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	1272.00	1125.60
9418	माध्यमिक शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	962.00	735.91
9416	प्राथमिक शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	9470.00	8193.17
9417	उ०मा० शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	1736.54	1152.70
9418	माध्यमिक शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	875.00	873.16
7418		700.00	0.00
	योग-75-2202	19872.54	16511.84

परिशिष्ट - “ब”

कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश			
बजट शीर्ष- मांग संख्या 33 मुख्यशीर्ष 2059—2202—2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण-02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण आयोजनेत्तर का प्रावधान			
(म.प्र. कोष एवं लेखा की वेबसाईट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार माह मार्च 2017 की स्थिति में व्यय) (राशि लाखों में)			
योजना क्र०	योजना का नाम	प्रावधान 2016—17	व्यय वर्ष 2016—17
1	2	3	6
	NON-PLAN SCHEMES		
	33—2059 लोक निर्माण कार्य 01—053		
495	आश्रम और शालाओं का अनुरक्षण	400.00	329.71
581	उच्चतर माध्यमिक शालाओं का अनुरक्षण	200.00	160
1398	छात्रावास /आश्रमों का अनुरक्षण	400.00	329.82
	33—2202 सामान्य शिक्षा		
2773	प्राथमिक शालाएँ के वेतन भत्ते	57488.41	41775.49
364	आदर्श उ.मा.वि. के वेतन भत्ते	1061.03	646.61
581	उच्चतर माध्यमिक शालायें के वेतन भत्ते	28013.04	22783.06
2739	प्रशिक्षण शालाएँ के वेतन भत्ते	92.78	13.11
3496	माध्यमिक शालाएँ के वेतन भत्ते	46858.32	38605.96
	33—2225 —02—001		
1481	जिला प्रशासन वेतन भत्ते	9360.68	6459.59
5895	वित्तीय प्रकोष्ठ वेतन भत्ते	38.90	22.6
6130	संचालनालय वेतन भत्ते	2425.51	1688.50
53	डिक्रीधन का भुगतान (भारित)	10.00	4.81
7300	स्व. श्री सुशील चन्द्र वर्मा पुरस्कार योजना	0.01	0
2744	प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र वेतन भत्ते	316.89	232.83

309	अशासकीय संस्थाओं को सहायक अनुदान	220.00	196.72
495	आश्रम और शालायें वेतन भत्ते	8076.56	6432.32
762	कन्या शिक्षा परिसर वेतन भत्ते	669.60	486.5
978	क्रीडा परिसर वेतन भत्ते	426.37	363.93
1398	छात्रावास वेतन भत्ते	9875.36	8747.73
2604	मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग वेतन भत्ते + 16.50	166.35	119.27
2676	पोस्ट मैट्रिक छात्रावृत्तियाँ	4000.00	3894.50
6175	राज्य छात्रवृत्तियाँ	2614.00	2614.00
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 102 सामुदायिक विकास			
2506	परियोजना मुख्यालय वेतन भत्ते	2180.81	1640.86
	योग-33-2059-2225-2515	174894.62	137547.92

कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, मध्य प्रदेश			
मांग संख्या 41-2202 2225, 2515, 4202 4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण 02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण वर्ष 2016-17			
(म.प्र. कोष एवं लेखा की वेबसाइट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार माह मार्च 2017 की स्थिति में व्यय) (राशि लाखों में)			
योजना क्र.	योजना का नाम	प्रावधान 2016-17	व्यय वर्ष 2016-17
1	2	3	6
	PLAN SCHEMES		
	41-2202 सामान्य शिक्षा		
2773	प्राथमिक शाला वेतन भत्ते -300.00 लाख पुर्नविनियोजन	14038.65	11537.32
3496	माध्यमिक शाला वेतन भत्ते -	12939.98	8561.62
364	आदर्श उ.मा.शाला वेतन भत्ते	863.19	694.39
581	उ.मा.शाला वेतन भत्ते -	12336.66	8598.84
4980	जिला उत्कृष्ट विद्यालयों को प्रबंधन हेतु सहायता	611.40	418.07
5216	हाईस्कूल वेतन भत्ते + प्र अनु. अनु. 1848.42+ 300.00 लाख पुर्नविनियोजन	7060.58	3964.79
	41-2225-0102		
7621	कर्मचारियों/अधिकारियों का प्रशिक्षण	60.00	31.91
494	आश्रम शाला वेतन भत्ते	4656.44	4061.54
584	मा.शिक्षा मण्डल को शुल्क की प्रतिपूर्ति	140.00	126.00
671	ऐच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिये अनुदान	1661.71	1659.46
762	कन्या शिक्षा परिसर वेतन भत्ते + 15.33 लाख का पुर्नविनियोजन +122.34 लाख	2190.42	1884.75
978	क्रीड़ा परिसर वेतन भत्ते	1664.60	1260.95

1385	छात्रगृह योजना +1000.00 लाख	5665.00	5341.02
1398	छात्रावास वेतन भत्ते +100.00+600.00	2198.15	1772.04
2676	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ - 164.00 पूर्ण विनियोजन	14378.30	11922.68
5202	व्यवसायिक परीक्षा मण्डल की शुल्क की प्रतिपूर्ति	10.00	9.00
5205	अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा हेतु नीजि कोचिंग संस्थाओं द्वारा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	150.00	75.06
5228	कम्प्यूटर प्रशिक्षण /अंग्रेजी प्रशिक्षण	210.00	154.19
5875	विशेष पिछड़े जनजाति के बच्चों के लिए	16.00	0.00
6502	पोस्ट मैट्रिक छात्रावास वेतन भत्ते + 315.20	1371.00	890.63
6813	साईकिलों का प्रदाय	270.00	89.92
7223	विज्ञान एवं सामयिक विषयों में प्रवेश पर प्रोत्साहन	460.00	433.44
7562	उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों की स्थापना	1272.68	641.8
7634	आदिवासी/अनु.जाति के छात्र/छात्राओं को दिल्ली में उच्च शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु)	1.00	0.00
8003	सैटेलाईट के माध्यम से शिक्षा	25.00	7.81
8012	शैक्षणिक संस्थाओं, आश्रम छात्रावासों हेतु उत्कृष्ट पुरस्कार	56.80	29.98
8735	अनुसूचित जाति /जनजाति के छात्रों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र + 400.00 प्रथम अनु. अनु. + 200.00	855.70	453.34
8801	सैनिक स्कूल / निजी संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति /जनजातियों के विद्यार्थियों को शुल्क की प्रतिपूर्ति	265.01	234.55
8832	आश्रम/छात्रावासों का सुदृढीकरण	8099.40	6189.77
8842	विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति /जनजाति के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति+ 106.00 पूर्वविनियोजन	216.00	194.02
8843	शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु ग्राम पंचायतों को पुरस्कार	22.25	15.75

9817	व्यवसायिक शिक्षा	682.50	438.48
	41.2225.0702		
2501	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	50.00	16.18
	41.2225.0802		
1392	छात्रवृत्ति और वृत्तियाँ	4100.00	3690.00
2676	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	10000.00	3092.54
5204	अनुसूचित जाति /जनजाति के छात्रों को प्रवीण में उन्नयन	33.54	0.00
5325	व्यवसायिक प्रशिक्षण शिक्षा	33.54	0.00
	41-2225-02-802-0102		0.00
1225	मावन अधिकार हनन के मामले में मुआवजा	0.01	0.00
2697	प्रचार ईकाईयाँ	10.00	9.00
5233	राजीव गांधी खाद्यान्न सुरक्षा मिशन	43.20	32.52
5362	आदिवासी सेवा पुरस्कार	15.00	10.00
5526	वन अधिकार अधिनियम	1.00	0.00
7215	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	5700.00	5700.00
7747	कन्या छात्रावास/आश्रम में महिला गार्ड	0.01	0.00
8011	सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन +164.00 लाख पूर्ण विनियोजन	289.00	280.53
8804	राहत योजना (- 170.00 पुनर्विनियोजन)	37.10	16.34
8808	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	500.00	193.74
8906	योजनाओं का अनुश्रवण /मूल्यांकन /सर्वेक्षण + 37.50 लाख प्रथम अनुपूरक अनुमान +37.50 द्वितीय अनु.	115.00	25.22
9829	संदिग्ध दायित्व निवारण निधि	50.00	0.00
9853	आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास + 513.00 पुनर्विनियोजन	638.00	484.17

	41-2225-02-800-0702		
5191	अनुसूचित जाति /जनजाति के अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत सहायता /पुर्नवास सहायता + 400.00 प्रथम अनुपूरक अनुमान+ 300.00 द्वितीय अनु. + 170.00 पुनर्वियोजन	1670.00	1667.37
7748	अम्ब्रेला स्कीम	5916.46	0.00
	41-2515-101-0102		
5209	मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का वेतन	775.90	527.92
	41-4202-01-202-0102		
581	उच्चतर मा. शालाएँ 32 लघु निर्माण +1400.00 द्वितीय अनु.	6400.00	5062.02
	41-4225-02-0102-277-0102		
762	कन्या शिक्षा परिसर 32 लघु निर्माण + 2000.00 द्वितीय अनु.	3000.00	519.79
978	क्रीड़ा परिसर भवन निर्माण+ 4000.00 द्वितीय अनु.	5000.00	3938.46
6821	शैक्षणिक संस्थाओं, आश्रम छात्रावासों हेतु भूमि अधिग्रहण की योजना व भूमि व भवनो का क्रय/अधिग्रहण 001 भूमि का क्रय/अधिग्रहण	0.01	0.00
8799	छात्रावास भवन निर्माण 32 लघुनिर्माण कार्य+2000.00 द्वितीय अनु.	6000.00	4824.32
8828	आश्रम शाला भवन निर्माण 32 लघुनिर्माण कार्य + 1300.00 द्वितीय अनु.	4300.00	4029.63
8832	छात्रावास /आश्रम सुदृढीकरण 32 लघुनिर्माण कार्य	4000.00	3006.43
	41-4225-02-277-0702		
8799	छात्रावास भवन निर्माण 32 लघुनिर्माण कार्य	1000.00	325.28
8828	आश्रम शाला भवन निर्माण 32 लघुनिर्माण कार्य	1000.00	175.33

	41-4225-02-800-0102		
1032	कार्यालय भवनों का निर्माण / विद्युतीकरण 32 लघुनिर्माण कार्य	200.00	74.51
4722	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तियों का विकास	7800.81	6203.31
	योग	163127.00	115597.73
	41-4225-02-0102-0802 आदिम जाति क्षेत्रिय विकास योजना से प्राप्त		
7881	आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275(1) 51 अन्य प्रभार	11837.12	8566.60
1215	(0802) वन बंधु कल्याण योजना 51 अन्य प्रभार	447.15	225.14
1317	(0802) महिला साक्षरता का सुदृढीकरण 42-007	350.00	0
9819	(0602) विशेष पिछड़ी आदि.समूह अभिकरण 32 लघुनिर्माण	76.42	34.7
9819	(602) विशेष पिछड़ी आदि.समूह 42 सहायक अनुदान 007	1304.38	55.85
6462	(0102) कोल जनजाति विकास अभिकरण (-) 106.00 पुनर्विनियोजन	164.00	0
6500	(0802) विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास 42-007	6600.00	1640.11
5211	(0602) आई.टी डी.पी /मादा पाकेट/क्लस्टर में सीनीय विकास कार्यक्रम 51 अन्य प्रभार	1113.47	1113.47
7745	(0602) कम्यूनीटी लीडर शिप 51 अन्य प्रभार	230.00	230.00
5211	(0602) आई.टी डी.पी /मादा पाकेट/क्लस्टर में सीनीय विकास कार्यक्रम 32 लघु निर्माण	6911.60	73.66
	41-2801-800-0102		
7211	ग्रामीण विद्युतीकरण	430.00	181.84

7851	युवाओं को रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण	410.00	149.50
9819	(0102) विशेष पिछड़ी आदि.समूह अभिकरण (42-007)	45.00	6.74

कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश			
बजट शीर्ष- मांग संख्या 74 / 75 मुख्यशीर्ष 2202 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछडा वर्ग कल्याण-02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण आयोजनेत्तर का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2016-17			
(म.प्र. कोष एवं लेखा की वेबसाईट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार माह मार्च 2017 की स्थिति में व्यय) (राशि लाखों में)			
योजना क्र.	योजना का नाम	प्रावधान 2016-17	व्यय वर्ष 2016-17
1	2	3	4
	NON-PLAN SCHEMES		
	74-त्रिस्तरीय पंचायती राजसंस्थाओं को वित्तीय सहायता		
	74-2202-196 नगर पालिकाओं को सहायता		
9416	प्राथमिक शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	62413.72	58908.70
	योग-74-2202	62413.72	58908.70
	75- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता		
	75-2202-192 नगर पालिकाओं को सहायता		
9416	प्राथमिक शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	5585.55	5585.55
9417	उ०मा० शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	1725.00	1724.99
9418	माध्यमिक शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	1106.30	1105.90
	75-2202-193 नगर निगम को सहायता		
9416	प्राथमिक शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	10890.50	10890.22
9417	उ०मा० शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	1997.00	1996.81
9418	माध्यमिक शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	1014.30	1014.28
	योग-75-2202	22318.65	22317.75

मांग संख्या 52 मुख्य शीर्ष 2202 2225, 2236 पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 0102 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना वर्ष 2016-17			
(म.प्र. कोष एवं लेखा की वेबसाइट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार दिनांक मार्च-2017 की स्थिति में व्यय) (राशि लाखों में)			
योजना क्र०	योजना का नाम	प्रावधान 2016-17	व्यय वर्ष 2016-17
1	2	3	6
	PLAN SCHEMES		
	52.2202.102(196) जिला पंचायतों को सहायता		
2773	प्राथमिक शालाएँ (संविदा/शिक्षाकर्मी मानदेय) (01)	16000.00	15999.96
3496	माध्यमिक शालाएँ (संविदा/शिक्षाकर्मी मानदेय) (01)	6000.00	5998.97
581	उ.मा.शाला (संविदा/शिक्षाकर्मी मानदेय) (02)	3000.00	2999.86
5216	हाईस्कूल (संविदा/शिक्षाकर्मी मानदेय) (02)	1400.00	1400
	52.2202.0102(197) जनपद पंचायतों को सहायता,		
2773	प्राथमिक शालाएँ (संविदा/शिक्षाकर्मी मानदेय) (01)	14000.00	13999.79
3496	माध्यमिक शालाएँ (संविदा/शिक्षाकर्मी मानदेय) (01)	5451.46	5450.48
581	उ.मा.शाला (संविदा/शिक्षाकर्मी मानदेय) (02)	2300.00	2299.88
5216	हाईस्कूल (संविदा/शिक्षाकर्मी मानदेय) (02)	1500.00	1499.99
	52.2202.0102(198) ग्राम पंचायतों को सहायता,		
2773	प्राथमिक शालाएँ (संविदा/शिक्षाकर्मी मानदेय)	18000.00	17999.91
3496	माध्यमिक शालाएँ (संविदा/शिक्षाकर्मी मानदेय)	8500.00	8499.96
581	उ.मा.शाला (संविदा/शिक्षाकर्मी मानदेय) (02)	4000.00	3999.95
5216	हाईस्कूल (संविदा/शिक्षाकर्मी मानदेय) (02)	1751.21	1751.21
	52-2225-0102(196) जिला पंचायतों को सहायता		
494	आश्रम	4200.00	3314.92
1392	छात्रवृत्ति और वृत्तियाँ	1800.00	1620.00

1398	छात्रावास / आश्रमों का संचालन	4450.00	3593.61
2949	गणवेश का प्रदाय	600.00	382.83
3997	विद्यार्थी कल्याण	99.35	51.70
8805	प्राथमिक स्तर में बालक /बालिकाओं को छात्रवृत्ति	820.00	738.00
8844	कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाए (कक्षा नवमी एवं कक्षा ग्यारहवीं	350.00	315.00
9818	उ.मा.शालाओं में पुस्तकालय की स्थापना	204.56	156.74
9846	स्काउट गाईड	68.11	30.71
	52-2225-0102(197) जनपद पंचायतों को सहायता		
494	आश्रम	1190.00	769.12
1392	छात्रवृत्ति और वृत्तियाँ	1500.00	1350.00
1398	छात्रावास / आश्रमों का संचालन	1355.00	1036
2949	गणवेश का प्रदाय	450.00	237.31
3997	विद्यार्थी कल्याण	80.00	34.07
4691	कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाये	10.00	0.00
8805	प्राथमिक स्तर में बालक /बालिकाओं को छात्रवृत्ति	750.00	675.00
8844	कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाए (कक्षा नवमी एवं कक्षा ग्यारहवीं	240.00	216.00
9818	उ.मा.शालाओं में पुस्तकालय की स्थापना	135.49	96.25
9846	स्काउट गाईड	21.00	9.25
	52-2225-0102(198) ग्राम पंचायतों को सहायता		
494	आश्रम	4440.00	3581.94
1392	छात्रवृत्ति और वृत्तियाँ	8513.82	7662.44
1398	छात्रावास / आश्रमों का संचालन	5180.00	3348.12
2949	गणवेश का प्रदाय	425.45	192.43
3997	विद्यार्थी कल्याण	130.00	51.87

4691	कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएँ	10.00	0.00
8805	प्राथमिक स्तर में बालक /बालिकाओं को छात्रवृत्ति	1341.50	1207.35
8844	कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएँ (कक्षा नवमी एवं कक्षा ग्यारहवीं)	1118.77	1006.89
9818	उ.मा.शालाओं में पुस्तकालय की स्थापना	265.00	202.10
9846	स्काउट गाईड	58.00	30.14
	योग	121708.72	113809.75

परिशिष्ट-“स”

कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश			
बजट शीर्ष- मांग संख्या 33 मुख्यशीर्ष 2059—2202—2225,2801,4202 एवं 4225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण-02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण आयोजनेत्तर का प्रावधान			
(म.प्र. कोष एवं लेखा की वेबसाईट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार माह दिसंबर 2017 की स्थिति में व्यय) (राशि लाखों में)			
योजना क्र.	योजना का नाम	प्रावधान 2017—18	कोषालय सर्वर अनुसार दिसंबर 2017 तक का व्यय
1	2	3	6
	33—2059 लोक निर्माण कार्य 01—053		
495	आश्रम और शालाओं का अनुरक्षण	200.00	84.23
581	उच्चतर माध्यमिक शालाओं का अनुरक्षण	100.00	48.61
1398	छात्रावास /आश्रमों का अनुरक्षण	300.00	137.19
	33—2202 सामान्य शिक्षा 01—101		
2773	प्राथमिक शालाएँ (वेतन भत्ते)	64761.75	44344.82
3496	माध्यमिक शालाएँ (वेतन भत्ते)	10559.69	4171.85
364	आदर्श उ०मा०वि० (वेतन भत्ते)	2238.63	1237.86
581	उच्चतर माध्यमिक शालाएँ (वेतन भत्ते)	37883.72	24976.65
2739	प्रशिक्षण शालाएँ (वेतन भत्ते)	24.38	0
3496	माध्यमिक शालाएँ (वेतन भत्ते)	46889.64	34903.23
4980	जिला उत्कृष्ट विद्यालयों को प्रबंधन हेतु सहायता	535.00	298.64

5216	हाई स्कूल (वेतन भत्ते)	4769.62	2800.00
	33-2225 -02-001		
1481	जिला प्रशासन (वेतन भत्ते)	8133.81	5471.82
4083	विशेष पिछड़ा समुह प्रकोष्ठ (वेतन भत्ते)	0.04	0
5895	वित्तीय प्रकोष्ठ (वेतन भत्ते)	29.94	18.82
6130	संचालनालय (वेतन भत्ते) + 16.10 लाख पुनर्विनियोजन	2217.06	1569.00
53	डिक्रीधन का भुगतान (भारित)	5.00	1.1
7300	स्व. श्री सुशील चन्द्र वर्मा पुरस्कार योजना	0.01	0
7621	कर्मचारियों/अधिकारियों का प्रशिक्षण	50.00	36.24
2744	प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र वेतन भत्ते	267.18	150.22
5156	आदिवासी वित्त एवं विकास निगम (342.00) टी.आर.आई	712.00	168.75
7215	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (-) 845.00 पुनर्विनियोजन	6555.00	3330.00
7571	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	100.00	45.00
5218	उद्यमी विकास संस्थान को अनुदान +108.00 टी.आर.आई	258.00	135
494	आश्रम शालाएँ (वेतन भत्ते)	4432.38	2923.3
495	आश्रम और शालाएँ वेतन भत्ते (-) 9.54 पुनर्विनियोजन	8516.12	5207.3
584	माध्यमिक शिक्षा मण्डल को शुल्क की प्रतिपूर्ति	140.00	0
671	ऐच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक एवं अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए अनुदान + 3000.00 लाख पुनर्विनियोजन	4506.75	2667.19
762	कन्या शिक्षा परिसर (वेतन भत्ते)	4080.60	2222.09

978	क्रीड़ा परिसर (वेतन भत्ते)	2481.29	1014.58
	33-2225 -02-277		
1317	महिला साक्षरता का सुदृढीकरण (0802) (-) 350.00 लाख पुनर्विनियोजन	0.00	0
1385	छात्र गृह योजना (0102)(-) 3000.00 लाख पुनर्विनियोजन (-) 5.00 लाख पुनर्विनियोजन (पी.वी.टी.जी) (-) 800.00 पुनर्विनियोजन(-) 1610.00 पुनर्विनियोजन	9585.00	4305.05
1392	छात्रवृत्तियाँ और वृत्तियाँ (0802)	2000.00	0
1398	छात्रावास एवं आश्रमों का संचालन (वेतन भत्ते)	11372.96	8493.93
1868	तकनीकी शिक्षा मण्डल मेपसेट +9.00 टी.आर.आई	104.00	0
2501	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण (0702)	15.00	1.89
2604	मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग वेतन + भत्ते + 21.50 पुनर्विनियोजन	159.40	110.45
2676	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ (0102)	15020.00	2117.48
2676	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ (802) (-) 500.00 पुनर्विनियोजन	14500.00	2151.43
5202	व्यवसायिक परीक्षा मण्डल को शुल्क की प्रतिपूर्ति + (440.70)	450.70	450.70
5204	अनुसूचित जाति /जनजाति के छात्र-छात्राओं के प्राविण्य में उन्नयन (0802) (-) 100.00 लाख पुनर्विनियोजन	0.00	0.00

5205	अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा हेतु निजी कोचिंग संस्थाओं द्वारा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	150.00	29.29
5228	कम्प्यूटर/अंग्रेजी प्रशिक्षण	200.00	33.03
5325	व्यवसायिक प्रशिक्षण शिक्षा (0802) (-) 80.00 लाख पुनर्विनियोजन	20.00	0.00
5875	विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चों के लिए आश्रम एवं स्कूल + 16.10 लाख पुनर्विनियोजन	13.90	0.00
6175	राज्य छात्रवृत्तियाँ	4000.00	0.00
6502	पोस्ट मैट्रिक छात्रावास (वेतन भत्ते)+ 860.50 पुनर्विनियोजन	1803.07	823.61
6813	साइकिलों का प्रदाय(-) 250.00 पुनर्विनियोजन	250.00	44.12
7223	विज्ञान एवं सामयिक विषयों में प्रवेश पर प्रोत्साहन (-) 150.00 लाख पुनर्विनियोजन	350.00	263.33
7562	उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों की स्थापना	978.00	452.47
7634	आदिवासी /अनुसूचित जाति के छात्र -छात्राओं को दिल्ली में उच्च शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु	0.01	0.00
8003	सेटेललाईट के माध्यम से शिक्षा	15.00	1.26
8012	शैक्षणिक संस्थाओं, आश्रम, छात्रावासों हेतु उत्कृष्टता पुरस्कार	10.00	0.00
8735	अनुसूचित जाति /जनजाति के छात्र-छात्राओं को स्थाई जाति प्रमाण पत्र का प्रदाय राज्य लोक सेवा अभिकरण (-) 100.00 पुनर्विनियोजन	200.00	0.00

8801	सैनिक स्कूल/निजी संस्थाओं में अध्यनरत अनुसूचित जाति /जनजाति के विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति	265.00	161.53
8832	छात्रवास आश्रमों का सुदृढीकरण	7669.00	3661.13
8842	विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति /जनजाति के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति	300.00	116.87
8843	शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु ग्राम पंचायतों को पुरस्कार (-) 440.00 पुनर्विनियोजन	33.00	0.00
9817	व्यवसायिक शिक्षा (वेतन भत्ते)	565.29	306.99
	33-2225-02-794-0602		
9819	विशेष पिछड़े जनजाति समूह अभिकरण	1350.02	0.00
2697	प्रचार इकाईयाँ	10.00	4.84
5191	अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अन्तर्गत सहायता /पुनर्वास सहायता (0702)+ 500.00 लाख प्रथम अनुपूरक+ 1000.00 द्वितीय अनुपूरक अनुमान	2500.00	1395.64
5233	राजीव गांधी खाद्यान्न सुरक्षा मिशन	42.32	0.00
5362	आदिवासी सेवा पुरस्कार, पारितोषिक सम्मान	5.00	0.00
6462	कोल जनजाति विकास अभिकरण - 59.50 लाख पुनर्विनियोजन(-) 122.80 पुनर्विनियोजन (-) 100.00 पुनर्विनियोजन	43.70	0.00
6500	विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास (0802) + 5482.31 द्वितीय अनुपूरक	15482.31	573.99

7748	अम्ब्रेला स्कीम (0702)	0.01	0.00
7851	युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना	0.01	0.00
8011	सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन	100.00	99.98
8804	राहत योजना	110.00	26.22
8808	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य (+) 121.00 पुनर्विनियोजन	394.80	282.69
8906	योजना का अनुश्रवण/मुल्यांकन/सर्वेक्षण	10.01	0.00
9819	विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण (0102)+ 5.00 लाख पुनर्विनियोजन + 4000.00 पुनर्विनियोजन + 60.00 पुनर्विनियोजन	4065.01	3.43
9829	संदिग्ध दायित्व निवारण निधि (-) 10.00 पुनर्विनियोजन	0.00	0.00
9853	आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास + 800.00 पुनर्विनियोजन	875.00	76.13
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 101—0102			
5209	मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का वेतन	702.45	454.1
2506	परियोजना मुख्यालय (वेतन भत्ते)	2067.57	1385.51
2801—बिजली-06—800—0102			
7211	अनुसूचित जाति / जनजाति हेतु विद्युतीकरण योजना	9000.00	2611.35
योग-33—4202—01—202—0102			
581	उच्चतर मा. शालाएँ 32 लघु निर्माण (-2000.00 लाख पुनर्विनियोजन)	8000.00	43.89

	33-4225-02-277-0102		
762	कन्या शिक्षा परिसर 32 लघु निर्माण + 300.00 प्रथम अनुपूरक	8300.00	0.00
762	कन्या शिक्षा परिसर (0422) 32 लघु निर्माण + 2000.00 द्वितीय अनुपूरक	20000.00	0.00
978	क्रीड़ा परिसर भवन निर्माण	1000.00	0.00
6821	शैक्षणिक संस्थाओं, आश्रम छात्रावासों हेतु भूमि अधिग्रहण की योजना	0.01	0.00
8799	छात्रावास भवन निर्माण 32 लघुनिर्माण कार्य (0102) (+ 3000.00 + 1100.00+2000.00 का पुनर्विनियोजन)	6600.00	6500.00
8828	आश्रम शाला भवन निर्माण 32 लघुनिर्माण कार्य	2500.00	52.48
8832	छात्रावास/आश्रम सुदृढीकरण 32 लघुनिर्माण कार्य	5000.00	2775.12
	33-4225-02-277-0702		
762	कन्या शिक्षा परिसर	0.00	0.00
8799	छात्रावास भवन निर्माण 32 लघुनिर्माण कार्य + 2000.00 प्रथम अनुपूरक (- 3000.00 पुनर्विनियोजन)	0.00	0.00
8828	आश्रम शाला भवन निर्माण 32 लघुनिर्माण कार्य (- 110.00 पुनर्विनियोजन)	0.00	0.00
	33-4225-02-800-0102		
1032	कार्यालय भवनों का निर्माण / विद्युतीकरण 32 लघुनिर्माण कार्य	200.00	87.74
4722	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तियों का विकास	12500.00	6116.50

7746	स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण (टी.आर.आई से प्राप्त)	1000.00	0.00
	33-4225-02-800-0602		
9819	विशेष पिछड़े जनजाति समूह अभिकरण	0.01	0.00
	महायोग	382635.17	183977.66
	आदिम जाति क्षेत्रीय विकास से प्राप्त		
	33-4225-02-102-0802		
7881	आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275(1) 51 अन्य प्रभार	13520.45	4779.62
	33-4225-02-800-5211-0602		
5211	आई.टी.डी.पी/माडा पॉकेट/क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम 32 लघु निर्माण कार्य	22602.55	61.8
1215	वनबन्धु कल्याण योजना	135.87	37.54

मांग संख्या 53 मुख्य शीर्ष 2202 2225 पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 0102 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना वर्ष 2017-18			
(म.प्र. कोष एवं लेखा की वेबसाईट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार माह दिसंबर 2017 की स्थिति में व्यय) (राशि लाखों में)			
योजना क्र०	योजना का नाम	प्रावधान 2017-18	कोषालय सरवर अनुसार माह दिसंबर 2017 तक का व्यय
1	2	3	4
	53.2202.01.0102(192) नगर पालिकाओं को सहायता		
9416	प्राथमिक शिक्षा के लिए ग्रामीण एवं शहरी निकायों को अनुदान	6000.00	4810.35
	53-2202-01-0102(196) जिला पंचायतों को सहायता		
2773	प्राथमिक शालाएँ (संविदा/शिक्षाकर्मी मानदेय) (01) + 1500.00 प्रथम अनुपूरक	16500.00	14997.79
3496	माध्यमिक शालाएँ (संविदा/शिक्षाकर्मी मानदेय) (01) + 600.00 प्रथम अनुपूरक	6600.00	5999.93
9416	प्राथमिक शिक्षा के लिए ग्रामीण एवं शहरी निकायों को अनुदान	55000.00	46620.73
581	उ.मा.शालाएँ(संविदा/शिक्षाकर्मी मानदेय) (02) + 300.00 प्रथम अनुपूरक	3300.00	2999.97
5216	हाईस्कूल (संविदा/शिक्षाकर्मी मानदेय) (02) + 150.00 प्रथम अनुपूरक	1550.00	1409.1

53.2202.0102(197) जनपद पंचायतों को सहायता,			
2773	प्राथमिक शालाएँ (संविदा/शिक्षाकर्मी मानदेय) (01) + 1300.00 प्रथम अनुपूरक	14300.00	12999.98
3496	माध्यमिक शालाएँ (संविदा/शिक्षाकर्मी मानदेय) (01)	6000.00	3655.17
581	उ.मा.शालाँ(संविदा/शिक्षाकर्मी मानदेय) (02) + 300.00 प्रथम अनुपूरक	2600.00	2244.90
5216	हाईस्कूल (संविदा/शिक्षाकर्मी मानदेय) (02) + 150.00 प्रथम अनुपूरक	1650.00	1352.53
53.2202.0102(198) ग्राम पंचायतों को सहायता,			
2773	प्राथमिक शालाएँ (संविदा/शिक्षाकर्मी मानदेय) + 1600.00 प्रथम अनुपूरक	17600.00	15560.54
3496	माध्यमिक शालाएँ (संविदा/शिक्षाकर्मी मानदेय) + 800.00 प्रथम अनुपूरक	9300.00	8210.96
581	उ.मा.शाला (संविदा/शिक्षाकर्मी मानदेय) (02) + 400.00 प्रथम अनुपूरक	4400.00	3429.82
5216	हाईस्कूल (संविदा/शिक्षाकर्मी मानदेय) (02) + 200.00 प्रथम अनुपूरक	2076.57	1408.88
53-2225-02-0102(196) जिला पंचायतों को सहायता			
494	आश्रम शालाएँ	4200.00	3809.83
1392	छात्रवृत्ति और वृत्तियाँ	1800.00	0.00
1398	छात्रावास / आश्रमों का संचालन	3725.00	3617.13
2949	गणवेश का प्रदाय	600.00	539.97
3997	विद्यार्थी कल्याण	50.00	20.94

8805	प्राथमिक स्तर में बालक /बालिकाओं को छात्रवृत्ति	820.00	0.00
8844	कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएँ (कक्षा नवमी एवं कक्षा ग्यारहवीं)	350.00	0.00
9818	उ.मा.शालाओं में पुस्तकालय की स्थापना	204.56	51.90
9846	स्काउट गाईड	45.00	13.18
	53-2225-0102(197) जनपद पंचायतों को सहायता		
494	आश्रम शालाएँ	840.00	836.67
1392	छात्रवृत्ति और वृत्तियाँ	1000.00	0.00
1398	छात्रावास / आश्रमों का संचालन	1150.00	1128.08
2949	गणवेश का प्रदाय	250.00	224.75
3997	विद्यार्थी कल्याण	25.00	11.10
4691	कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएँ	0.01	0.00
8805	प्राथमिक स्तर में बालक /बालिकाओं को छात्रवृत्ति	750.00	0.00
8844	कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएँ (कक्षा ग्यारहवीं)	240.00	0.00
9818	उ.मा.शालाओं में पुस्तकालय की स्थापना	85.00	29.71
9846	स्काउट गाईड	23.00	5.64
	53-2225-0102(198) ग्राम पंचायतों को सहायता		
494	आश्रम शालाएँ	3775.00	1009.31
1392	छात्रवृत्ति और वृत्तियाँ	5000.00	0.00
1398	छात्रावास / आश्रमों का संचालन	4085.00	2151.5
2949	गणवेश का प्रदाय	225.45	15.83
3997	विद्यार्थी कल्याण	60.00	2.96

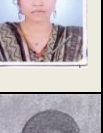
4691	कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाये (कक्षा 6वीं)	0.01	0.00
8805	प्राथमिक स्तर में बालक /बालिकाओं को छात्रवृत्ति	1450.00	0.00
8844	कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएँ (कक्षा ग्यारहवीं)	400.00	0.00
9818	उ.मा.शालाओं में पुस्तकालय की स्थापना	265.00	31.14
9846	स्काउट गार्ड	60.00	22.64
	योग	178354.60	139222.93

कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश			
बजट शीर्ष- मांग संख्या 64 मुख्यशीर्ष 2202 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछडा वर्ग कल्याण-02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण आयोजनेत्तर का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2017-18			
(म.प्र. कोष एवं लेखा की वेबसाईट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार माह दिसंबर 2017 की स्थिति में व्यय) (राशि लाखों में)			
योजना क्र०	योजना का नाम	प्रावधान 2017-18	कोषालय सरवर अनुसार दिसंबर 2017 तक का व्यय
1	2	3	4
	64-2202-192 नगर पालिकाओं को सहायता		
9416	प्राथमिक शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान + 600.00 प्रथम अनुपूरक	6185.55	5626.91
9417	उ०मा० शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान + 130.00 प्रथम अनुपूरक	4960.00	4476.98
9418	माध्यमिक शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान + 100.00 प्रथम अनुपूरक	1316.93	1195.09
	64-2202-193 नगर पंचायत को सहायता		
9416	प्राथमिक शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	12000.00	10826.20
9417	उ.मा. शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान + 150.00 प्रथम अनुपूरक	2346.70	2126.84
9418	माध्यमिक शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान + 100.00 प्रथम अनुपूरक	1215.73	1104.04
	योग-64-2202	28024.91	25356.06

विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति हेतु-नवीन पात्रता/वित्तीय सहायता

क्र.	मद	वर्तमान प्रावधान
1	लक्ष्य	50 विद्यार्थी
2	आयु सीमा	35 वर्ष 01 जनवरी की स्थिति में
3	पाठ्यक्रम	स्नातकोत्तर 35 पाठ्यक्रम, अतिरिक्त चिकित्सा विज्ञान के सभी पाठ्यक्रम, विधि, कामर्स, वित्तीय प्रबंधन, एम.बी.ए. पी.एच.डी., शोध
4	आय सीमा	10.00 लाख वार्षिक (पालक/अभिभावक/स्वयं की आय)
5	पाठ्यक्रम अवधि	स्नातकोत्तर : 2 वर्ष पी.एच.डी. - 4 वर्ष शोध - 1 वर्ष 6 माह
6	शैक्षणिक अर्हता	स्नातकोत्तर के लिए योग्यता/प्रतिशत : 55 प्रतिशत एवं पी.एच.डी. एवं उपरान्त शोध पाठ्यक्रम : 50 प्रतिशत
7	संस्था का चयन	विदेशी शिक्षण संस्था में प्रवेश हेतु संस्था चयन स्वयं विद्यार्थी द्वारा
8	अवसर	एक परिवार के एक अभ्यर्थी को एकबार
9	संस्था में प्रवेश	चयन की सूचना प्राप्त होने से 3 वर्ष व पी.एच.डी. एवं शोध हेतु (02 वर्ष) की समयावधि में प्रवेश
10	पाठ्यक्रम/संस्था में परिवर्तन	स्वीकृत किए गए पाठ्यक्रम अथवा शोध चर्या में परिवर्तन नहीं।
11	सेवारत आवेदक	नियोक्ता द्वारा प्रशासनिक मामले, अवकाश वेतन का निपटारा
12	छात्रवृत्ति हेतु पाठ्यक्रम	आदेश क्र.एफ- 12-9/2 /25 दिनांक 24 जुलाई 10 द्वारा केवल स्नातकोत्तर और उच्च स्तर की उपाधियों के लिए छात्रवृत्ति

विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति अंतर्गत विदेश गए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी

	कु-वैशाली तिमोथी पिता श्री विजय तिमोथी	वर्ष 2016-17	ऑकलेण्ड यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूजीलैण्ड	एम.बी.ए.
	गलिया मण्डोई पिता श्री जवाहरसिंह मण्डलोई	वर्ष 2016-17	फिटस ग्लोबल अकादमी सिंगापुर	एम.बी.ए.
	कु- मीरा चौहान पिता श्री हर्ष चौहान	वर्ष 2016-17	किलियरमोंट ग्रेज्यूट यूनिवर्सिटी(यू.एस.ए.)	इन्फार्मेशन सिस्टम एण्ड टेक्नोलॉजी मास्टर डिग्री
	श्री संजय सिंगार पिता श्री रत्नसिंह सिंगार	वर्ष 2016-17	फिटस ग्लोबल अकादमी सिंगापुर	एम.बी.ए.
	कु-बॉबी कटारे पिता श्री करनसिंह कटारे	वर्ष 2016-17	एफ-आई-एम-एस-ग्लोबल अकादमी सिंगापुर	एम.बी.ए.
	कु. भागवती मरावी पिता श्री रामसेवक सिंह मरावी	वर्ष 2017-18	एमआईडी एस मेनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर	मास्टर ऑफ साइंस इन हेल्थ साइंस
	कु. ममता धुर्वे पिता श्री सुखदेव धुर्वे	वर्ष 2017-18	एमआईडी एस मेनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर	मास्टर ऑफ साइंस इन हेल्थ साइंस
	कु. प्रियंका उडके पिता श्री फूलचंद उडके	वर्ष 2017-18	एच टी एम आई स्विट्जरलैंड	एम.बी.ए. इन हॉस्पिटल मेनेजमेंट

चयनित विद्यार्थियों को वर्तमान में दी जाने वाली वित्तीय सहायता

क्र.	मद	वर्तमान प्रावधान
1	निर्वाह भत्ता	9000 अमेरिकी डॉलर
2	आकस्मिक भत्ता	1000 अमेरिकी डॉलर
3	उपकरण भत्ता और अनुसांगिक यात्रा खर्च	1500/- भारतीय मुद्रा में उपकरण भत्ता या 18 अमेरिकन डॉलर।
4	प्रवेश शुल्क	वास्तविक प्रवेश शुल्क
5	शिक्षण शुल्क/	वास्तविक शिक्षण शुल्क अथवा 40000 यू.एस.डालर
6	बीमा प्रीमियम	बीमा प्रीमियम वास्तविक खर्च ।
7	वायुयान किराया	शैक्षणिक संस्था से निकटतम स्थान तक वायुयान से जाने एवं आने का लघुतम वायुमार्ग से एकोनामी दर्जे का किराया
8	स्थानीय यात्रा	उतरने के पोर्ट से अध्ययन के स्थान तक जाने एवं वापसी यात्रा हेतु द्वितीय श्रेणी का रेल किराया। अन्य स्थान हेतु बस किराया
9	पोल टैक्स	वास्तविक खर्च
10	वीजा शुल्क	भारतीय रुपयों में वास्तविक वीजा शुल्क
11	साक्षात्कार यात्रा व्यय	प्रत्याशी के निवास स्थान से साक्षात्कार के निर्दिष्ट स्थान तक के शहर का द्वितीय श्रेणी रेल किराया या साधारण बस किराया

**भारत सरकार द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के
संचालन हेतु वर्षवार प्राप्त अनुदान**

वर्ष	प्राप्त अनुदान (राशि लाखों में)			
	आवर्ती	अनावर्ती	योग	रिमार्क
1997-98	—	700.00	700.00	
1998-99	—	—	—	
1999-2000	—	200.00	200.00	
2000-01	—	—	—	
2001-02	—	809.63	809.63	
2002-03	—	—	—	
2003-04	—	285.58	285.58	800.00 छत्तीसगढ़ राज्य को हस्तान्तरित
2004-05	80.00	254.79	334.79	
2005-06	120.00	300.00	420.00	
2006-07	160.00	450.00	610.00	
2007-08	580.00	—	580.00	
2008-09	300.00	100.00	400.00	
2009-10	652.18	—	652.18	
2010-11	1579.00	400.00	1979.00	
2011-12	1774.08	3342.12	5116.20	
2012-13	2507.94	2183.20	4691.14	
2013-14	2562.64	—	2562.64	
2014-15	3290.80	2183.20	5474.00	
2015-16	3008.88	5000.00	8008.88	
2016-17	3452.40	2766.08	6218.48	
2017-18	3647.28	3360.00	7007.28	

आदिवासी विकासखण्डों की सूची

क्र.	जिला	क्र.	आदिवासी विकास खण्ड
इन्दौर संभाग			
1.	बुरहानपुर	1	खकनार
2.	खण्डवा	2	खालवा
3	झाबुआ	3	झाबुआ
		4	रामा
		5	राणापुर
		6	पेटलावद
		7	थांदला
		8	मेघनगर
4	अलीराजपुर	9	अलीराजपुर
		10	जोबट
		11	भाभरा
		12	सोंडवा
		13	कटठीवाड़ा
		14	उदयगढ़
5	बड़वानी	15	बड़वानी
		16	पाटी
		17	ठीकरी
		18	राजपुर
		19	पानसेमल
		20	सेंधवा
		21	निवाली
6	खरगौन	22	खरगौन
		23	महेश्वर
		24	भीकनगौव

		25	झिरन्या
		26	गोगवां
		27	सेगांव
		28	भगवानपुरा
7	धार	29	धार
		30	नालछा
		31	डही
		32	निसरपुर
		33	गंधवानी
		34	उमरवन(बकानेर)
		35	मनावर
		36	धरमपुरी
		37	कुक्षी
		38	तिरला
		39	सरदारपुर
		40	बाग
जबलपुर संभाग			
8	मण्डला	41	मण्डला
		42	नैनपुर
		43	घुघरी
		44	विछिया
		45	मवई
		46	मोहगांव
		47	निवास
		48	नारायणगंज
		49	बीजाडाण्डी
9	सिवनी	50	धनोरा
		51	घंसौर

		52	कुरई
		53	लखनादौन
		54	छपारा
10	छिंदवाड़ा	55	जुन्नारदेव
		56	विछुआ
		57	हरई
		58	तामिया
11	बालाघाट	59	बैहर
		60	बिरसा
		61	परसवाड़ा
12	डिण्डौरी	62	मेहदवानी
		63	करंजिया
		64	अमरपुर
		65	शहपुरा
		66	समनापुर
		67	बजाग
		68	डिण्डौरी
नर्मदापुरम संभाग			
13	होशंगाबाद	69	केसला
14	बैतूल	70	आठनेर
		71	भैंसदेही
		72	बैतूल
		73	भीमपुर
		74	चिचोली
		75	घोड़ाडोंगरी
		76	शाहपुर
उज्जैन संभाग			

15	रतलाम	77	सैलाना
		78	बाजना
रीवा संभाग			
16	शहडोल	79	सोहागपुर
		80	बुढार
		81	गोहपारू
		82	जयसिंह नगर
17	अनूपपुर	83	अनूपपुर
		84	जैतहरी
		85	कोतमा
		86	पुष्पराजगढ़
18.	सीधी	87	कुसमी
19	उमरिया	88	पाली
चम्बल संभाग			
20	श्योंपुर	89	कराहल

--००--

एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ			
क्र	जिले का नाम		परियोजना का नाम
1	2		3
		वृहद परियोजनाएँ	
1	झाबुआ	1	1. झाबुआ
2	अलीराजपुर	2	2. अलीराजपुर
3	धार	3	धार
		4	कुक्षी
4	खरगोन	5	खरगोन
		6	महेश्वर
5	बडवानी	7	बडवानी
		8	सेंधवा
6	खण्डवा	9	खण्डवा
7	रतलाम	10	सैलाना
8	मण्डला	11	मण्डला
		12	निवास
9	डिण्डौरी	13	डिण्डौरी
10	बालाघाट	14	बैहर
11	सिवनी	15	लखनादौन
12	छिन्दवाड़ा	16	तामिया
		17	सौसर
13	जबलपुर	18	कुण्डम
14	शहडोल	19	शहडोल
		20	जयसिंहनगर
15	अनूपपुर	21	पुष्पराजगढ़
16	उमरिया	22	बांधवगढ़
17	सिंगरोली	23	देवसर
18	सीधी	24	कुसमी

19	बैतूल	25	बैतूल
		26	भैंसदेही
मध्यम परियोजनाएँ			
1	होशंगाबाद	1	केसला
2	हरदा	2	हरदा
3	श्योपुर	3	कराहल
4	देवास	4	बागली
5	सिवनी	5	कुरई
माडा पाकेट			
1	धार	1	माडा बदनावर
2	ख.डवा	2	माडा अंधावाडी
		3	माडा पीपलकोटा
3	इन्दौर	4	माडा महु
4	सिवनी	5	माडा सिवनी
5	छिन्दवाड़ा	6	माडा लहगुडवा
6	जबलपुर	7	माडा सिहोरा
		8	माडा बरगीपाटन
		9	माडा मुडवारा
7	नरसिंहपुर	10	माडा नरसिंहपुर
8	शहडोल	11	माडा ब्यौहारी
9	सतना	12	माडा मैहर
		13	माडा नागौद
		14	माडा रधुराजनगर
		15	माडा अमरपाटन
10	रीवा	16	माडा पिपराही
11	बैतूल	17	माडा प्रभातपट्टन
12	रायसेन	18	माडा सिलवानी/बरेली

		19	माडा गौहरगंज
13	सीहोर	20	माडा इछावर, नसरुल्लागंज, बुधनी
14	सागर	21	माडा देवरीकलौ
15	पन्ना	22	माडा पवई
16	दमोह	23	माडा जबेरा
		24	माडा तेंदूखेडा
		25	माडा हटा
17	गुना	26	माडा गुना
		27	माडा चांचौडा
		28	माडा परसौलिया
18	शिवपुरी	29	माडा शिवपुरी
		30	माडा पोहरी
लघु अंचल (क्लस्टर)			
1	खंडवा		लघु अंचल पामाखेडी
2	जबलपुर		लघु अंचल प्रतापपुर
3	जबलपुर		लघु अंचल हिनौतिया
4	कटनी		लघु अंचल मोहरी
5	छतरपुर		लघु अंचल किशुनगढ
6	शिवपुरी		लघु अंचल कोटला

--००--

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची

	नवीन 28 व्ही.टी.सी.		
1	अलीराजपुर	1	भाबरा
		2	कट्ठीवाड़ा
		3	सोंडवा
		4	उदयगढ़
2	झाबुआ	5	पेटलावद
3	धार	6	मनावर
		7	तिरला
4	खरगौन	8	खरगौन
		9	सेगांव
		10	महेश्वर
5	बुरहानपुर	11	खकनार
6	बैतूल	12	बैतूल
		13	चिचोली
7	अनूपपुर	14	पुष्पराजगढ़
8	शहडोल	15	बुढार
9	मंडला	16	घुघरी
		17	मोहगांव
10	सिवनी	18	छपारा
11	छिंदवाड़ा	19	हरई
12	बालाघाट	20	बिरसा
		21	परसवाड़ा
13	डिंडोरी	22	समनापुर
14	उमरिया	23	पाली
15	श्योंपुर	24	कराहल

16	बालाघाट	25	बालाघाट
17	होशंगाबाद	26	कैसला
18	खण्डवा	27	खालवा (आंबलिया)
19	सिंगरौली	28	सिंगरौली
पूर्व से संचालित 10 व्ही.टी.सी.			
1	रतलाम	1	सैलाना
2	झाबुआ	2	झाबुआ
3	धार	3	धामनोद
4	धार	4	पीथमपुर
5	बड़वानी	5	सेंधवा
6	बड़वानी	6	बड़वानी
7	मण्डला	7	मण्डला
8	मण्डला	8	सिझौरा
9	बालाघाट	9	बैहर
10	सीधी	10	चुरहट

पूर्व से संचालित 09 टी.सी.पी.सी.			
1	झाबुआ	1	झाबुआ
2	धार	2	टांडा
3	बड़वानी	3	बड़वानी
4	रतलाम	4	रावटी
5	मण्डला	5	मण्डला
6	बालाघाट	6	बैहर
7	सीधी	7	सीधी
8	अनूपपुर	8	अमरकंटक
9	डिण्डौरी	9	डिण्डौरी

**विभाग द्वारा स्वीकृत उत्कृष्ट उ.मा.वि./आदर्श आवासीय विद्यालय/
गुरुकुलम/कन्या शिक्षा परिसर**

अ- उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

क्र.	विद्यालय का नाम	स्थान	ब्लॉक	जिला
1	उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, झाबुआ	झाबुआ	झाबुआ	झाबुआ
2	उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अलीराजपुर	अलीराजपुर	अलीराजपुर	अलीराजपुर
3	उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी
4	उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खरगोन	खरगोन	खरगोन	खरगोन
5	उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धार	धार	धार	धार
6	उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मण्डला	मण्डला	मण्डला	मण्डला
7	उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डिण्डौरी	डिण्डौरी	डिण्डौरी	डिण्डौरी
8	उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शहडोल	शहडोल	सोहागपुर	शहडोल
9	उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर

ब- आदर्श आवासीय विद्यालय/ गुरुकुलम

क्र.	आदर्श विद्यालय का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	तवानगर	होशंगाबाद
2.	आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	चुरहट	सीधी
3.	आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	श्योपुर	श्योपुर
4.	आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	धार	धार
5.	आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	मलाजखण्ड	बालाघाट
6.	आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	जयसिंह नगर	शहडोल
7.	आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	खरगौन	खरगौन

8.	आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	खण्डवा	खण्डवा
9	शा. गुरुकुलम आवासीय विद्यालय	भोपाल	भोपाल
10	शा. गुरुकुलम आवासीय विद्यालय	इन्दौर	इन्दौर
11	शा. गुरुकुलम आवासीय विद्यालय	शहडोल	शहडोल
12	शा. गुरुकुलम आवासीय विद्यालय	जबलपुर	जबलपुर

स- कन्या शिक्षा परिसर					
क्र	कन्या शिक्षा परिसर का स्थान	विकासखण्ड	जिला	वर्ष	रिमार्क
1	कन्या शिक्षा परिसर गंधवानी	गंधवानी	धार	2014-15	
2	कन्या शिक्षा परिसर धरमपुरी	धरमपुरी	धार	2014-15	
3	कन्या शिक्षा परिसर तिरला	तिरला	धार	2014-15	
4	कन्या शिक्षा परिसर धार	धार	धार	2015-16	
5	कन्या शिक्षा परिसर बाग	बाग	धार	2012-13	
6	कन्या शिक्षा परिसर डही	डही	धार	2012-13	
7	कन्या शिक्षा परिसर मनावर	मनावर	धार	2015-16	
8	कन्या शिक्षा परिसर सरदारपुर	सरदारपुर	धार	2015-16	
9	कन्या शिक्षा परिसर उमरवन	उमरवन	धार	2015-16	
10	कन्या शिक्षा परिसर श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर	2012-13	कराहल-श्योपुर के स्थान श्योपुर संशोधन
11	कन्या शिक्षा परिसर आशापुर	खालवा	खण्डवा	2013-14	
12	कन्या शिक्षा परिसर राजुर	खालवा	खण्डवा	2015-16	
13	कन्या शिक्षा परिसर खण्डवा	खालवा	खण्डवा	2012-13	खालवा खेड़ी-खण्डवा के सीन पर खण्डवा

14	कन्या शिक्षा परिसर झिरन्या	झिरन्या	खरगोन	2012-13	
15	कन्या शिक्षा परिसर खरगोन	खरगोन	खरगोन	2013-14	
16	कन्या शिक्षा परिसर महेश्वर	महेश्वर	खरगोन	2014-15	
17	कन्या शिक्षा परिसर धूलकोट	भगवानपुरा	खरगोन	2015-16	
18	कन्या शिक्षा परिसर गोगांवा	गोगांवा	खरगोन	2014-15	
19	कन्या शिक्षा परिसर झाबुआ	झाबुआ	झाबुआ	2012-13	
20	कन्या शिक्षा परिसर रामा	रामा	झाबुआ	2012-13	
21	कन्या शिक्षा परिसर थांदला	थांदला	झाबुआ	2012-13	
22	कन्या शिक्षा परिसर राणापुर	राणापुर	झाबुआ	2012-13	
23	कन्या शिक्षा परिसर पेटलाबाद	पेटलाबाद	झाबुआ	2013-14	
24	कन्या शिक्षा परिसर मेघनगर	मेघनगर	झाबुआ	2014-15	
25	कन्या शिक्षा परिसर इन्दौर संभाग मुख्यालय	इन्दौर	इन्दौर	2016-17	
26	कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	2013-14	
27	कन्या शिक्षा परिसर परसवाड़ा	परसवाड़ा	बालाघाट	2015-16	
28	कन्या शिक्षा परिसर बैहर	बैहर	बालाघाट	2013-14	
29	कन्या शिक्षा परिसर पाटी	पाटी	बड़वानी	2012-13	
30	कन्या शिक्षा परिसर राजपुर	राजपुर	बड़वानी	2014-15	
31	कन्या शिक्षा परिसर निवाली	निवाली	बड़वानी	2014-15	
32	कन्या शिक्षा परिसर सेंधवा	सेंधवा	बड़वानी	2012-13	
33	कन्या शिक्षा परिसर बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	2012-13	
34	कन्या शिक्षा परिसर पानसेमल	पानसेमल	बड़वानी	2015-16	
35	कन्या शिक्षा परिसर खकनार	खकनार	बुरहानपुर	2014-15	
36	कन्या शिक्षा परिसर भैंसदेही	भैंसदेही	बैतूल	2014-15	
37	कन्या शिक्षा परिसर बैतूल	बैतूल	बैतूल	2015-16	
38	कन्या शिक्षा परिसर चिचौली	चिचौली	बैतूल	2013-14	

39	कन्या शिक्षा परिसर कटनी	कटनी	कटनी	2013—14	
40	कन्या शिक्षा परिसर मण्डला	मण्डला	मण्डला	2013—14	
41	कन्या शिक्षा परिसर बिछिया	बिछिया	मण्डला	2013—14	
42	कन्या शिक्षा परिसर मोहगांव	मोहगांव	मण्डला	2014—15	
43	कन्या शिक्षा परिसर मवई	मवई	मण्डला	2015—16	
44	कन्या शिक्षा परिसर बीजाडांडी	बीजाडांडी	मण्डला	2015—16	
45	कन्या शिक्षा परिसर शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी	2016—17	वर्ष 2014—15 के निसरपुर धार के स्थान पर संशोधन
46	कन्या शिक्षा परिसर सिंगरौली	सिंगरौली	सिंगरौली	2013—14	
47	कन्या शिक्षा परिसर कुरई	कुरई	सिवनी	2015—16	
48	कन्या शिक्षा परिसर सिवनी	सिवनी	सिवनी	2013—14	
49	कन्या शिक्षा परिसर डिण्डौरी	डिण्डौरी	डिण्डौरी	2013—14	
50	कन्या शिक्षा परिसर मेंहदवानी	मेंहदवानी	डिण्डौरी	2014—15	
51	कन्या शिक्षा परिसर शहपुरा	शहपुरा	डिण्डौरी	2014—15	
52	कन्या शिक्षा परिसर बजाग	बजाग	डिण्डौरी	2014—15	
53	कन्या शिक्षा परिसर अमरपुर	अमरपुर	डिण्डौरी	2015—16	गवारा-वि.खं. बजाग डि.डौरी के स्थान पर संशोधन
54	कन्या शिक्षा परिसर करंजिया	करंजिया	डिण्डौरी	2015—16	
55	कन्या शिक्षा परिसर जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	छिन्दवाड़ा	2014—15	
56	कन्या शिक्षा परिसर हरई	हरई	छिन्दवाड़ा	2014—15	
57	कन्या शिक्षा परिसर बिछुआ	बिछुआ	छिन्दवाड़ा	2015—16	
58	कन्या शिक्षा परिसर तामिया	तामिया	छिन्दवाड़ा	2013—14	

59	कन्या शिक्षा परिसर हरदा	हरदा	हरदा	2013-14	टिमरनी जिला हरदा के स्थान पर संशोधन
60	कन्या शिक्षा परिसर होशंगाबाद मुख्यालय संभाग	होशंगाबाद	होशंगाबाद	2013-14	
61	कन्या शिक्षा परिसर भोपाल संभाग मुख्यालय	भोपाल	भोपाल	2016-17	
62	कन्या शिक्षा परिसर रायसेन	रायसेन	रायसेन	2016-17	वर्ष 2012-13 में भगवानपुरा- खरगौन के स्थान पर संशोधन
63	कन्या शिक्षा परिसर सैलाना	रतलाम	सैलाना	2014-15	
64	कन्या शिक्षा परिसर रतलाम	रतलाम	रतलाम	2012-13	बाजना-रतलाम के स्थान पर संशोधन
65	कन्या शिक्षा परिसर बुढ़ार	बुढ़ार	शहडोल	2014-15	
66	कन्या शिक्षा परिसर जैतपुर	जैतपुर (बुढ़ार)	शहडोल	2015-16	
67	कन्या शिक्षा परिसर शहडोल संभाग मुख्यालय	शहडोल	शहडोल	2013-14	
68	कन्या शिक्षा परिसर सीधी	सीधी	सीधी	2013-14	
69	कन्या शिक्षा परिसर कुसमी	कुसमी	सीधी	2015-16	
70	कन्या शिक्षा परिसर सीहोर	सीहोर	सीहोर	2013-14	चकल्दी जिला सीहोर के स्थान पर संशोधन
71	कन्या शिक्षा परिसर उमरिया	उमरिया	उमरिया	2013-14	
72	कन्या शिक्षा परिसर पाली	पाली	उमरिया	2014-15	

73	कन्या शिक्षा परिसर अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर	2013-14	
74	कन्या शिक्षा परिसर जैतहरी	जैतहरी	अनूपपुर	2015-16	
75	कन्या शिक्षा परिसर सोंण्डवा	सोंण्डवा	अलीराजपुर	2012-13	
76	कन्या शिक्षा परिसर कठ्ठीवाड़ा	कठ्ठीवाड़ा	अलीराजपुर	2012-13	
77	कन्या शिक्षा परिसर उदयगढ़	उदयगढ़	अलीराजपुर	2012-13	
78	कन्या शिक्षा परिसर अलीराजपुर	अलीराजपुर	अलीराजपुर	2012-13	
79	कन्या शिक्षा परिसर जोबट	जोबट	अलीराजपुर	2012-13	
80	कन्या शिक्षा परिसर भाभरा	भाभरा	अलीराजपुर	2012-13	
81	कन्या शिक्षा परिसर छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	1986-87	
82	कन्या शिक्षा परिसर पुष्पराजगढ़	पुष्पराजगढ़	अनूपपुर	1979-80	

--००--

राज्य शासन से अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाएँ		
क्रं.	अशासकीय संस्था का नाम	168 प्रवृत्ति/संचालन का स्थान
1	2	3
1.	वनवासी सेवा मण्डल, मण्डला	1. मुख्यालय 90 प्रतिशत योजना 2. प्राथमिक शाला-अमनाला, मानदेही, खलोडी, खमरोटी, भावामाला, माचला, धर्मपंरी, कामता, टेभा, सुखराम, भावलम्हनी, कुजेली 3. माध्यमिक शाला- टेभा, मानादेही, सुखतरा, बिछिया, अंजली 4. छात्रावास- महाराजपुर, भुआबिछिया, अंजली
	वनवासी सेवा मण्डल, डिण्डोरी	1. प्राथमिक शाला- बोंदर(बालक), बोंदर (कन्या), परसवाड़ा, गीदहा, जल्दाखेना, लदवानी, कुकरमठ, माधोपुर, मोहदा, वरनई, जाड़ासुरंग, वरसिंगा, जरहानेझर, डिण्डौरी 2. माध्यमिक शाला- बोंदर 3. बालक आश्रम- बोंदर 4. कन्या आश्रम बोंदर, डिण्डौरी 5. नेहरू औषधालय बोंदर, सुनियामार 6. उपकार्यालय डिण्डौरी 7. कृषि फार्म बोंदर
2.	रानी अवंती बाई कल्याण समिति, पटेहरा, नारायण गंज मंडला	1. हाई स्कूल पटेरा, नारायण गंज ।
3.	आदिवासी विकास समिति बवलिया (जेवरा)मंडला	1. बजरंग उ.मा.वि.
4	ग्राम भारती आश्रम टबलई जिला धार	1. कुमार मंदिर छात्रावास, टबलई बालवाड़ी माध्यमिक विद्यालय टबलई
5	भील सेवा संघ (इन्दौर संभाग) धार जिले में संचालित प्रवृत्तियाँ	1. आदिवासी बालक आश्रम, वेकलिया (50 सीट्स) बालवाड़ी/बाल मंदिर

		2. बालक आश्रम, जुगतलाई (50 सीट्स)
		3. बालक आश्रम खेड़ली(बाग) 50 सीट्स बालवाड़ी/आयुर्वेदिक औषधालय
		4. कन्या/बालक आश्रम तलावड़ी (30+50) कुक्षी, बालवाड़ी/बालमंदिर/आयुर्वेदिक औषधालय
		5. कन्या/बालक आश्रम तलावड़ी (30+50) कुक्षी, बालवाड़ी/बालमंदिर/आयुर्वेदिक औषधालय
		6. कन्या/बालक आश्रम तारापुर(धरमपुरी) (30+50) कुक्षी, बालवाड़ी बालमंदिर/ आयुर्वेदिक औषधालय
	भील सेवा संघ, झाबुआ	1. बालक आश्रम किशनपुरी
		2. माध्यमिक शाला किशनपुरी
		3. मुख्यालय झाबुआ
		4. आदिवासी आश्रम रेंहदा
		5. बालक आश्रम झकेला
		6. कन्या/बालक/आश्रम/छात्रावास/बालवाड़ी गुलाबपुरा
	भील सेवा संघ ख.डवा	1. बालक आश्रम, बालवाड़ी, आयुर्वेदिक औषधालय, सुंदरदेव.
	भील सेवा संघ, रतलाम	1. बालक/कन्या आदिवासी आश्रम कुदंनपुर रतलाम (50+30)
	भील सेवा संघ, अलीराजपुर	आदिवासी बालक आश्रम अम्बुआ
	भील सेवा संघ, बड़वानी	1. ठक्कर बापा आदिवासी आश्रम प्राथमिक शाला बोकराटा (बालक/कन्या) 50+30 बालवाड़ी/ बालमंदिर / आयुर्वेदिक औषधालय
		2. लाल बहादुर शास्त्री आदिवासी आश्रम प्राथमिक शाला (बालक/कन्या) 50+30 जोगवाड़ा/बालवाड़ी
		/ आयुर्वेदिक, औषधालय

		3. चन्द्रशेखर आजाद बालक आश्रम, चिचदा, प्राथमिक शाला (बालक/कन्या) 50 सीट बालवाड़ी/आयुर्वेदिकऔषधालय
6	वनवासी कल्याण परिसर धार	1.राणा बक्तावर सिंह बालक छात्रावास 2. एकलव्य वनवासी आश्रम कुक्षी 3. रानी दुर्गावती कन्या छात्रावास, बाग
7	राजेन्द्र आश्रम ट्रस्ट कट्टीवाडा , अलीराजपुर	1. बालक आश्रम कट्टीवाडा 250 सीट्स 2. कन्या आश्रम कट्टीवाडा 150 सीट्स 3. हाईस्कूल, कट्टीवाडा 4. आयुर्वेदी औषधालय
	वनवासी कल्याण परिषद अलीराजपुर	1. वल्लभ वनवासी आश्रम, अलीराजपुर
8	आदिमजाति अनूसूचित जाति ग्रामीण कल्याण केन्द्र बगईबडी झाबुआ	1. आदिवासी आश्रम बगईबडी माता चामुंडा आदिवासी बालक /कन्या आश्रम बगईबडी 2. आदिवासीआश्रम बालक/ कन्या बगई छोटी 3. आदिवासी विकास बालक भोरकुडिया
9	ग्राम स्वराज आश्रम मा.डलीनाथू झाबुआ	1. सबरी कन्या आश्रम माण्डलीनाथू । 2. पण्डित रविशंकर उ.मा.वि मा.डलीनाथू । 3. ग्राम स्वराज आश्रम माण्डलीनाथू । 4. माध्यमिक विद्यालय माण्डलीनाथू। 5. सरदार छात्रावास माण्डलीनाथू । 6. आश्रम /छात्रावास बालवाडी माण्डलीनाथू ।
10	निराश्रित बालक आश्रम राणापुर झाबुआ ।	1. विद्यामंदिर माध्यमिक विद्यालय राणापुर । 2. बालक कन्या बालवाडी राणापुर। 3. बालक आश्रम राणापुर । 4. कन्या आश्रम राणापुर ।
11	बापू ग्रामीण सेवा केन्द्र पीथनपुर झाबुआ ।	1. प्राथमिक शाला धमोई बालवाडी आरोग्य केन्द्र 2. बालक आश्रम धमोई ।

12	आदिवासी शिक्षा संस्कृति एवं पर्यावरण केन्द्र धमनीचमना झाबुआ	1. मुख्यालय धमनीचमना
		2. कन्या आश्रम कालापान
		3. बालक आश्रम धमनीचमना
13	पुष्पा माध्यमिक शाला डुबरीपाड़ा	1. माध्यमिक शाला डुबरीपाड़ा
	बनवासी कल्याण परिषद झाबुआ	1. चन्द्रशेखर आजाद छात्रावास झाबुआ
		2. वल्लभ बनवासी आश्रम राणापुर
14	पाण्डे शिक्षा समिति भमरहा, सतना	1. आवासीय कन्या उ.मा.वि. जयसिंह नगर 200 सीट्स
		2. आवासीय उ.मा.वि. सीधी 150 सीट्स
		3. आवासीय उ.मा.वि. टिहकी, 50 सीट्स
		4. आवासीय बालक छात्रावास टिहकी 50 सीट्स
		5. आवासीय कन्या
		उ.मा.वि. जयसिंह नगर 200 सीट्स
	पाण्डे शिक्षा समिति भमरहा, सतना	जिला-सतना
		1. समिति का मुख्यालय जयसिंह नगर भमरहा
		2. आवासीय कन्या माध्यमिक शाला भमरहा 50 सीट्स
		3. आवासीय कन्या आश्रम भमरहा 100 सीट्स
		4. आवासीय उ.मा.वि. भमरहा 200 सीट्स
		5. आवासीय बालक आश्रम शाला भमरहा 100 सीट्स.
15	दीनदयाल शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा सतना जिले में संचालित	1. आदिवासी रामनाथ आश्रम, चित्रकूट सतना
16	विद्या निकेतन शिक्षा समिति भदराकालरी, अनूपपुर	1. विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय कदमतोला
		2. कन्या उ.मा.वि. जमुनाकालरी
17	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट इन्दौर द्वारा बड़वानी जिले में संचालित प्रवृत्ति	1. कस्तूरबा कन्या वनवासी आश्रम निवाली, 400 सीट्स विद्यालय (आश्रम/विद्यालय)

		2. कन्या आश्रम/विद्यालय निवाली 110 सीट्स
		3. कस्तूरबा कन्या आश्रम/विद्यालय निवाली 400 सीट्स
		4. पोस्ट मैट्रिक छात्रावास 100 सीट्स
		5. कन्या आश्रम/विद्यालय, वरला 50 सीट्स
		6. कन्या आश्रम/विद्यालय, घनोरा, 50 सीट्स
	बनवासी कल्याण परिषद भोपाल	1. बाल्मिकी छात्रावास
18	आदिवासी सेवा संघ बाड़ी, रायसेन	1. आदिवासी सेवा संघ मुख्यालय बाड़ी
		2. आदिवासी बालक आश्रम बाड़ी रायसेन
		3. आदिवासी कन्या आश्रम बाड़ी रायसेन
19	आदिवासी महासंघ कंचनपुर आधारताल, जबलपुर	1. गोंडवाना आदर्श विद्या मंदिर प्राथमिक/माध्यमिक शाला जबलपुर
20	न्यू अमर ज्योति शिक्षा समिति जबलपुर	1. अर्जन उ.मा.वि. पड़रिया कुण्डम
21	गंगामैया शिक्षा समिति व्हीकल, जबलपुर	1. आदर्श प्राथमिक/माध्यमिक शाला व्हीकल जबलपुर
22	ग्राम कल्याण समिति सोनपुर, छिन्दवाड़ा	1. प्राथमिक शाला सरवनी
		2. माध्यमिक शाला उटेकांटा
		3. माध्यमिक शाला सोनपुर
		4. प्राथमिक शाला धौंदी
		5. प्राथमिक शाला भुडकम
		6. प्राथमिक शाला बर्राछोटी
		7. प्राथमिक शाला घोटनी
		8. प्राथमिक शाला तोरनी
23	अर्द्ध आदिवासी विकास संघ रंगारी छिन्दवाड़ा	1. प्राथमिक शाला सारदोनी, रंगारी
24	ग्रामीण आदिवासी शिक्षा समिति उत्थान समिति खुटामा, छिन्दवाड़ा	1. लालबहादुर माध्यमिक शाला खुटामा
		2. प्राथमिक शाला खुटामा
25	जय ग्रामोत्थान शिक्षा समिति रामबाग छिन्दवाड़ा	1. पंडित जवाहरलाल नेहरू हाईस्कूल जमुनिया
26	भारती भाषा संस्थान जुन्नारदेव, छिन्दवाड़ा	1. अल्पभाषी हाईस्कूल

27	म.प्र.सहरिया सेवा संघ ग्वालियर	1. बालक छात्रावास चंदेरी
		1. आदिवासी बालक छात्रावास कुरबाई
		1. मुख्यालय प्रवृत्ति
		2. आदिवासी बालक छात्रावास मोहना 30 सीट
		1. आदिवासी प्रीमैट्रिक छात्रावास पोहरी
		2. आदिवासी प्रीमैट्रिक छात्रावास खनियाधाना
		1. आदिवासी बालक छात्रावास कराहल
		2. बालक छात्रावास ढोढर
		3. बालक छात्रावास विजयपुर
		4. बालक छात्रावास वीरपुर /बड़ौदा/सामुदायिक कल्याण केन्द्र बड़ौदा ।
	वनवासी कल्याण परिषद म.प्र.	1. एकलव्य वनवासी छात्रावास श्योपुर
28	आदिवासी विकास शिक्षा समिति चकसनखोरा विजयपुर जिला श्योपुर	जिला-श्योपुर
		1. प्राथमिक शाला वीरपुर
		2. प्राथमिक शाला चकसनखोरा
29	भारतीय ग्रामीण महिला संघ राऊ, इन्दौर	1. कन्या छात्रावास जनजाति राऊ
30	ऊषा किरण महिला सिलाई-कढ़ाई, केन्द्र इन्दौर	1. आदिवासी बालवाड़ी
32	प्रणामी आदिवासी शिक्षा समिति सिरसीजागीर, गुना	1. निजानंद बालक आश्रम शाला, श्यामपुरा 30 सीट्स
		2. निजानंद प्राथमिक शाला, श्यामपुरा
32	दयानन्द सेवाश्रम थांदला जिला झाबुआ	1. महर्षि दयानन्द सेवाश्रम सरवन
		1. महर्षि दयानन्द सेवाश्रम कुन्दा
		1. दयानन्द सेवाश्रम मुख्यालय थांदला
33	आदिवासी विकास केन्द्र बबलई, खरगौन	1. बालक/कन्या (50+25) बालवाड़ी आश्रम/प्राथमिक शाला/आयुर्वेदिक औषधालय/प्रसूति केन्द्र, बबलई
34	प्रेरणा शिक्षा समिति, डिण्डोरी	हाई स्कूल, डिण्डोरी
35	मानसिंह आदर्श उमावि, सीधी	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीधी

मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ

1. अगरिया
2. आन्ध
3. बैगा
4. भैना
5. भारिया, भुमिया, भुईहार, भूमिआ, भुमिया, भारिआ, पालिहा, पांडो
6. भत्तरा
7. भील, मिलाला, बारेलाल, पटेलिया
8. भील मीना
9. भुंजिया
10. बिआर, बियार
11. बिंझवार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. डामोर, डामरिया
14. धनवार
15. गदाबा, गदबा
16. गोंड, गोंड, अरख, अरख, अगरिया, असुर बडी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भिम्मा, भूता, कोइलाभूता, कोलियाभूती, भार, बायसनहान, मारिया, छोटा मारिया, दंडामी मारिया, धुरु, धुरवा, धोबा, धुलिया, दोरला, गायकी, गत्ता, गत्ती, गैता, गोंड गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया, कुचकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मन्नेवार, मोघ्या, मोगिया, मोघ्या, मुडिया, मुरिया नगारची, नागवंशी, ओझा, राजगोंड, सोन्झारी झरेका, थाटिया, थोटया, वडे मारिया, वडेमाडिया, दरोई
17. हलबा हलबी
18. कमार
19. कारकू
20. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तंवर, चत्री

21	कीर (भोपाल सीहोर तथा रायसेन जिलों में) भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 8.1.2003 द्वारा विलोपित
----	--

22. खैरवार, कोदर
23. खरिया
24. कोध, खोंड, कंध
25. कोल
26. कोलम
27. कोरकू, बोपची, मोआसी, निहाल, नाहुल, बोंधी, बोंदेया
28. कोरवा, कोड़ाकू
29. माझी
30. मझवार
31. मवासी
32. मीना (विदिशा जिले के सिरोंज सब डिवीजन में)
भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 8.1.2003 द्वारा विलोपित
33. मुंडा
34. नगेसिया, नगासिया
35. उरांव, धनका, धनगड़
36. पनिका (छतरपुर, दतिया, पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी तथा टीकमगढ़ जिलों में)
37. पाव
38. परधान, पठारी, सरोती
39. पारधी (भोपाल, रायसेन, सीहोर जिले में) भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 8.1.2003 द्वारा विलोपित
40. पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता पारधी, लंगोली पारधी, फांस पारधी, शिकारी, टाकनकर, टाकिया (1) छिन्दवाड़ा, मंडला, डिंडौरी और सिवनी जिलों में (2) बालाघाट जिले की बैहर तहसील में (3) बैतूल जिले की बैतूल, भैंसदेही और शाहपुर तहसीलों में (4) जबलपुर जिले की पाटन तहसील तथा सिहोरा और मझौली विकासखण्डों में (5) कटनी जिले की कटनी (मुरवारा) और विजयराघवगढ़ तहसीलों तथा बहोरीबंध और दीमरखेड़ा विकास खण्डों में (6) होशंगाबाद जिले की बावई, सोहागपुर, पिपरिया और बनखेड़ी तहसीलों तथा केसला विकास खण्ड में (7) जिला नरसिंहपुर और (8) खण्डवा जिले की हरसूद तहसील में।
41. परजा
42. सहरिया, सहारिआ, सेहारिआ, सेहरिआ, सोसिया, सोर
43. संओता, सौता
44. सौर
45. सवर, सवरा
46. सौर

जनगणना 2011 अनुसार मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या
एवं कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्याँ

Name	Total Population			Scheduled Tribes population		
	Person	Male	Female	Person	Male	Female
MADHYA PRADESH	72626809	37612306	35014503	15316784	7719404	7597380
Sheopur	687861	361784	326077	161448	82637	78811
Morena	1965970	1068417	897553	17030	8947	8083
Bhind	1703005	926843	776162	6131	3283	2848
Gwalior	2032036	1090327	941709	72133	37704	34429
Datia	786754	420157	366597	15061	7870	7191
Shivpuri	1726050	919795	806255	227802	117111	110691
Tikamgarh	1445166	760355	684811	67857	34923	32934
Chhatarpur	1762375	936121	826254	73597	38081	35516
Panna	1016520	533480	483040	170879	87697	83182
Sagar	2378458	1256257	1122201	221936	114771	107165
Damoh	1264219	661873	602346	166295	84809	81486
Satna	2228935	1157495	1071440	319975	163166	156809
Rewa	2365106	1225100	1140006	311985	161696	150289
Umaria	644758	330674	314084	300687	151988	148699
Neemuch	826067	422653	403414	71441	36738	34703
Mandsaur	1340411	682851	657560	33092	17023	16069
Ratlam	1455069	738241	716828	409865	206290	203575
Ujjain	1986864	1016289	970575	48730	24925	23805
Shajapur	1512681	780520	732161	37836	19416	18420
Dewas	1563715	805359	758356	272701	139174	133527
Dhar	2185793	1112725	1073068	1222814	614619	608195
Indore	3276697	1699627	1577070	217679	112687	104992
Khargone (West Nimar)	1873046	953121	919925	730169	366827	363342
Barwani	1385881	699340	686541	962145	482182	479963

Name	Total Population			Scheduled Tribes population		
	Person	Male	Female	Person	Male	Female
Rajgarh	1545814	790212	755602	53751	27477	26274
Vidisha	1458875	769568	689307	67603	34993	32610
Bhopal	2371061	1236130	1134931	69429	35966	33463
Sehore	1311332	683743	627589	145512	74391	71121
Raisen	1331597	700358	631239	205006	105627	99379
Betul	1575362	799236	776126	667018	333166	333852
Harda	570465	294838	275627	159678	81446	78232
Hoshangabad	1241350	648725	592625	197300	101041	96259
Katni	1292042	662013	630029	317699	159799	157900
Jabalpur	2463289	1277278	1186011	375231	189915	185316
Narsimhapur	1091854	568810	523044	145879	74127	71752
Dindori	704524	351913	352611	455789	225699	230090
Mandla	1054905	525272	529633	610528	299918	310610
Chhindwara	2090922	1064468	1026454	769778	385785	383993
Seoni	1379131	695879	683252	519856	258121	261735
Balaghat	1701698	842178	859520	383026	186979	196047
Guna	1241519	649362	592157	190819	98206	92613
Ashoknagar	845071	443837	401234	82072	42447	39625
Shahdol	1066063	540021	526042	476008	236947	239061
Anuppur	749237	379114	370123	358543	177977	180566
Sidhi	1127033	575912	551121	313304	159192	154112
Singrauli	1178273	613637	564636	383994	196133	187861
Jhabua	1025048	515023	510025	891818	446359	445459
Alirajpur	728999	362542	366457	648638	321842	326796
Khandwa (East Nimar)	1310061	674329	635732	459122	234867	224255
Burhanpur	757847	388504	369343	230095	116420	113675
Grand Total :	72626809	37612306	35014503	15316784	7719404	7597380

जनगणना 2011 अनुसार प्रदेश का कुल साक्षरता प्रतिशत
एवं अनुसूचित जनजाति साक्षरता प्रतिशत

Name	Total			Schedule Tribe		
	Total Literacy %	Male Literacy %	Female Literacy %	Total Literacy %	Male Literacy %	Female Literacy %
MADHYA PRADESH	69.32	78.73	59.24	50.55	59.55	41.47
Sheopur	57.43	69.33	44.23	40.72	49.62	31.46
Morena	71.03	82.93	56.90	56.47	66.86	44.98
Bhind	75.26	85.40	63.14	58.24	67.41	47.43
Gwalior	76.65	84.70	67.38	49.56	59.55	38.69
Datia	72.63	84.20	59.41	52.72	63.44	40.99
Shivpuri	62.55	74.56	48.79	41.39	51.51	30.73
Tikamgarh	61.43	71.77	49.97	41.27	49.23	32.91
Chhatarpur	63.74	72.66	53.59	42.68	50.34	34.44
Panna	64.79	74.14	54.44	47.35	55.31	39.01
Sagar	76.46	84.85	67.02	55.63	64.98	45.59
Damoh	69.73	79.27	59.22	53.68	63.13	43.81
Satna	72.26	81.37	62.45	50.54	59.43	41.35
Rewa	71.62	81.43	61.16	51.45	60.36	41.94
Umaria	65.89	76.02	55.23	55.10	65.17	44.84
Neemuch	70.80	83.91	57.13	43.72	54.78	32.02
Mandsaur	71.78	85.14	57.98	55.34	67.54	42.44
Ratlam	66.78	77.54	55.77	45.31	55.12	35.50
Ujjain	72.34	83.46	60.74	61.80	72.92	50.17
Shajapur	69.09	81.47	55.93	63.98	76.22	51.12
Dewas	69.35	80.30	57.76	49.82	59.03	40.28
Dhar	59.00	68.95	48.77	46.30	55.27	37.32
Indore	80.87	87.25	74.02	55.74	63.96	46.90
Khargone (West Nimar)	62.70	72.08	53.03	44.98	52.24	37.73
Barwani	49.08	55.70	42.39	39.25	44.99	33.55
Rajgarh	61.21	73.02	48.95	57.28	68.68	45.41

Name	Total			Schedule Tribe		
	Total Literacy %	Male Literacy %	Female Literacy %	Total Literacy %	Male Literacy %	Female Literacy %
Vidisha	70.53	79.14	60.85	46.71	53.96	38.87
Bhopal	80.37	85.42	74.87	64.72	70.50	58.50
Sehore	70.06	80.83	58.33	52.59	61.07	43.73
Raisen	72.98	80.81	64.24	58.90	66.65	50.65
Betul	68.90	76.65	60.94	52.82	61.23	44.49
Harda	72.50	81.14	63.27	51.08	60.59	41.21
Hoshangabad	75.29	83.35	66.45	59.95	68.70	50.80
Katni	71.98	81.92	61.56	54.95	65.56	44.29
Jabalpur	81.07	87.29	74.37	64.33	74.14	54.30
Narsimhapur	75.69	83.64	67.06	63.84	73.37	54.01
Dindori	63.90	75.47	52.41	60.23	71.58	49.19
Mandla	66.87	77.52	56.39	60.09	71.69	49.00
Chhindwara	71.16	79.04	63.01	57.60	66.71	48.49
Seoni	72.12	80.45	63.67	62.65	72.36	53.13
Balaghat	77.09	85.36	69.04	66.67	76.12	57.75
Guna	63.23	74.05	51.36	43.72	52.23	34.75
Ashoknagar	66.42	78.12	53.42	41.44	51.28	30.89
Shahdol	66.67	76.14	56.99	54.87	64.62	45.29
Anuppur	67.88	78.26	57.30	59.32	70.06	48.82
Sidhi	64.43	74.44	54.07	52.91	61.73	43.88
Singrauli	60.41	71.34	48.53	49.11	59.12	38.69
Jhabua	43.30	52.85	33.77	37.21	46.67	27.87
Alirajpur	36.10	42.02	30.29	32.41	38.22	26.74
Khandwa (East Nimar)	66.39	76.29	55.92	48.12	58.48	37.29
Burhanpur	64.36	71.80	56.58	38.65	46.29	30.86

--oo--

**जनगणना 2011 अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या
एवं साक्षरता दर (कुल, ग्रामीण एवं शहरी)**

Name	Total /Rural /Urban	Total Polulation	Total male	Total Female	Total Lit%	Male Lit%	Female Lit %
Madhya Pradesh	Total	15316784	7719404	7597380	50.55	59.55	41.47
Madhya Pradesh	Rural	14276874	7187769	7089105	49.32	58.43	40.15
Madhya Pradesh	Urban	1039910	531635	508275	66.73	73.99	59.16
Sheopur	Total	161448	82637	78811	40.72	49.62	31.46
Sheopur	Rural	157227	80403	76824	40.36	49.24	31.15
Sheopur	Urban	4221	2234	1987	53.22	62.55	42.86
Morena	Total	17030	8947	8083	56.47	66.86	44.98
Morena	Rural	14362	7524	6838	52.86	63.76	40.90
Morena	Urban	2668	1423	1245	74.74	82.23	66.16
Bhind	Total	6131	3283	2848	58.24	67.41	47.43
Bhind	Rural	1425	758	667	49.82	57.73	40.28
Bhind	Urban	4706	2525	2181	60.59	70.15	49.40
Gwalior	Total	72133	37704	34429	49.56	59.55	38.69
Gwalior	Rural	54777	28381	26396	43.99	54.61	32.71
Gwalior	Urban	17356	9323	8033	65.85	73.36	57.08
Datia	Total	15061	7870	7191	52.72	63.44	40.99
Datia	Rural	10889	5712	5177	49.78	61.34	37.05
Datia	Urban	4172	2158	2014	60.14	68.79	50.81
Shivpuri	Total	227802	117111	110691	41.39	51.51	30.73
Shivpuri	Rural	219140	112698	106442	41.41	51.71	30.56
Shivpuri	Urban	8662	4413	4249	40.81	46.58	34.81
Tikamgarh	Total	67857	34923	32934	41.27	49.23	32.91
Tikamgarh	Rural	61540	31648	29892	41.00	49.00	32.60
Tikamgarh	Urban	6317	3275	3042	43.82	51.35	35.85
Chhatarpur	Total	73597	38081	35516	42.68	50.34	34.44
Chhatarpur	Rural	68928	35622	33306	41.55	49.05	33.51
Chhatarpur	Urban	4669	2459	2210	58.55	67.89	47.91

Name	Total /Rural /Urban	Total Polulation	Total male	Total Female	Total Lit%	Male Lit%	Female Lit %
Panna	Total	170879	87697	83182	47.35	55.31	39.01
Panna	Rural	164136	84196	79940	47.26	55.30	38.84
Panna	Urban	6743	3501	3242	49.49	55.54	42.98
Sagar	Total	221936	114771	107165	55.63	64.98	45.59
Sagar	Rural	208315	107661	100654	54.88	64.36	44.71
Sagar	Urban	13621	7110	6511	66.59	73.93	58.55
Damoh	Total	166295	84809	81486	53.68	63.13	43.81
Damoh	Rural	160453	81796	78657	53.00	62.54	43.04
Damoh	Urban	5842	3013	2829	71.43	78.35	64.05
Satna	Total	319975	163166	156809	50.54	59.43	41.35
Satna	Rural	298980	152363	146617	50.40	59.36	41.17
Satna	Urban	20995	10803	10192	52.45	60.41	43.97
Rewa	Total	311985	161696	150289	51.45	60.36	41.94
Rewa	Rural	286278	148251	138027	51.18	60.05	41.74
Rewa	Urban	25707	13445	12262	54.39	63.74	44.15
Umaria	Total	300687	151988	148699	55.10	65.17	44.84
Umaria	Rural	274774	138906	135868	54.54	64.67	44.22
Umaria	Urban	25913	13082	12831	60.82	70.31	51.19
Neemuch	Total	71441	36738	34703	43.72	54.78	32.02
Neemuch	Rural	62901	32214	30687	42.55	53.85	30.69
Neemuch	Urban	8540	4524	4016	52.04	61.20	41.81
Mandsaur	Total	33092	17023	16069	55.34	67.54	42.44
Mandsaur	Rural	28643	14751	13892	53.99	66.90	40.34
Mandsaur	Urban	4449	2272	2177	63.96	71.69	55.86
Ratlam	Total	409865	206290	203575	45.31	55.12	35.50
Ratlam	Rural	387743	194869	192874	44.22	54.14	34.35
Ratlam	Urban	22122	11421	10701	63.17	70.83	55.06
Ujjain	Total	48730	24925	23805	61.80	72.92	50.17
Ujjain	Rural	33656	17233	16423	59.55	72.48	46.01
Ujjain	Urban	15074	7692	7382	66.65	73.87	59.13
Shajapur	Total	37836	19416	18420	63.98	76.22	51.12
Shajapur	Rural	34226	17600	16626	62.44	75.02	49.18
Shajapur	Urban	3610	1816	1794	78.26	87.55	68.78

Name	Total /Rural /Urban	Total Polulation	Total male	Total Female	Total Lit%	Male Lit%	Female Lit %
Dewas	Total	272701	139174	133527	49.82	59.03	40.28
Dewas	Rural	247061	126064	120997	48.53	57.88	38.86
Dewas	Urban	25640	13110	12530	61.80	69.81	53.51
Dhar	Total	1222814	614619	608195	46.30	55.27	37.32
Dhar	Rural	1142263	573746	568517	45.10	54.19	36.03
Dhar	Urban	80551	40873	39678	63.03	70.29	55.63
Indore	Total	217679	112687	104992	55.74	63.96	46.90
Indore	Rural	134702	69227	65475	50.54	60.01	40.54
Indore	Urban	82977	43460	39517	63.93	70.07	57.16
Khargone (West Nimar)	Total	730169	366827	363342	44.98	52.24	37.73
Khargone (West Nimar)	Rural	700953	352144	348809	43.91	51.27	36.55
Khargone (West Nimar)	Urban	29216	14683	14533	69.04	73.98	64.10
Barwani	Total	962145	482182	479963	39.25	44.99	33.55
Barwani	Rural	925650	463463	462187	38.33	44.05	32.65
Barwani	Urban	36495	18719	17776	61.39	66.80	55.74
Rajgarh	Total	53751	27477	26274	57.28	68.68	45.41
Rajgarh	Rural	48668	24827	23841	55.81	67.34	43.86
Rajgarh	Urban	5083	2650	2433	70.87	80.78	60.09
Vidisha	Total	67603	34993	32610	46.71	53.96	38.87
Vidisha	Rural	63134	32668	30466	45.83	53.24	37.81
Vidisha	Urban	4469	2325	2144	58.73	63.83	53.23
Bhopal	Total	69429	35966	33463	64.72	70.50	58.50
Bhopal	Rural	19124	9916	9208	48.72	56.12	40.74
Bhopal	Urban	50305	26050	24255	70.36	75.57	64.75
Sehore	Total	145512	74391	71121	52.59	61.07	43.73
Sehore	Rural	137928	70324	67604	51.46	60.03	42.56
Sehore	Urban	7584	4067	3517	71.73	77.87	64.63

Name	Total /Rural /Urban	Total Polulation	Total male	Total Female	Total Lit%	Male Lit%	Female Lit %
Raisen	Total	205006	105627	99379	58.90	66.65	50.65
Raisen	Rural	190082	97795	92287	58.02	65.94	49.63
Raisen	Urban	14924	7832	7092	69.59	75.13	63.45
Betul	Total	667018	333166	333852	52.82	61.23	44.49
Betul	Rural	638348	318925	319423	51.94	60.48	43.49
Betul	Urban	28670	14241	14429	71.34	77.21	65.61
Harda	Total	159678	81446	78232	51.08	60.59	41.21
Harda	Rural	153583	78456	75127	50.05	59.74	39.95
Harda	Urban	6095	2990	3105	75.39	81.39	69.64
Hoshangabad	Total	197300	101041	96259	59.95	68.70	50.80
Hoshangabad	Rural	175876	90086	85790	57.62	66.58	48.25
Hoshangabad	Urban	21424	10955	10469	77.98	85.21	70.49
Katni	Total	317699	159799	157900	54.95	65.56	44.29
Katni	Rural	296037	148907	147130	54.38	65.08	43.63
Katni	Urban	21662	10892	10770	62.49	71.87	53.04
Jabalpur	Total	375231	189915	185316	64.33	74.14	54.30
Jabalpur	Rural	294787	148536	146251	61.25	71.73	50.66
Jabalpur	Urban	80444	41379	39065	75.17	82.39	67.48
Narsimhapur	Total	145879	74127	71752	63.84	73.37	54.01
Narsimhapur	Rural	135056	68576	66480	62.94	72.64	52.96
Narsimhapur	Urban	10823	5551	5272	74.60	81.95	66.82
Dindori	Total	455789	225699	230090	60.23	71.58	49.19
Dindori	Rural	448420	221979	226441	59.96	71.37	48.86
Dindori	Urban	7369	3720	3649	76.43	83.73	68.93
Mandla	Total	610528	299918	310610	60.09	71.69	49.00
Mandla	Rural	590435	290016	300419	59.36	71.11	48.13
Mandla	Urban	20093	9902	10191	80.64	87.90	73.64
Chhindwara	Total	769778	385785	383993	57.60	66.71	48.49
Chhindwara	Rural	713572	357724	355848	56.18	65.48	46.87
Chhindwara	Urban	56206	28061	28145	74.80	81.64	68.01
Seoni	Total	519856	258121	261735	62.65	72.36	53.13
Seoni	Rural	505730	251239	254491	62.06	71.91	52.39
Seoni	Urban	14126	6882	7244	83.02	88.60	77.88

Name	Total /Rural /Urban	Total Polulation	Total male	Total Female	Total Lit%	Male Lit%	Female Lit %
Balaghat	Total	383026	186979	196047	66.67	76.12	57.75
Balaghat	Rural	346461	169216	177245	65.75	75.43	56.61
Balaghat	Urban	36565	17763	18802	75.09	82.58	68.16
Guna	Total	190819	98206	92613	43.72	52.23	34.75
Guna	Rural	181678	93432	88246	42.75	51.19	33.86
Guna	Urban	9141	4774	4367	61.86	71.24	51.63
Ashoknagar	Total	82072	42447	39625	41.44	51.28	30.89
Ashoknagar	Rural	77631	40140	37491	40.96	50.76	30.45
Ashoknagar	Urban	4441	2307	2134	49.63	59.87	38.39
Shahdol	Total	476008	236947	239061	54.87	64.62	45.29
Shahdol	Rural	447402	222807	224595	54.44	64.30	44.73
Shahdol	Urban	28606	14140	14466	61.38	69.45	53.60
Anuppur	Total	358543	177977	180566	59.32	70.06	48.82
Anuppur	Rural	317627	157363	160264	58.54	69.35	48.01
Anuppur	Urban	40916	20614	20302	65.25	75.35	55.08
Sidhi	Total	313304	159192	154112	52.91	61.73	43.88
Sidhi	Rural	302717	153570	149147	52.81	61.62	43.84
Sidhi	Urban	10587	5622	4965	55.51	64.70	45.04
Singrauli	Total	383994	196133	187861	49.11	59.12	38.69
Singrauli	Rural	361302	184364	176938	48.75	58.75	38.38
Singrauli	Urban	22692	11769	10923	54.54	64.73	43.50
Jhabua	Total	891818	446359	445459	37.21	46.67	27.87
Jhabua	Rural	861498	430617	430881	35.85	45.28	26.56
Jhabua	Urban	30320	15742	14578	73.65	81.78	64.79
Alirajpur	Total	648638	321842	326796	32.41	38.22	26.74
Alirajpur	Rural	627835	311307	316528	31.17	36.91	25.58
Alirajpur	Urban	20803	10535	10268	68.15	75.01	61.10
Khandwa	Total	459122	234867	224255	48.12	58.48	37.29
Khandwa	Rural	440789	225411	215378	47.16	57.60	36.27
Khandwa	Urban	18333	9456	8877	70.13	78.61	61.14
Burhanpur	Total	230095	116420	113675	38.65	46.29	30.86
Burhanpur	Rural	222132	112338	109794	38.11	45.81	30.27
Burhanpur	Urban	7963	4082	3881	53.00	58.98	46.80